खण्ड-225, अंक-4
शुक्रवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1883
(4 अगस्त, 1961 ई0)

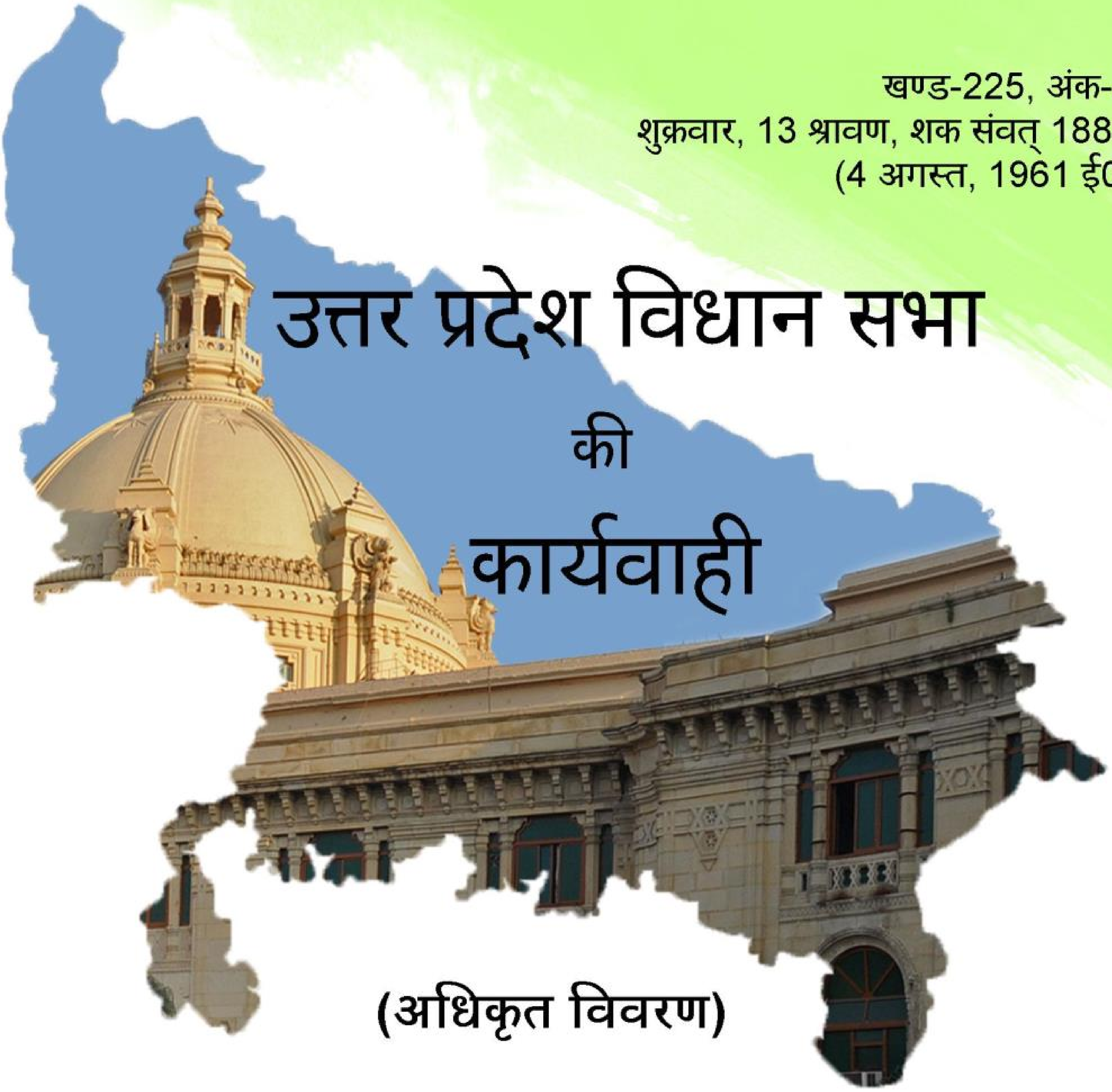

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्म राम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिंहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राज बिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत (मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

स्वायत्त शासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस कमीशन की अन्तिम रिपोर्ट

**१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार १४ मार्च, १९६१ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९६१ ई० को पुलिस कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है या नहीं ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—पुलिस कमीशन का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को १ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हुआ है।

**२—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो पुलिस कमीशन ने जो मुख्य-मुख्य सुझाव दिये हैं क्या उनकी प्रतिलिपि वह मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट को सदन में कब तक पेश करने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने स्वयं कहा यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है और सरकार बाद को बतायेगी कि कब और किस समय इसको पेश करेगी या क्या करेगी ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कमीशन ने पुलिस में सुधार लाने के लिये मुख्य-मुख्य सुझाव क्या दिये हैं ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने कहा हमको फाइनल रिपोर्ट पहली तारीख को दी गयी है, लिहाजा अभी उसका अध्ययन भी ठीक तरह से नहीं हुआ है और उसके बाद जब सरकार उसको देख लेगी, उसके बाद जैसा होगा किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुये कि मौजूदा गृह मंत्री भी पुलिस में सुधार चाहते हैं और पुलिस कमीशन की रिपोर्ट भी अपना जगह अहमियत रखते हैं, वह सदन को यकीन दिलायेंगे कि कब तक उस रिपोर्ट पर अन्तिम फैसला सरकार ले लेगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा मैंने कहा इसमें बहुत सी चीजें हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, और जब उनका थार लो एग्जामिनेशन हो जायगा तब सरकार बतला पायेगी । इस समय कोई टाइम दे देना संभव नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमीशन की रिपोर्ट के महत्व को देखते हुये जब सरकार सदन में उस रिपोर्ट को रखने का फैसला करेगी तब क्या इस बात का अवसर देगी कि यह सदन उस पर वाद-विवाद कर सके और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके ?

श्री नवलकिशोर—अगर यह इच्छा इस हाउस की होगी तो गवर्नमेन्ट को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतायेगी कि वह इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर अपना निर्णय सन् १९६२ के आम चुनावों से पहले कर लेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हां, उम्मीद यही की जाती है कि कुछ सिफारिशों पर १९६२ के चुनावों से पहले निर्णय कर लेगी और कुछ ऐसी सिफारिशें हो सकती हैं जिन पर उनके बाद फैसला किया जाय, लेकिन चाहे पहले किया जाय या बाद को किया जाय उसका चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इस बात के महत्व को देखते हुये कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर सब का ध्यान आकर्षित है, क्या सरकार ऐसा प्रबंध कर देगी कि उस रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक सदस्य के पास पहुंच जायं जिससे वे पहले से उसको देख सकें ?

श्री चरणसिंह—जैसा कि पहले जवाब में कहा गया है, यह प्रश्न कि वह रिपोर्ट पब्लिश की जाय उस पर अभी गवर्नमेन्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि पहली तारीख को ५ बज कर २५ मिनट पर शाम को रिपोर्ट मिली है ।

गठिया नाले पर पुल बनाने की योजना

**३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में जफराबाद टाउन एरिया के आगे गठिया नाले पर पुल बनाने के लिये प्राक्कलन (एस्टीमेट्स) इत्यादि तैयार करने के लिये कुछ समय पूर्व सरकारी विभाग से कहा गया था ? यदि हां, तो क्या वह प्राक्कलन इत्यादि विभाग द्वारा तैयार हो कर सरकार के सम्मुख आ गये हैं ? सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—कार्य की लागत का तखमीना आ गया है ।

तृतीय भाग—धनाभाव के कारण इस कार्य को इस समय स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि कितने रुपये का तखमीना सड़क और पुल का आया है और कब आया है ?

श्री धर्मसिंह—४.५ लाख रुपये का तखमीना आया है । किस समय आया है, इस वक्त इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जो तखमीना ४.५ लाख रुपये का बताया गया है उसमें सड़क का तखमीना जुड़ा हुआ है या वह केवल पुल का है ?

श्री धर्मसिंह—४.५ लाख रुपये का तखमीना ५ मील सड़क का है, पुल का अलहदा से ७५ हजार का तखमीना है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि पुल का तो ७५ हजार रुपये का तखमीना है इसलिये पहले पुल को बनवा दिया जाय और सड़क कच्ची ही बनी रहे और बाद में उसको पक्की बना दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—सरकार जो पुल बनाती है वह एक नीति के अनुसार बनाती है और पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर बनाती है । यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है । दूसरा कारण यह है कि धन की कमी है । भविष्य में जितने पुल बनाये जाने वाले हैं उनके बारे में निर्णय लिया जा चुका है । अगर आगे कहीं से इसके लिये धन प्राप्त हो गया तो विचार किया जायगा । जहां तक इस पुल का सम्बन्ध है इसके बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार का ऐसा कोई नियम है कि अगर अन्तरिम जिला परिषद् के पास बजट में पुल के निर्माण के लिये कोई रुपया नहीं होता तो उसको पी० डब्ल्यू० डी० ले लेता है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार से इस पुल को पी० डब्ल्यू० डी० में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—प्रदेश में इस प्रकार के बहुत से पुल हैं । जहां तक इस पुल का सम्बन्ध है अगर इसको ले भी लिया जाय तो धन की कमी है इसलिये फिर भी उसका बनाया जाना संभव नहीं हो सकेगा । इसके बारे में एक नीति है जिसके अनुसार पुल इत्यादि बनाये जाते हैं ।

गोरखपुर नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर की मुअत्तली व बहाली

**४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दो बार एक्जीक्यूटिव अफसर को मुअत्तल किया गया तथा सरकार ने पुनः बहाली का आदेश दे दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मुअत्तली व बहाली के कारण क्या थे ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—नगरपालिका गोरखपुर के वर्तमान अध्यक्ष ने एक्जीक्यूटिव अफसर को दिनांक ८ नवम्बर, १९६० को अपने आदेश द्वारा मुअत्तल कर दिया था । मुअत्तली का कारण कार्य-संचालन में लापरवाही तथा आदेशों का पालन न करना था । शासन ने इस मुअत्तली के आदेश को अवैध मान कर उन्हें बहाल किये जाने के आदेश दिये थे । ऐसे आदेश देने का कारण यह था कि अध्यक्ष ने मुअत्तल करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अभियोग-पत्र नहीं बनाया था । शासन ने अपने आदेश में यह भी कह दिया था कि केवल वैधानिक कमजोरी के कारण ही यह आदेश रद्द किया गया है और क्योंकि अब अभियोग-पत्र बन चुका है अतएव अध्यक्ष यदि चाहें तो अधिशासी अधिकारी को पुनः मुअत्तल कर सकते हैं । तदनुसार अध्यक्ष ने उन्हें दुबारा मुअत्तल कर दिया है । शासन ने इस मुअत्तली के आदेश को रद्द नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा निर्धारण का मामला

**५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा), श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६१ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा निर्धारण हेतु इस प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री बिहार के बीच कोई बातचीत हुई ? अगर हां, तो उसमें विवादास्पद क्या-क्या बातें थीं, क्या निर्णय हुआ तथा आयंदा इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ?

राजस्व उपमंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)—जी हां विवादास्पद बात यह थी कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा स्थायी रूप से निर्धारित की जाय अथवा धारधूरा के अनुसार रहे जैसा कि अब तक है। इस सम्बन्ध में सहमति न हो सकी और तय हुआ कि यह प्रश्न प्रधान मंत्री को फैसले के लिये सौंप दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिहार के मुख्य मंत्री जी ने स्थायी रूप से सीमा निर्धारित होने में क्या अड़चनें बतायीं, जिनकी वजह से उन्होंने हमारी बात नहीं मानी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वे कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जब वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है तो उसका कारण क्या बताते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई डिटेल उन्होंने बतायी नहीं, वे कहते हैं कि यह प्रैक्टीकेबिल नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिहार के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के यहां तो सब बातें मान गये थे लेकिन बाद को अफसरों के प्रभाव में आकर मीटिंग में बदल गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो मैं नहीं कह सकता कि मुख्य मंत्री के यहां उनकी क्या बातचीत हुई।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि १९५२ में जब दोनों प्रदेश की संयुक्त समिति ने स्थायी सीमा निर्धारण का सिद्धांत स्वीकार किया था तब भी बिहार सरकार ने यह कहा था कि यह प्रैक्टीकेबिल नहीं है ? उस समय सेंट्रल गवर्नमेन्ट के सर्वे विभाग की राय ली गयी थी उसने कहा था कि यह प्रैक्टीकेबिल है। जब सेंट्रल के सर्वे विभाग ने उसको प्रैक्टीकेबिल बता दिया तब फिर कौन-सी कठिनाई है जिसके कारण वे हमारी बात नहीं मानते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५२ में उन्होंने इस सिद्धान्त को मान लिया था। इस में सेंट्रल सी० आई० डी० ने भी ब्योरे से जांच-पड़ताल की और लोगों की राय को मालूम किया। उन्होंने भी रिपोर्ट दी लेकिन अब वे कहते हैं कि वह उस रिपोर्ट को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि मुस्तकिल सीमा का निर्धारण नहीं हो सकता।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रधान मंत्री अथवा भारत सरकार ने उनको यह विश्वास दिलाया है कि इसका निर्णय उनकी ओर से कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब टर्म्स आफ रेफरेंस एग्रीड होकर आ जायेंगे तब वह कर सकेंगे। अभी वक्त निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है।

श्री गौरीशंकर राय—सन् १९५२ में जब हूबहू इसी तरह की अड़चन बिहार सरकार द्वारा लगाई गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सी०आई०डी० और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे डिपार्टमेंट से इसकी प्रैक्टीकेबिलिटी के संबंध में राय मांगी गयी थी, तो क्या यह सही है कि सेंट्रल सर्वे डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि इसमें कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं है कि स्थायी सीमा निर्धारित हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सब डिपार्टमेंट के संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सेंट्रल सी० आई० डी० ने लोगों की ख्वाहिश दरियाफ्त की थी....

श्री अध्यक्ष--वे तो सर्वे डिपार्टमेंट की राय जानना चाहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री इस मसले को किसी जज पंच के समक्ष निर्णय के लिये भेजने वाले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--न्याय मंत्री जी दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच में क्या वार्ता हुई तथा मध्यस्थता के लिये टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं, बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब तक ड्राफ्ट और प्रोसीडिंग्स का कनफर्मेशन होकर न आ जाय और फाइनल न हो जाय तब तक कुछ बतलाना संभव नहीं है।

बहराइच में हरिजन बालिका के साथ बलात्कार

**६--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि हाल ही में बहराइच में एक हरिजन बालिका पर दिन दहाड़े तथा कथित बलात्कार के मामले को लेकर हड़ताल हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामले में सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री चरणसिंह--जी हां, अभियुक्तों का चालान किया गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

बलीपुर ग्राम से श्री रामस्वरूप की हत्या के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

**७--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास ग्राम बलीपुर, थाना उड़ावर, तहसील शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के ग्रामवासियों का कोई सामूहिक प्रार्थना-पत्र इस शिकायत के साथ आया है कि श्री रामस्वरूप नामक कोई निरपराध व्यक्ति को स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया जा कर गोली का शिकार बना दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा यह भी बतायेगी कि अपराधियों को क्या दंड दिया गया है ?

श्री नवलकिशोर--जी हां, एक ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। जिलाधीश ने इस घटना की जांच एस० डी० एम० से कराई और उन्होंने स्वयं भी जांच की। जांच के बाद वे यह निश्चित निर्णय नहीं कर सके कि रामस्वरूप पुलिस encounter में मारा गया या नहीं। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इस समय किसी अपराधी को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६७ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो घटना का विवरण उन्होंने दिया है वह जिलाधीश या एस० डी० एम० की रिपोर्ट के आधार पर दिया है या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर दिया है ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, पुलिस से हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है उसी के आधार पर मैंने यह विवरण दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने जो जांच की है, उस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री नवलकिशोर--जिलाधीश ने जो जांच की उससे पहले जैसा कि मैंने कहा एस० डी० एम० ने जांच की। एस० डी० एम० का खयाल था कि एनकाउंटर नहीं हो सकता है, उसके बाद स्वयं जिलाधीश ने जांच की तो उनका यह खयाल हुआ कि एनकाउन्टर होने की सम्भावना है। यही कारण है कि अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया। यह जो रिपोर्ट है अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैंने पूछा था कि जिलाधीश की रिपोर्ट क्या है?

श्री चरणसिंह--जैसा कि अभी बताया गया एस० डी० एम० की रिपोर्ट यह थी कि एनकाउन्टर की सम्भावना नहीं है। उसके बाद जिलाधीश ने स्वयं मौके पर जाकर इन्क्वायरी की। वे रामस्वरूप के गांव में भी गये जहां का कि यह वाकया है। उनका कहना है कि पुलिस का जो वर्जन है उसकी सम्भावना भी हो सकती है, लेकिन वह स्वयं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि दस मिनट तक गोली दोनों ओर से चली तो क्या उसमें पुलिस पार्टी का भी कोई व्यक्ति घायल हुआ?

श्री नवलकिशोर--कोई आदमी घायल नहीं हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--जब जिलाधीश किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि एनकाउन्टर हुआ या नहीं हुआ तो फिर उन्होंने पहली मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी को सही क्यों नहीं माना या दूसरी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराई?

श्री नवलकिशोर--जैसा कि मैंने कहा दोनों इन्क्वायरी में थोड़ा-सा मतभेद है इसलिये अभी सरकार भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। सरकार का खयाल है कि आगे चल कर और जांच की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में गांव वालों का वर्जन क्या है?

श्री चरणसिंह--गांव वालों का वर्जन यह है कि रात को डेढ़ बजे गांव से पुलिस रामस्वरूप को पकड़ कर ले गई थी और बाद में वह मरा पाया गया। रिपोर्ट गांव वालों ने और एक दूसरे साहब ने लिखाई। इसकी तहकीकात कराई गई, पुलिस ने कहा कि वह एनकाउन्टर में मारा गया। एस० डी० एम० का कहना है कि वह इम्प्रोबेबिल स्टोरी है, वह पुलिस के वर्जन का भी विश्वास नहीं करते, वह इस पर भी विश्वास नहीं करते कि गांव से पुलिस इतने लोगों के सामने इसको पकड़ कर ले गई। जिलाधीश का कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पुलिस का वर्जन भी ठीक हो सकता है, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कराई जाय, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है।

राज्य में हैजे से मृत्युएं

**८--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी), श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) तथा श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जून व जुलाई, १९६१ में हैजे से किस-किस जिले में कितने-कितने व्यक्ति बीमार हुए तथा मरे?

श्री धर्मसिंह—निम्नलिखित जिलों तथा नगरों में नीचे दी हुई संख्या में लोग हैजे से २२.७.६१ तक ग्रसित हुये तथा मरे:—

	ग्रसित	मृत्युयें
१—इलाहाबाद जिला	१७२	७५
२—वाराणसी नगर	४२४	७३
३—गोरखपुर नगर	१	..
४—हरदोई नगर	१	१
५—लखनऊ नगर	६८४	५६
६—लखनऊ जिला	१३०	२७
७—मिर्जापुर नगर	१९	०
८—मिर्जापुर जिला	४४१	१६६
९—प्रतापगढ़ जिला	७३	३३

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को मालूम है कि उत्तर में बताये हुये जिलों के अलावा और भी बहुत से जिलों में बड़े जोर से हैजा फैला है ? यदि हां, तो उन का नाम भी मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास तो केवल इतनी ही सूची है, बाकी किसी-किसी जिले में कोई कोई मृत्यु और हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में भी आज इस विषय की चर्चा है, उस समय और पूछ सकते हैं, इस समय अधिक समय इसमें नहीं दूंगा ।

तारांकित प्रश्न

के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के लिए हस्तगत भूमि

*१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में के० जी० के० कालेज ने १९५२ से १९५६ तक कितनी भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की ? उसमें से कितने एकड़ जमीन पर इमारत बनी है और कितनी खाली पड़ी है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के लिये १९५२ से १९५६ तक अर्जित भूमि तथा जिस प्रयोग में कालेज उसे ला रहा है, की तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६८–३६९)

*२—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद के के०जी०के० कालेज ने पुनः १९५९ में कितनी एकड़ भूमि के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया है ? इससे कितने काश्तकार प्रभावित होंगे और क्या उन ग्रामीण काश्तकारों को जीवनयापन के लिये कहीं अन्यत्र भूमि दी जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह इमारतें जो बनी हैं वह किस सन् में बनाई गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या यह सच है कि जो जमीन खाली पड़ी है उस सारी जमीन पर खेलने के ग्राउंड बना दिये गये हैं और जिस प्रयोजन के लिये जमीन ली गई है---बिल्डिंग के लिये---वह नहीं बनाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जब भूमि ली जाती है तो जिसके लिये ली जाती है वह परपज दिखाया जाता है और उसी कार्य के लिये इस्तेमाल की जा सकती है । कालेज को लिखा गया है कि उन्होंने उसके अनुसार कितनी भूमि उस काम के लिये इस्तेमाल कर ली है और अगर नहीं कर पाये हैं तो क्यों ।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, काशीपुर की अध्यापिकाओं द्वारा कथित गबन

*३---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, काशीपुर, जिला नैनीताल में कितनी अध्यापिकायें ऐसी थीं जिनके ऊपर विगत २ वर्षों (१९५८-५९ व १९५९-६०) में गबन के मामले चले और उनसे गबन के रुपये की वसूली हो जाने पर फिर उन्हें होम सेन्टर (घर के नजदीक के विद्यालय में) स्थानान्तरित किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई नहीं ।

श्री खुशीराम---श्रीमन्, यह जो जवाब दिया गया है वह असत्य है, इसलिये मंत्री जी पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मेरे पास तो यही रिपोर्ट आई है । माननीय सदस्य अगर किसी विशेष अध्यापिका के बारे में लिख कर दें कि अमुक ने गबन किया तो मैं उस दृष्टि से जांच करा लूंगा ।

श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी में अध्यापकों की नियुक्ति में शासनादेश की अवज्ञा

*४---**श्री गौरीशंकरराय**---क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल की प्रबन्धक कमेटी ने २५ सितम्बर, १९५९ में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु दिये गये आदेश का पालन नहीं किया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ऐसे दो अध्यापकों के मामले हैं । एक अध्यापक ने हाई कोर्ट में रिट की है और दूसरे का मामला विभाग के विचाराधीन है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मामला कितने दिनों से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सन् ५८ और ५९ के सत्र के लिये ये दोनों अध्यापक थे । ३० जून, १९५९ को इनको अलग कर दिया गया था । उसकी स्वीकृति इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने नहीं दी थी । एक अध्यापक अस्थायी थे, वह रिट में चले गये । अब दूसरे अध्यापक के बारे में यह आदेश दिये गये हैं कि उनको वेतन दें और रक्खें । लेकिन उस पाठशाला के जो प्रबन्धक हैं उस आदेश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं । इधर शासन के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि उनकी ग्रान्ट को सस्पेंड किया जाय या नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय--नए इन्टरमीडियेट अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अनुसार जो सरकार को अधिकार है कि सरकार की आज्ञा जब कोई कमेटी न माने तो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में और ग्रान्ट के सिलसिले में वह कार्यवाही कर सकती है, तो सरकार ने अब तक वह कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव--ग्रान्ट के संबंध में तो मैंने अभी निवेदन किया । कुछ ऐसा विचार था, ऐसी राय दी जा रही थी कि ग्रान्ट सस्पेंड नहीं हो सकती है, लेकिन यह विषय विचाराधीन है । जहां तक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है, वह तो कानून बना हुआ है, उसमें काफी समय लगता है । पहले उसकी स्कीम ऐप्रूव हो जाती है, उसके बाद ही और कार्यवाही की जा सकती है । उसमें समय लगता है । लेकिन मैंने निवेदन किया कि यह तो स्वीकार किया जा चुका है कि अध्यापक को रखना चाहिये । जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह शासन और विभाग करेगा ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक शासन या विभाग कोई फैसला ले तब तक जो अध्यापक भुखमरी का शिकार हो रहा है उसको स्कूल की ग्रान्ट से वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जहां तक ग्रान्ट का विषय है, जल्दी ही उसमें निर्णय ले लिया जायगा ।

ताड़ी व शराब की दुकानें लखनऊ से बाहर करने का सुझाव

*५--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में सरकार के पास ऐसी मांगें आई हैं कि जो लखनऊ शहर में ताड़ी या शराब की दुकानें हैं उन्हें शहर की आबादी से बाहर कर दिया जाय ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं ।

*६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो उन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या मंत्री जी इस बात पर स्वयं विचार करने की कृपा करेंगे कि जो लखनऊ शहर में ताड़ी और शराब की दुकानें हैं उन सबको हटाकर शहर के बाहर कहीं एक जगह कर दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम--एक्साइज मैनुअल के सेक्शन ३१४ के मुताबिक यह सम्भव नहीं है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सी०आई०डी० के अधिकारियों द्वारा या पुलिस कर्मचारियों द्वारा कभी सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि ताड़ी और शराब की दुकानें जो सड़क पर हैं वहां नशेबाजों की इतनी भीड़ रहती है कि आने-जाने वालों का रास्ता रुक जाता है और अक्सर मार-पीट की शिकायतें होती हैं ?

डाक्टर सीताराम--शहर में जितनी दुकानें हैं आज से ३० साल पहले की हैं, कोई नई नहीं हैं । एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन ६१, ६२ और ६४ के अनुसार एक्साइज व पुलिस के अधिकारी काम करते हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ३० साल पहले यहां विदेशी सत्ता थी और हमारा सुधार नहीं चाहती थी, लेकिन आज तो हमारी सरकार है और शहर के बीच में शराब की दुकानें होने से इन्नोसेन्ट आदमी बिगड़ते जा रहे हैं इसलिये उन दुकानों को शहर से बाहर करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—इन्नोसेन्ट आदमी बिगड़ते जा रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या मंत्री जी को पता है कि आज से ३० साल पहले जो आबादी थी उसमें कई गुना वृद्धि अब हो गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, आबादी में तो वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन दूकानों में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार किसी ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है कि जो दूकानें शहर से बाहर हैं वे भी शहर में कर दी जांय ?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज मैनुअल के सेक्शन ३१४ के मुताबिक दुकानों का एलोकेशन जिलाधीश करते हैं जिला ऐडवाइजरी कमेटी की राय पर, जिसमें माननीय सदस्य भी मेम्बर हुआ करते हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इस प्रश्न के संदर्भ में जिलाधीश को आदेश देंगे कि एक्साइज ऐक्ट की धारा के अलावा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये दुकानें खोली जायं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—मंत्री जी बतायेंगे कि ३० साल पहले जहां दुकानें खोली गई थीं वहां उतनी ही घनी पापुलेशन थी जितनी कि आज है ?

डाक्टर सीताराम—आबादी अवश्य बढ़ी है, इसमें संदेह नहीं ।

श्री उग्रसेन—अभी मंत्री जी ने कहा कि ऐडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्य हैं, तो उनकी विशेषता क्या होती है जो उसके मेम्बर हैं ? क्या पीने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष—जो विशेषता आपकी है वही उनकी है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव के अनुसार प्रौहिबीशन को प्रोत्साहन दिया जाय, इस बात को ध्यान में रखते हुये मंत्री जी लखनऊ नगर में भी दुकानों को बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—अभी शासन के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय देवनारायण जी ने किया वह तो प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत पूछा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—अभी भी यह पूरक प्रश्न किया जा सकता है ।

लखनऊ को मद्यनिषेध योजनान्तर्गत लेने का सुझाव

*७—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या आबकारी मंत्री लखनऊ शहर और जिले को मद्य-निषेध योजना के अन्तर्गत शामिल करने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—मंत्री जी लखनऊ जिले के सरहदी जिलों में मादक वस्तुओं की बढ़ रही गैर-कानूनी बिक्री को देख कर लखनऊ शहर और जिले को मद्यनिषेध योजना में शामिल करने पर पुनः विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—मद्यनिषेध योजना को कार्यान्वित करने के लिये रुपये की आवश्यकता होगी। तृतीय योजना को ध्यान में रखते हुये यह सम्भव नहीं है कि अभी लखनऊ शहर पर विचार किया जा सके।

श्री नेत इण्टर कालेज, इन्दपुर के लिये हस्तगत भूमि से सम्बद्ध किसानों के प्रार्थना-पत्र

*८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री नेत इण्टर कालेज, इन्दपुर, जिला देवरिया के लिये एक्वायर की गई भूमि के सम्बन्ध में किसानों का ३ मार्च, १९५८ का कोई प्रार्थना-पत्र भूमि लेने के विषय में जिलाधीश व शिक्षा मंत्री को मिला था? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कि उस भूमि से सम्बन्ध रखने वाले किसानों के कुछ आवेदन-पत्र मंत्री जी के पास आये थे?

श्री रामस्वरूप यादव—एक नोट के साथ एक शिकायत अवश्य आयी थी, वह जिलाधीश को भेज दी गई। जिलाधीश और जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया की यह राय है कि भूमि लेना आवश्यक है क्योंकि न तो कोई पास में बंजर भूमि है, और न किसी बड़े आदमी की भूमि पास में है और न उस बाग को काटकर, जो कि पास में है और जिसमें बहुत पेड़ हैं, उस कालेज को दिया जा सकता है। अतः कालेज के निकट यही भूमि है जिसको लेना आवश्यक है।

श्री उग्रसेन—कालेज के निकट एक बहुत बड़ा बाग है और उसी के पास बड़े-बड़े प्लाट्स भी हैं जो लिये जा सकते हैं। तो क्या, उन्हें लेकर इन छोटे-छोटे किसानों के प्लाट्स को छोड़ने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने अभी उत्तर में कहा था कि न तो किसी बड़े आदमी की काश्त इस कालेज के निकट है, बाग एक जरूर है लेकिन उसमें इतने ज्यादा वृक्ष हैं जिनका काटना उचित नहीं समझा जाता। छोटे ही किसानों की भूमि इस कालेज के पास है जिसको लेना वहां के कलेक्टर और इंसपेक्टर की राय में उचित समझा जाता है।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, टांडा की कुछ अध्यापिकाओं का ग्रेड संबंधी प्रार्थना-पत्र

*९—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में लड़कियों के ऐसे असरकारी इण्टर कालेज कितने हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल एक—आर्य कन्या इन्टर कालेज, टांडा, फैजाबाद।

*१०—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लड़कियों के इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं को वेतन प्रशासन द्वारा निर्धारित आधार पर ही दिया जाता है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त विद्यालय के केवल ५ अध्यापिकाओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित आधार पर वेतन दिया जाता है।

*११—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कितनी अध्यापिकाओं का सरकार द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम नहीं दिया जाता और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल ३ अध्यापिकाओं तथा १ पुरुष अध्यापक (कुल ४) को प्रशासन द्वारा निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनका मामला विभाग के विचाराधीन है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन तीन अध्यापिकाओं और एक पुरुष अध्यापक को अन्य अध्यापकों के समकक्ष वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रबन्धक ने यह सूचित किया है कि ये जो तीन अध्यापिकायें और एक अध्यापक हैं वे उस वेतन-क्रम को पाने के अधिकारी नहीं हैं और स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह नियम है कि पहले प्रबंध समिति विभाग को भेजती है कि किस वेतन-क्रम में अमुक अध्यापक को रखा जाय और अध्यापक को अधिकार होता है कि विभाग के सामने अपनी स्थिति को रखें और उसके बाद भी उसे शासन के सामने अपील करने का अधिकार होता है । इस वक्त प्रबन्ध समिति की राय यह है लेकिन यह तो विभाग के सामने विचाराधीन है । उन अध्यापकों को अपनी बात विभाग के सामने रखनी चाहिये ।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन अध्यापिकाओं ने अपने ग्रेड के बारे में मंडल निरीक्षिका को कब प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—तिथि तो मेरे पास नहीं है कि कब कब प्रार्थना-पत्र दिये गये लेकिन वहां की प्रबन्ध समिति ने विभाग को सूचित किया है कि इन कारणों की वजह से वे इस वेतन-क्रम को नहीं पा सकते और वह विभाग के सामने विचाराधीन है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम का मामला कब से विचाराधीन है ? क्या इसका कोई समय निश्चित है ?

श्री रामस्वरूप यादव—समय तो निश्चित नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि जब उलझनें दूर हो जायंगी तो विभाग जल्दी ही निर्णय ले लेगा । प्रबन्ध समिति का दृष्टिकोण यह है कि ये अध्यापक अस्थायी हैं, ट्रेन्ड नहीं हैं । तो दोनों को सुन कर ही फैसला हो सकता है ।

नगरपालिकाओं के अप्रशिक्षित अध्यापक

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं में ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जो untrained हैं और पांच वर्षों से महापालिका में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—८७ ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नियम के विरुद्ध ये ८७ अनट्रेन्ड अध्यापक क्यों रखे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिकाओं को जब ट्रेन्ड अध्यापक नहीं मिलते हैं तो वह अनट्रेन्ड रख लेती हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अनट्रेन्ड अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, हर एक के लिये अलग अलग है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को यह सलाह देंगे कि इन ८७ अध्यापकों में से बारी-बारी से ट्रेनिंग के लिये भेज दिये जांय ताकि सारे लोग ट्रेन्ड हो सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो इस वक्त भी स्थिति है कि नगरपालिकायें ट्रेनिंग के लिए अपने अध्यापकों को भेजती हैं। लेकिन ये अध्यापक ट्रेनिंग क्यों नहीं पा सके, इसका कारण तो मैं नहीं जानता। अभी एक प्रतिनिधि मंडल मिला था कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर जिला परिषद् के अध्यापक हैं उनके बारे में यह निश्चय हो चुका है कि जो ५ वर्ष से ज्यादा कार्य करते रहे हैं उनको ट्रेन्ड होना जरूरी नहीं है, उसी तरह से इनके लिये भी यह एक सुझाव है कि जो अध्यापक ५ वर्ष से ज्यादा नगरपालिकाओं में काम कर चुके हैं उनको भी उस प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया जाय।

परिवहन विभाग के पदों का स्थायित्व

*१३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६० तक कुल कितने पद स्थायी घोषित किये गये हैं, तथा उन पदों पर कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद जेल से प्रोबेशन पर छोड़े गये कैदी

*१४—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जेल से १ जनवरी, १९५८ से लेकर २४ अप्रैल, १९६१ तक कितने कैदी प्रोबेशन पर छोड़ गये ?

डाक्टर सीताराम—२७।

*१५—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त छूटने वाले कैदियों में ऐसे कैदियों की संख्या क्या है जिनको छोड़ने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों ने अनुमोदन नहीं किया था ?

डाक्टर सीताराम—१२।

*१६—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अवधि में उक्त जेल से प्रार्थना-पत्र देने वाले ऐसे कैदी कितने हैं जिनके सम्बन्ध में जिलाधीशों ने छोड़ने के लिये अनुमोदन किया था और वे नहीं छोड़े गये ?

डाक्टर सीताराम—१।

बस्ती जिले में नवीन जूनियर हाई स्कूल न खुल सकना तथा दो मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान न मिलना

*१७—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में १९६० में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने, १० जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये स्थानों के नाम आमन्त्रित जिला परिषद् से मांगे थे और परिषद् ने वहां से दसों स्थानों के नाम लिख कर भेज दिये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से वे स्कूल अभी तक नहीं खोले गये ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं। केवल पांच प्रस्ताव मांगे गये थे और पांच ही प्राप्त हुये। आर्थिक कठिनाई के कारण योजना स्थगित कर दी गई जिससे स्कूल नहीं खुल सके।

*१८—श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने प्राइमरी स्कूल और कितने जूनियर हाई स्कूल, बस्ती जिले में खोले गये तथा उनके भवन निर्माण हेतु कितना धन सरकार द्वारा दिया गया? क्या उस धन का उपयोग हो गया है?

आचार्य जुगलकिशोर—

(१) खोले गये स्कूलों की संख्या :—

	१९५८-५९	१९५९-६०
प्राइमरी	५४	५८
जूनियर हाई स्कूल	—	—

(२) भवन निर्माण के हेतु अनुदान :—

	१९५८-५९	१९५९-६०
	०	०
प्रा० स्कूल	१,०७,०००	२२,५००
जूनियर हाई स्कूल	—	—

(३) धन के उपयोग की सूचना अपेक्षित है।

*१९—श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूल बस्ती जिले में हैं जिन्हें प्रारम्भिक अनुदान अभी तक नहीं मिला है?

आचार्य जुगलकिशोर—दो स्कूल हैं।

गरुड़ में शराब की दुकान बन्द करने के लिये शिष्टमंडल

*२०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गरुड़, जिला अल्मोड़ा में शराब की दूकान बन्द किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अप्रैल, १९६१ में आबकारी मंत्री व मुख्य मंत्री से मिला था? अगर हां, तो उनकी क्या मांगें थीं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

डाक्टर सीताराम—जी हां। शिष्टमंडल ने अगले वर्ष १९६२-६३ में गरुड़ की शराब की दुकान को बंद कर देने की प्रार्थना की थी जो कि शासन के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे क्या यह सही है कि डेपूटेशन में करीब-करीब कांग्रेस के सभी लीडर्स आये थे? यदि हां, तो ऐसी हालत में जबकि कांग्रेस की सरकार है, सरकार को यह बात मानने में क्या अड़चन है?

डाक्टर सीताराम—यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। सरकार के समक्ष जिस भी विचारधारा का व्यक्ति या समुदाय किसी प्रश्न को लेकर आता है, सरकार उस पर हमेशा विचार करती है। हां, यह बात सही है कि कांग्रेस के यहां पर केवल ७/८ आदमी आये थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को इसकी इत्तला है कि यह शिष्टमंडल जो मिलने आया था, उसी दिन संध्या के समय उसने इतनी शराब पी कि विधायक निवास नम्बर ३ में हुल्लड़ मचाता हुआ पकड़ा गया ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, विधायक निवास में जो भी कार्य उसने किया हो मुझे उसकी सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी को ऐसी सूचना मिली थी कि वह शाम को पिये हुये था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

राजकीय दीक्षा विद्यालय, अजीतमल की इमारत पर व्यय

*२१—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की जिला इटावा के अन्तर्गत जो राजकीय दीक्षा विद्यालय, अजीतमल में निर्मित हुआ है उसमें शिक्षण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रस्तुत शिक्षा सत्र से ।

*२२—श्री भजनलाल—क्या यह इमारत किसी ठेकेदार से निर्मित की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से ।

*२३—श्री भजनलाल—यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—निर्माण के आंकड़ा का प्रशासकीय अनुमोदन ३,४९,६०० रुपया । ठीक खर्चे की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

खर्चा ३,३८, ३२२ रुपया हुआ है ।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, इटावा के अन्तर्गत प्रस्तुत शिक्षा सत्र में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, निर्माण का प्रश्न था । संख्या के लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो विद्यालय की इमारत बनाई गई है उसमें कितने विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबंध है और कितने पा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—कितने शिक्षा पा रहे हैं, इस प्रश्न के लिये तो वह नोटिस मांग चुके हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, यह बता दें कि कितने विद्यार्थियों का प्रबंध है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह विद्यालय किसी ठेकेदार द्वारा निर्मित कराया गया है ? उसके खर्चे की जांच किसी आडिट द्वारा कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जांच किस चीज की कराई जाय ? जितना रुपया मंजूर था उसी के अन्दर काम हो गया और काम खराब होने की शिकायत माननीय सदस्य ने भी नहीं की है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस राजकीय दीक्षा विद्यालय, अजीतमल का एस्टीमेट क्या था और कितने पर ठेका मंजूर हुआ और कितना आखिर में व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—भवन के निर्माण के लिये ३ लाख ४९ हजार ६ सौ प्रशासकीय अनुमोदन द्वारा रुपया दिया गया और खर्चा....

श्री देवनारायण भारतीय—ठेका कितने में दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—ठेके की रकम के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिये उपाय

*२४—श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस साल की हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट परीक्षा में कितने लोग नकल करने के प्रयास में या नकल करते हुये पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन्टरमीडिएट परीक्षा के ४१४ तथा हाई स्कूल के ५७१ परीक्षार्थी।

*२५—श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में कितनी मार-पीट की घटनाओं का समाचार बोर्ड को मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१५।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो इतने नकल करते हुए विद्यार्थी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो झगड़े होते हैं, इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई विचार किया है ? यदि हां, तो क्या विचार किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस पर, श्रीमन्, विचार हुआ था और कड़ी कार्यवाही हुई जहां पर सेंटर्स थे उन लोगों के खिलाफ और उन विद्यार्थियों के खिलाफ भी। उसका नतीजा हुआ कि पारसाल से इस वर्ष कम लोगों ने नकल की है।

श्री गौरीशंकर राय—सरकार की इस कड़ी कार्यवाही के बावजूद भी १ हजार विद्यार्थी नकल करने में पकड़े गये और १५ स्थानों में नकल करने के सिलसिले में मार-पीट हुई, यह देखते हुए क्या सरकार सोचती है कि पुरानी कार्यवाही नाकाफी है, इसलिए दूसरे कुछ नये कदम उठाये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नये कदम की आवश्यकता नहीं है। कोशिश यह की जायगी कि और सख्ती की जाय जिससे भविष्य में और कम नकल करें। कई लाख लड़के परीक्षा में बैठते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नकल करते हुए या नकल करने का प्रयास करते हुए विद्यार्थियों की संख्या बतायी गयी है इनमें उन विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है जो मौके पर नहीं पकड़े गये लेकिन एग्जामिनर की रिपोर्ट पर जिन पर आरोप लगाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे तो कुल संख्या दी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन १५ जगहों पर मारपीट हुई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। कुछ में पुलिस जांच कर रही है और कुछ में विभागीय जांच हो रही है। एक मामला ऐसा है जो गैर दस्तअंदाजी में आता है। उसमें कुछ नहीं हो सका।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके जवाब को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि लड़के नकल करते हैं या नकल करने का प्रयास करते हैं और अगर उनको रोका जाय तो रोकने वालों पर हमला करते हैं, ऐसी हालत में सरकार ने कौन से उपाय अख्तियार किये हैं कि जो वहां इंतजाम करते हैं उनके शरीर की रक्षा हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, हमला करने का कारण यही नहीं है कि केवल नकल करने नहीं दिया जाता लेकिन उन लोगों ने हमले किये हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—वह स्पेसिफिक बात पूछ रहे हैं कि आपने इनविजिलेटर्स के संरक्षण के लिए क्या इंतजाम किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की तरफ से आदेश होते हैं। स्थानीय पुलिस भी तैयार रहती है और जो प्रिंसिपल होता है उसको मैजिस्टीरियल अधिकार दिये गये हैं और मेरे ख़याल में यह सबको मालूम होगा कि यह जब इम्तहान होता है तो पुलिस फाटकों पर पोस्टेड रहती है और सड़क पर भी चलती है, जहां पर कोई घटना होने की आशंका रहती है।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दो साल पहले नकल करने वालों की रिपोर्ट वहीं पर सुपरिंटेंडेंट को की जाती थी और अब यह सिस्टम कर दिया गया है कि अगर १० लड़कों के उत्तर एकसे मिल जाते हैं तो वे नकल किये हुए माने जावेंगे और ऐसे लड़कों को भी रोका गया है ?

श्री रामस्वरूपा यादव—१० लड़कों के उत्तर एकसा होने पर शंका होती है और उसकी जांच हो रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी ने जो संख्या बताई है और श्री देवीप्रसाद जी मिश्र, जो बोर्ड के सदस्य हैं, ने जो बताई है, क्या माननीय मंत्री जी अपनी भूल सुधार करेंगे या इसका कारण बतावें ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो मेरे पास सूचना थी वह मैंने दे दी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार की बतलाई हुई संख्या में एग्जामिनर्स द्वारा रिपोर्ट की हुई संख्या भी शरीक है ?

श्री अध्यक्ष—उनके उत्तर से जाहिर होता है कि नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं डेफिनिट नहीं हूं।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में हरिजन अध्यापक तथा वेतन-क्रम

*२६—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय आदर्श विद्यालयों में मार्च, १९६१ में कुल कितने स्थायी और अस्थायी सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे थे, उनमें कितने हरिजन थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित है:—

	स्थायी	अस्थायी	योग	हरिजन
प्रधानाध्यापक ..	२१	३९	६०	४
सहायक अध्यापक ..	३१०	२४९	५५९	३३
योग ..	३३१	२८८	६१९	३७

उपर्युक्त अध्यापकों के वेतन-क्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:—

(१) प्रधानाध्यापकों का वेतन-क्रम—

१—१२०—८—२००—६० रो०—१०—३०० रु०

२—७५—५—१२०—६० रो०—८—२०० रु०

३—७५—४—९५—६० रो०—५—१३० रु०

(२) सहायक अध्यापकों का वेतनक्रम—

१—जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये:—

६०—४—८०—६० रो०—५—१२० रु०

२—एच० टी० सी०/बी० टी० सी० अध्यापकों के लिये ४५—२—६५—६० रो०—३—८० रु०

*२७—श्री रामसमझावन—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है ? क्या सरकार उनके वेतन-क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। प्रधानाध्यापकों के तीसरे वेतन-क्रम ७५—४ ९५—६० रो०—५—१३० ० को दूसरे वेतन-क्रम ७५—५—१२०—६०रो०—८—२०० रु० के बराबर करने का विचार हो रहा है।

श्री रामसमझावन—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन अस्थायी अध्यापकों में अधिक से अधिक कितने समय से काम कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसमझावन—क्या सरकार एच० टी० सी० और बी० टी० सी० के अध्यापकों को जे० टी० सी० के बराबर करने की सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी इस का विचार नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—राजकीय आदर्श विद्यालयों में जो अध्यापक अपना अध्ययन करके योग्यता बढ़ा लेते हैं उनको वेतन-क्रम में कुछ वृद्धि दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वेतन-क्रम सीनियारिटी और नियमों के अनुसार मिलता है।

गांधी आदर्श विद्यालय, बढ़नी के बहालशुदा अध्यापक का वेतन भुगतान

*२८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के गांधी आदर्श विद्यालय, ग्राम बढ़नी, तहसील डुमरियागंज के जिन अध्यापकों को १९५९ में बरखास्त कर दिया गया था, वे आरबीट्रेशन बोर्ड से १९६० में निर्दोष साबित हुये और मय पिछली तनख्वाह के बहाल हुये ? यदि हां, तो उनका बकाया वेतन अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ऐसा केवल एक ही मामला था। उनका अवशेष वेतन १५ जून, १९६१ को पूरा-पूरा भुगतान कर दिया गया है।

*२९—३०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १—२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३१—३२—श्री झारखंडेराय—[हटा दिये गये।]

रोडवेज क्षेत्र, मेरठ में कण्डक्टरों का साक्षात्कार

*३३—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सहायक जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, मेरठ की ओर से २ अप्रैल, १९६१ के पत्र द्वारा १२ अप्रैल, १९६१ को कंडक्टर पद की लिखित परीक्षा के लिये करीब ४५० नवयुवक बुलाये गये जिनमें से ११७ छात्र उत्तीर्ण हो गये और साक्षात्कार में १०७ को प्रशिक्षण के लिये विभिन्न स्थानों पर प्रेषित भी कर दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। कथित परीक्षा में ४१४ व्यक्ति सम्मिलित हुये थे जिनमें १२३ सफल हुये, परन्तु इनमें से केवल १२० ही ट्रेनिंग के लिये उपस्थित हुये।

*३४—आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि १०७ प्रशिक्षित कन्डक्टरों को २२ मई, १९६१ को देहरादून में पुनः साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और करीब आधों को काम पर नहीं रखा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—ट्रेनिंग के पश्चात् दिनांक २२ मई, १९६१ को उक्त सभी व्यक्तियों को रीजनल सेलेक्शन कमेटी के सामने अन्तिम चुनाव के लिये बुलाया गया। परन्तु केवल ११५ ही उपस्थित हुये जिनमें से ६२ व्यक्ति चुने गये।

*३५—आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)—यदि यह ठीक है तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसा किस नियम के आधार पर किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—चूंकि नियुक्ति से पहले रीजनल सेलेक्शन कमेटी की स्वीकृति आवश्यक थी, इसलिये ट्रेन्ड व्यक्तियों को उक्त कमेटी के सामने इन्टरव्यू तथा मौखिक परीक्षा के लिये बुलाया गया।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेन्शन तथा सहायता

*३६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—विधान सभा के दिनांक १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४–५ और ६ के लिखित तथा अनुपूरक उत्तरों के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेंशनों तथा एकमुश्त सहायता की मद में जो १५,९०,८१३ रुपये दिये गये हैं इस वितरित हुई धनराशि की सूची, प्राप्तकर्त्ताओं के नाम और पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की पेंशनों तथा एक मुश्त सहायता की मद में १५,९०,८१३ रुपये का व्यय महांकिक से प्राप्त सूचना के अनुसार हुआ था। उसका जिलेवार ब्योरा प्राप्त कर्त्ताओं के नाम तथा पूरे पते सहित उक्त अधिकारी से मिलना असम्भव है। अतः वांछित सूचना नहीं दी जा सकती। जिन्हें इस समय पेंशनें मिल रही हैं उनकी सूची कार्यालय द्वारा तैयार की जा रही है। तैयार हो जाने पर वह सदन के समक्ष रक्खी जायेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यह सूचना संबंधित विभाग या विभागों से प्राप्त करके सदन की मेज पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—फेहरिस्त डिपार्टमेंट में तैयार हो रही है। उसमें वक्त लगेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—१४ अप्रैल, सन् ६१ को यह सवाल किया गया और आपका आदेश था कि जवाब मिलेगा। मगर फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह आपकी शिकायत है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी उस फेहरिस्त को प्रकाशित कराने की कृपा करेंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि किनको पेंशन मिल रही है और वे सचमुच पेंशन के हकदार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दिया है कि १९५८-५९ की तो दी नहीं जा सकती। अब इस समय जिनको पेंशन मिल रही है, पुराने नाम हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिये आजकल की लिस्ट तो वह सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कह दिया है।

श्री मारकंडेराय—क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि उसे लोगों को जो अधिक जेल यातना भी नहीं सहे, न उनकी उम्र ही बहुत ज्यादा है, अधिक पेंशनें दी गई हैं बनस्बित उनके जो अधिक जेल यातनायें भुगते हैं, उम्र भी ज्यादा है, और क्या सरकार ऐसे मामलों की जांच करके उन्हें ठीक करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—शिकायतें आयेंगी तो जरूर जांच करके उस पर फैसला होगा।

नगरखान स्कूल का अनुदान बन्द न करने के संबंध में श्री गोवर्धन तिवारी को सरकार का पत्र

*३७—श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर), श्री शिवराम (जिला बिजनौर), श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री हिम्मतसिंह, श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद) तथा आचार्य दीपंकर—क्या शिक्षा मंत्री उनके द्वारा श्री गोवर्धन तिवारी भू० पू० एम० एल० ए० को लिखे गये पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेंगे जिसमें उन्होंने तिवारी जी के ४ जनवरी, १९६१ के पत्र का उत्तर दिया है और जिसमें २३ दिसम्बर, १९६० के "कुमाऊं राजपूत" में छपी खबर का खंडन किया गया, ताकि दिनांक ४ मार्च, १९६१ को "शक्ति पत्रिका" (अल्मोड़ा) में श्री गोवर्द्धन तिवारी द्वारा छापे गये मंत्री के पत्र के बारे में पूरी व सही जानकारी सदन व जनता की हो सके ? क्या नगरखान स्कूल को पत्र में लिखा अनुदान दे दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री गोवर्द्धन तिवारी को लिखे गये पत्र दिनांक १० फरवरी, १९६१ की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। जूनियर हाई स्कूल नगरखान को उपर्युक्त पत्र में लिखे हुये अनुदान का भुगतान नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७० पर)

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, नगरखान को रुपया अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने यह लिखा कि यह मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं होते उनको रुपया इस तरह से इस मद से नहीं दिया जा सकता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस स्कूल की वहां नितान्त आवश्यकता है और धनाभाव के कारण कल को वह स्कूल बन्द भी हो सकता है, इसलिए उसको रिकग्नाइज करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मान्यता के नियम बने हुए हैं। छात्र संख्या और एन्डाउमेंट तथा सुरक्षित फंड यह सब देख कर के ही जो सम्बन्धित अधिकारी होते हैं वह मान्यता देते हैं और मान्यता देने के बाद में ही सरकार की तरफ से अनुदान का प्रश्न उठता है।

लखनऊ-कानपुर तथा लखनऊ-सीतापुर बस रूट पर वापसी टिकट

*३८—श्री अहमद कल्ला (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से सीतापुर आने-जाने वाले मुसाफिरों को रोडवेज में वापसी टिकट मिलते हैं ? यदि हां, तो ऊपर लिखी हुयी जगहों के अलावा और किन-किन लाइनों पर वापसी टिकट मिलते हैं और किन-किन पर नहीं मिलते हैं, जिन लाइनों पर ऐसे टिकट दिये जाते हैं उसका क्या आधार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह बात लोअर क्लास के मुसाफिरों के सिलसिले में लखनऊ-कानपुर और लखनऊ-सीतापुर पर चलने वाली रोडवेज बसों के सिलसिले में सही है।

वापसी टिकट नत्थी "क" में दर्ज लाइनों पर भी मिलते हैं। नत्थी "क" के अलावा और सभी लाइनों पर जहां रोडवेज बसें चलती हैं ऐसी सुविधा नहीं है।

ऐसे टिकट इस आधार पर दिये जाते हैं कि उन लाइनों पर रोजाना आने व वापस जाने वाले मुसाफिरों की तादाद ज्यादा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

*३९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[११ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिले में प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद जिले तथा नगर में कितने प्राइमरी स्कूल नये खोले जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत इलाहाबाद जिले में ४९० नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे तथा इलाहाबाद नगर में १९६१-६२ में १० नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर के लिये तो बताया, लेकिन ६१-६२ में पूर्ण जिले में कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अभी जिले में निश्चित नहीं हुआ है कि लड़कों के कितने और स्कूल खोले जायेंगे। पूरी संख्या मैंने दे दी कि ४९० नये स्कूल खोले जायेंगे १९ नगरों में १९६१-६२ में। अभी तक जहां तक रूरल एरिया का संबंध है उसका निश्चय नहीं हुआ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों को खोलने में कितना धन व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही है। पहले साल में एक टीचर का स्कूल खुलता है।

श्री अध्यक्ष—यानी आपके पास फिगर्स नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—फिगर्स नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अग्रवाल—इलाहाबाद जिले में खुलने वाले स्कूलों के संबंध में क्या अन्तरिम जिला परिषद् से प्रत्येक साल के लिये या सामूहिक रूप से सिफारिश मांग ली गई है कि कहां-कहां ये स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अन्तरिम जिला परिषद् ही इंसपेक्टर आफ स्कूल्स से परामर्श करके यह स्कूल खोलते हैं।

*४१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—[११ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३—श्री लक्ष्मणराव कदम—[११ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

हल्द्वानी-रानीखेत-अल्मोड़ा रूट पर बस सर्विस से आय तथा हल्द्वानी-खैरना बस सर्विस की मांग

*४४—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी-रानीखेत-अल्मोड़ा रूट पर चलने वाली रोडवेज की बसों पर सरकार को पिछले तीन सालों में कितना नफा या नुकसान पूरे खर्चे (Running cost व depreciation) काट कर हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह देना सम्भव नहीं है, क्योंकि फायदा नुकसान का लेखा पूरे रीजन का बनाया जाता है।

*४५—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी से खैरना हो कर जो नया मोटर मार्ग अल्मोड़ा को बना है उससे अल्मोड़ा उपर्युक्त रोडवेज की रूट के मुकाबिले कितना निकट पड़ता है तथा इस पर अभी रोडवेज की बसें क्यों नहीं चलायी जा रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—लगभग २३ मील का अन्तर है। हलद्वानी से अल्मोड़ा वाया खैराना मार्ग के० एम० ओ० यू० लिमिटेड को, रानीखेत-अल्मोड़ा मार्ग, जो पहले उनके पास था, के बदले में चलने के लिये दे दिया गया था। रानीखेत-अल्मोड़ा मार्ग पर दिनांक १ मई, १९५८ से रोडवेज बसें चल रही हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २३ मील छोटा शार्ट कट रूट बनाया गया है उसमें सरकार का ३६ लाख रुपया खर्च किया गया है और उस शार्ट कट रूट पर बसें नहीं चल रही हैं, बल्कि लांगर रूट पर चल रही हैं, इसलिये वे खाली चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं यह नहीं कह सकता कि इस पर कितनी रकम सर्फ हुई है। दूसरी बात के लिये मैंने पहले अर्ज कर दिया है।

अतारांकित प्रश्न

तृतीय योजना में आबकारी विभाग की योजना न होना

१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या आबकारी मंत्री राज्य सरकार के आबकारी विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम— तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में आबकारी विभाग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्नों के उत्तर में अत्यधिक विलम्ब की शिकायत

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—मुझे प्रश्नों के संबंध में यह कहना है कि मेरा एक प्रश्न था। उस प्रश्न को जो मुझे लौटाया गया है उसमें यह लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पर अगले वर्ष विचार किया जायगा। प्रक्रिया नियमावली के अनुसार एक वर्ष से अधिक मियाद किसी प्रश्न के उत्तर देने की नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—मेरे दफ्तर में आप आइये। मैं फाइल मंगाकर देखूंगा। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि यह कैसे हुआ। आप कृपा कर मेरे दफ्तर में आने का कष्ट करें।

देहरादून के चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—देहरादून के चाय बागान के मजदूरों के बारे में श्री सारखंडेराय ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है। मैं उस पर नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृति देकर तारीख मुकर्रर करूंगा। चूंकि यह बहुत दिनों से चल रहा है इसलिये इसको पहले रोज आना चाहिये था यदि कामरोको प्रस्ताव के रूप में वह आता, किन्तु अब उसमें जल्दी नहीं मालूम होती है। उसका तत्काल महत्व मालूम नहीं होता है, इसलिये मैंने उसको नियम ५२ के अन्तर्गत ले लिया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—एक प्रस्ताव मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत भेजा है।

श्री अध्यक्ष—अब जो और नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव आये हैं मैं उनको अच्छी तरह से देख नहीं पाया हूं। पहला यह कामरोको प्रस्ताव था उसको मैंने नियम ५२ में स्वीकार कर लिया है। बाकी जो और प्रस्ताव हैं उनको मैं देख नहीं सका हूं। वे अगर महत्व के होंगे तो मैं उन पर फिर विचार करूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारसी)—मेरा एक प्रस्ताव बड़े महत्व का था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मेरा भी एक प्रस्ताव बड़े महत्व का था। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि मैं उनको अभी देख नहीं पाया हूं।

मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल एक मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास के प्रस्ताव की प्रतिलिपि समाजवादी दल की तरफ से भेजी गई थी। उसके विषय में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—अविश्वास के प्रस्ताव का नियमानुसार क्रम करीब-करीब अन्त में आता है।

प्रदेश के विभिन्न भागों में हैजे की बीमारी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य की प्रतिलिपि है वह बहुत लम्बी है। तो मुनासिब यह होगा कि जो इसमें आंकड़े हैं उनको पढ़ दिया जाय क्योंकि यह वक्तव्य सदस्यों को बंट चुका है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं पूरा वक्तव्य पढ़ने में समय लगेगा। इसमें इसकी प्रस्तावना को पढ़ दिया जाय तो काफी हो जायगा।

श्री धर्मसिंह—इसको आंशिकरूप से पढ़े देता हूं। मान्यवर, यह टिप्पणी इस प्रकार है—

दस वर्ष पहले भारत में हैजे से प्रति वर्ष लगभग ३,००,००० व्यक्तियों की मृत्यु होती थी, जिनमें से उनके लगभग १/६ भाग की मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती थी। किन्तु पिछले १० वर्षों के दौरान में, खासकर १९५० से हैजे से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। १९५० से पहले प्रति वर्ष मृत्यु संख्या ५०,००० थी, जबकि १९५०–५८ की औसत मृत्यु संख्या प्रति वर्ष लगभग ७,००० है। इस प्रकार मृत्यु संख्या घट कर १/७ रह गयी है। यह कमी मुख्यतया महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लागू किये जाने के कारण हुई है, किन्तु इन सब

[श्री धर्मसिंह]

उपायों के बावजूद हैजा अतिसार (Gastro-enteritis) का प्रकोप आमतौर पर इस राज्य में गरमी के महीनों में होता है। यह बीमारी आमतौर पर मार्च-अप्रैल में शुरू होती है, अप्रैल-मई में एकाएक बढ़ जाती है और जून में इसका प्रकोप सबसे अधिक हो जाता है और मानसून आने पर जुलाई में कम होने लगती है, लेकिन कभी-कभी अगस्त में फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और फिर कम होने लगती है और नवम्बर तक वह काफी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जो काफी बड़ी संख्या में मेले लगते हैं, मुख्यतया उन्हीं के कारण हैजा-अतिसार का प्रकोप होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग ४०० मेले लगते हैं और भारत में तीर्थ यात्रा तथा मेलों के सबसे अधिक स्थान इसी प्रदेश में हैं जिनमें से कुछ अखिल भारतीय महत्व के हैं। हैजा तथा अतिसार का इन मेलों से निश्चित संबंध है और इसका प्रमाण यह है कि पिछले वर्षों में खासतौर पर जब कभी कुम्भ और अर्द्ध-कुम्भ के मेले लगे तब हैजे-अतिसार का प्रकोप असाधारण रूप से बढ़ गया। बड़े-बड़े मेलों में न सिर्फ इस राज्य के ही निवासी जाते हैं बल्कि सारे भारत से लाखों की तादाद में लोग इन मेलों में आते हैं और प्रायः भारत और नेपाल राज्य में हैजे के स्थानीय क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्री इन मेलों में अपने साथ हैजे की बीमारी लाते हैं और इन मेलों के आखिर में व्यापक रूप से महामारी फैलने लगती है। हैजा-अतिसार का प्रकोप गरमी से महीनों में आमतौर पर इस कारण होता है कि इस राज्य में बड़ी संख्या में मेले शुरू गरमी के दिनों में लगते हैं खासकर राज्य के पूर्वी जिलों जहां पर मौसम पश्चिमी जिलों की अपेक्षा एक महीने पहले ही अनुकूल हो जाता है। सिर्फ मार्च-अप्रैल के ही महीने में इस राज्य में प्रति वर्ष सौ से भी ज्यादा मेले लगते हैं और लगभग ३० लाख से ज्यादा लोग इन मेलों में इकट्ठे होते हैं। अगस्त के महीने में हैजे की बीमारी में जो थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है उसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा मक्खियों के कारण होता है जो कि इस महीने में बहुत अधिक हो जाती हैं। बीमारी के फैलने में और जो बातें सहायक होती हैं वे ये हैं—

(१) मई और जून के महीनों में भारी तादाद में शादियों का होना।

(२) अप्रैल में मोटे अनाजों की जो नई फसल कट कर तैयार होती है वह भी मालूम पड़ता है कि अतिसार की शिकायत पैदा करने में सहायक होती है और जब नया अनाज इस्तेमाल किया जाता है उस समय दस्त की शिकायत आमतौर पर पाई जाती है। इसके कारण अक्सर हैजे का रोग पैदा हो जाता है।

(३) रहन-सहन की प्राचीन स्थितियां और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी निम्नस्तर।

(४) रोगाणु रहित पीने के पानी की सप्लाई की कमी।

(५) अस्वास्थ्यकर भोजन करने की आदतें।

(६) मनुष्यों और पशुओं के मल आदि (Waste) का अस्वास्थ्यकर रूप से निस्तारण।

आगे कुछ आंकड़े दिये हैं, उन्हें मैं छोड़े देता हूं।

ऊपर दिये हुये आंकड़ों से यह प्रकट होगा कि पहले की अपेक्षा वर्तमान १० वर्षों की अवधि में हैजे से विनाश काफी कम हुआ।

जहां तक वर्ष १९६१ का संबंध है, यह मान लेना गलत न होगा कि यदि बरसात के अगले महीनों में एकाएक फिर से इस बीमारी का प्रकोप न हुआ तो १९६० की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति हर तरह से पहले की अपेक्षा काफी अच्छी रहेगी क्योंकि यह बीमारी कम हो रही है और आम तौर पर अगस्त से पहले की अपेक्षा अगस्त से अक्तूबर तक इस बीमारी का प्रकोप कम रहता है। १९६१ की महामारी वाराणसी की पंचकोशी यात्रा के साथ शुरू हुई थी जिसमें तीर्थयात्री यात्रा के मार्ग से होकर चल रहे थे और इन तीर्थ यात्रियों में से बहुत से बंगाल, बिहार और मद्रास

जैसे हैजे के स्थानीय क्षेत्रों से आये थे। इस यात्रा में यह बीमारी बाहर से आई थी और मेले से लौटने वाले यात्री अपने साथ इस बीमारी को जौनपुर, गाजीपुर, बिजनौर और आजमगढ़ के पड़ोसी जिलों में ले गये और बाद में यह बीमारी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के जिलों में भी पहुंची। यह बीमरी लखनऊ नगर में भी इसी यात्रा से पहुंची और इसमें अचानक तौर पर हैजे से लोगों का बीमार पड़ना शुरू हो गया और उसकी रोकथाम के लिये उपयुक्त उपाय किये जा रहे थे जबकि उसी समय शहर के महानगर में अशरा मेले से इस बीमारी के फैलने के कारण एकाएक तेजी से इसका प्रकोप बढ़ गया।

हैजा-अतिसार के प्रकोप और प्रसार की रोकथाम करने के लिये आमतौर पर यह उपाय किये जाते हैं:—

इसको भी माननीय सदस्य स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं।

उपर्युक्त उपायों की उपयोगिता कुम्भ और अर्धकुम्भ जैसे बड़े तथा महत्वपूर्ण मेलों के अवसर पर सिद्ध हो चुकी है और हैजे के फैलने को रोकने तथा उसके प्रकोप का सामना करने में भी ये उपाय आंशिक रूप में सफल हुये हैं फिन्तु जब तक सब जगह तथा सभी के लिये पीने के साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित न हो और जब तक लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों में आमूल परिवर्तन न हो तथा हैजे का उसके स्थानीय क्षेत्र (Endemic Home) में समूल नाश न हो तब-तक हैजे की बीमारी के सम्पूर्ण विनाश की आशा नहीं की जा सकती। इसे सभी मानेंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कुछ वर्ष लग जायेंगे।

श्रीमन्, इसमें लखनऊ नगर में हैजे का प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिये किये गये उपायों का जिक्र किया गया है। २७ जून, १९६१ को अचानक हैजा फैलने की पूर्व स्थिति ठीक उसी प्रकार की थी जैसी कि पिछले वर्षों में थी.....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, जो छपा हुआ स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं, वह तो हम लोगों को मिल चुका है। उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, हम लोग सवाल पूछ लें, उसका जवाब मिलना चाहिये, वह ठीक रहेगा?

श्री अध्यक्ष—चूंकि यह स्टेटमेंट सब माननीय सदस्यों को मिल गया है, इसलिये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह यहां पढ़ा हुआ ही समझा जायगा।

(पूरे वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७२–३९० पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस स्टेटमेंट में पहले पृष्ठ पर, ऊपर से तीसरी पंक्ति में, यह बताया गया है कि १९५० से पहले प्रति वर्ष मृत्यु संख्या ५०,००० थी, जब कि १९५०–५८ की औसत मृत्यु संख्या प्रति वर्ष लगभग ७,००० है। उसके आगे नीचे जो रजिस्टर्ड औसत वार्षिक मृत्यु संख्या दी गयी है उसमें यह बताया गया है कि १९३७–४१ तक की संख्या ३६,६६७ है १९४२–४६ तक की संख्या ४०,३३३ और १९४७–५१ तक की संख्या २५,९०२ है। इन दोनों जगह जो संख्या दी गयी है उसमें काफ़ी अन्तर है। तो हम किस संख्या को सही मानें?

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल स्पष्ट है कि इनमें परस्पर विरोध है। इसका कारण माननीय मन्त्री जी बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—१९५० के जो आंकड़े हैं वे उस जमाने के हैं जब कि आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो व्यवस्था थी वह ज्यादा संतोषजनक नहीं थी और उस समय की किन्हीं पुस्तकों में जो बराबर आंकड़े नहीं रहते थे। यह जो ५० हजार की संख्या दिखायी गयी है वह उन्हीं पुस्तकों से ली गयी है और उनमें ही उसका वर्णन था। यह प्रारम्भ का नोट उसी में से लिया गया है.....

श्री अध्यक्ष—आप का मतलब यह है कि वह सही नहीं है और नीचे जो संख्या दी गयी है वह सही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो आंकड़े बाद में ब्योरेवार दिये गये हैं, जिले के हिसाब से, वे सही हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—पहले वाले अंतर्मुखी आंकड़े हैं और बाद वाले वस्तुस्थिति के आंकड़े हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक और इसी तरह का प्रश्न है। दूसरे पृष्ठ पर ऊपर तो लिखा है कि "यह बीमारी लखनऊ नगर में इसी यात्रा से पहुंची और इसमें छुटपुट तौर पर हैजे से लोगों का बीमार पड़ना शुरू हो गया और उसकी रोकथाम के लिये उपर्युक्त उपाय किये जा रहे थे, जब कि उसी समय शहर के महानगर में अशरा मेले से इस बीमारी के फैलने के कारण एकाएक तेजी से इसका प्रकोप बढ़ गया।" नीचे उसकी रोकथाम के उपाय वाले पैरे में लिखा है कि "इस वर्ष हैजा फैलने के कोई ऐसे आसार नहीं थे कि उस की रोक-थाम के लिये बड़े पैमाने पर कोई विशेष उपाय किये जायं।" तो ऊपर के पैराग्राफ से तो यह पता चलता है कि उनको सूचना थी और नीचे के पैराग्राफ से यह पता चलता है कि उनको सूचना ही नहीं थी। तो इन दोनों बातों में इतना विरोधाभास क्यों है?

श्री अध्यक्ष—पहले भी तो हैजा हुआ करता था थोड़ा बहुत, उसकी रोक-थाम करते थे। इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह संतोष है कि इस वर्ष लखनऊ और उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में हैजा फैला?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लखनऊ में तो कम नहीं फैला। लखनऊ में तो और सालों से कुछ ज्यादा फैला है। सरकार ऐसा नहीं मानती है कि और सालों से कम फैला है।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने यह पूछा कि इस साल हैजे की प्रगति को रोकने या खत्म करने की सरकार की कोशिश कम रही है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय का सवाल पूछ रहे हैं। आप यह पूछें कि हैजे की संख्या कम हुई या ज्यादा?

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष हैजे की जो स्थिति थी, उसमें रोकथाम की दृष्टि से प्रगति हुई या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रोकथाम जितनी होनी चाहिये थी, उतनी जगह-जगह पर की गयी है। प्रगति का जो विषय है वह तो एक तुलनात्मक विषय है। इस विषय में कोई उत्तर देने में मैं इस वक्त असमर्थ हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पृष्ठ संख्या ५ पर देखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर और जिले की संख्या बिलकुल नहीं दी गयी कि कितने हैजे से मरे, यद्यपि मेरी सूचना है कि ८०० आदमी मरे। लेकिन इसमें उस जिले का नाम नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है? जो प्रश्न किया गया था, उसमें मरे बताये गये और इसमें नहीं है यह कैसे?

श्री धर्मसिंह—जो प्रश्न में उत्तर दिया गया है उसमें १ व्यक्ति के बारे में कहा गया है और १ व्यक्ति के बारे में उत्तर में कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—प्रस्तावना की चौथी पंक्ति में कहा गया है कि मृत्यु संख्या घटाकर १/७ रह गयी है, तो अगर १० वर्ष में ६/७ भाग रह गया है तो क्या सरकार यह बतायेगी कि अगले कितने सालों में मृत्यु संख्या को वह बिल्कुल खत्म कर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसके कम करने की चेष्टा की जा रही है। अब ऐसी स्थिति आ जाय कि वह न संभल सके तब वह संख्या जितनी है उतनी ही बनी रह सकती है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार आंकड़ों के अनुसार जौनपुर जिले में जो सब से अधिक यानी १५ जुलाई तक ढाई हजार आदमी बीमार पड़े और ९ सौ मर गये तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—व्यवस्था का विवरण तो इसी वक्तव्य में दिया गया है, माननीय सदस्य उसे देख लें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतावेंगे कि इन जिलों में जो निरन्तर पिछले कई वर्षों से लोग हैजे के सबसे ज्यादा शिकार हुये हैं, वह ज्यादातर उन जिलों के हैं जो अभावग्रस्त हैं या जहां का जीवनस्तर नीचा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक हैजे की बीमारी का सम्बन्ध है, उससे स्तर के नीचे होने से कोई सम्बन्ध तो है नहीं। हैजे की बीमारी तो सभी जिलों में होती है, पश्चिमी जिलों में भी होती है। इसलिये कम खाने से या स्तर के ऊंचा या नीचा होने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में जो इस साल हैजा फैला, उसका मुख्य कारण एक यह भी था कि वाराणसी की पंचकोशी यात्रा में जो यात्री गये थे वे परिक्रमा करने के बाद वहां से हैजे की बीमारी अपने साथ लाये और अन्य भागों में उनसे यह बीमारी फैली ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचकोशी यात्रियों के यात्रा पर कोई रोकथाम करेगी या उनको टीका वगैरह की किसी व्यवस्था की बात सोच रही है या करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेलों में रोकथाम करने के सम्बन्ध में सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि रोकथाम कर दी जाय, क्योंकि यदि सरकार ऐसा करे तो बहुत से समाज के तत्व उसका विरोध भी करेंगे और बुरा भी मानेंगे, लेकिन मेलों के सम्बन्ध में जो तजुर्बा हमको मिलता है, उससे हम फायदा उठाते हैं। उनमें इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं जिससे कि वहां सफ़ाई इत्यादि अधिक रख कर और उन तमाम कार्यों को पूरा कर के जिनसे हैजा रोका जा सकता है, हम उनकी व्यवस्था करते हैं जिससे हैजा की बीमारी उनके बीच में रोकी जा सके।

श्री अध्यक्ष—एक प्रश्न उन्होंने यह भी किया था कि मेले में पहले से टीका लगाकर यात्रा में जा सकें, इसकी व्यवस्था करेंगे क्या आप ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां-जहां इस प्रकार के अवसर आते हैं और हमें तजुर्बा दे जाते हैं कि इस मेले में हैजे वाले आते हैं तो वहां अवश्य टीका और अन्य व्यवस्था की जाती है और करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार ने वक्तव्य में दो कारण बताये हैं, जिनसे हैजा फैलता है, एक मेला और दूसरा शादियां। मेले के कारण जो हैजा फैलता है, उसका रोकथाम के उपाय भी बताये हैं, टीका बताया है, लेकिन शादी के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किया ?

श्री अध्यक्ष—उनका जवाब यह है कि शादी न करें। (हंसी)

श्री माताप्रसाद—क्या आदरणीय मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग के कर्मचारी और उनकी गाड़ियां जहां पर हैजा बड़े जोरों से फैला हुआ हो वहां पर जायें और हेल्थ विभाग के अधिकारियों की सहायता करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था कि मलेरिया इंस्पेक्टर्स कई स्थानों पर हैजे की बीमारी को रोकने के संबंध में नहीं गये, तो आदेश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंध रखता है, जब किसी स्थान पर हैजा फैले तो उसकी रोकथाम में उसी प्रकार से कार्य करे जिस प्रकार की हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ और उनके तहत में काम करने वाला स्टाफ करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जब यह सूचना मिल चुकी थी कि पंचकोशी यात्रा से हैजा इस प्रकार से बढ़ रहा है और लखनऊ में भी हैजे से लोग बीमार पड़ने लगे थे तब (१) सरकार ने विशेष पैमाने पर प्रबन्ध महानगर में क्यों नहीं किया ? (२) एक कुआं क्यों छोड़ दिया गया, जिसमें कोई दवा वगैरह नहीं डाली गयी ? (३) जो उचित सलाह दी गयी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को, वह क्या दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उचित सलाह जो नगरपालिकाएं और उसके नीचे काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय से देते हैं वह यह होती है कि खाद्य पदार्थ, खास कर मिठाइयां इत्यादि खुली रख कर न बेची जायं। उन पर मक्खियां इत्यादि न बैठने पायें और लोग पोटेशियम परमैंगनेट पड़ा पानी पीयें। जहां कुएं हों वहां या तो स्वतः पोटेशियम परमैंगनेट मंगा कर या नगरपालिका से प्राप्त करके डाल दें। जहां हैजे की संभावना होती है वहां जो व्यवस्था की जाती है, वह वहां भी की गयी। जिस कुएं की चर्चा की गयी कि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं डाला गया, उत्तर में बतला दिया गया है कि अधिकारियों को यह बताया गया कि उस कुएं का पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कुएं के नजदीक ही नल का पाइप लगा हुआ है जहां से लोग पानी पीते हैं और लेते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैंने सरकार के वक्तव्य को आद्योपान्त पढ़ा, इसमें कहीं भी शाहजहांपुर का नाम नहीं है। मैं अपनी जानकारी से जानता हूं कि शाहजहांपुर में हैजा फैला, हजारों व्यक्ति बीमार हुए और सैकड़ों मरे, लेकिन इसमें उनका जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के साथ यह अन्याय क्यों किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि ऐसा हुआ था तो माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सचिवालय या किसी अन्य स्थान पर ऐसी सूचना क्यों नहीं दी ?

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दी, हां, सचिवालय को नहीं दी। मैं उनको लिवा ले गया था और गांवों में और वहां इलाज का प्रबन्ध कराया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्योंकि पहले सूचना एकत्रित करने की एजेन्सी ठीक नहीं थी, जिससे ५० हजार की संख्या में २५ हजार का फर्क पड़ गया.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि ५० हजार की संख्या तो किसी किताब में गलत छप गयी थी, लेकिन अब तो जो उन्होंने डिटेल दी है वह ३७ और ४१ हजार की थी। इसको नोट कर लीजिए कि ५० हजार की फिगर गलत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पहले जो एजेन्सी थी उसमें और इस समय जो एजेन्सी है फिगर्स इकट्ठा करने की, उन दोनों में कोई फर्क है जिसकी वजह से फर्क मृत्यु संख्या में पड़ा? क्या ग्राम सभाओं और म्युनिसिपेल्टीज से भी फिगर्स इकट्ठे किये जाते हैं अथवा केवल अस्पतालों से ही किये जाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले तो चौकीदार मृत्युओं के बारे में थाने में लिखाया करते थे और यह व्यवस्था कोई संतोषजनक नहीं थी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुझे इस प्रदेश के बहुत से स्थानों में जाने का मौका मिला और ऐसे समय जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ जब कि वहां हैजे की बीमारी तेजी से फैली हुई थी। तो उस जगह पर जा कर जहां आदमी गाड़े जाते थे मैंने देखा और जब आंकड़े आये तब मैंने देखा कि उनमें बहुत अन्तर था। १९४७–४८ में इसका असर मेरे ऊपर यह पड़ा कि आंकड़े सही नहीं आते। इस प्रश्न पर विचार किया गया और उत्तरोत्तर पुरानी पद्धति में परिवर्तन लाने की चेष्टा की गयी और यह कार्य गांव सभाओं को दिया गया। अब वहां के आंकड़े आते हैं। वे फिर जिला स्तर पर इकट्ठे किये जाते हैं, वहां से स्वास्थ्य सचिवालय में आते हैं और यही आंकड़े यहां आपके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं। यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि अब भी इन तमाम आंकड़ों से मैं संतुष्ट नहीं हूं जैसा कि मैं पहले भी नहीं था, लेकिन इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि पहले जिस प्रकार से मृत्यु संख्या लिखी जाती थी उसमें भारी परिवर्तन हुआ है और पहले से इम्प्रूवमेंट है।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बांदा जिले में बरसौंदा गांव में ५० आदमी हैजे से मरे और सैकड़ों बीमार हैं, वहां के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे आपने यह सूचना दी है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और उचित प्रबन्ध कराऊंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि इसका क्या कारण है कि १९५२ से ५६ तक मरने वालों की रजिस्टर्ड संख्या ५,७८४ थी, लेकिन १९५७–५८ में वह १०,११८ यानी दुगनी हो गयी?

श्री अध्यक्ष—यह पुराने इतिहास का प्रश्न है, इसकी इजाज़त मैं नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उसके बाद स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सेफगार्ड्स लिये जाते हैं। पिछले साल लखनऊ में बाढ़ आयी, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद उचित व्यवस्था सेनीटेशन आदि की नहीं की गयी, क्या इस प्रकार की कोई राय डाक्टरों अथवा अन्य लोगों से मंत्री जी को प्राप्त हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मैं नहीं जानता कि किसी ने ऐसी राय दी। लेकिन मैंने जब पिछले और इस साल के आंकड़ों का अध्ययन किया तो मैंने स्वयं कहा कि पहले का आना तो इसका कारण नहीं हो सकता, कहीं ऐसे स्थान रह गए हों जहां सफ़ाई इत्यादि न हुई हो तो अधिकारियों ने यह उत्तर दिया कि मेरा यह अनुमान ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी नगरमहापालिका के अन्तर्गत आज एक महीने से अधिक से सफ़ाई मजदूरों की जो हड़ताल चल रही है, उसके कारण भी वहां पर हैजे का प्रकोप बढ़ रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की सूचना तो है कि वहां हड़ताल चल रही है और साधारणतः जो आदमी सफ़ाई आदि का काम करते थे, वे काम नहीं कर रहे हैं। ताहम वहां की नगर महापालिका ने काफ़ी मात्रा में सफ़ाई इत्यादि का प्रबन्ध किया है। हो सकता है कि किसी स्थान पर सफ़ाई इत्यादि न हुई हो और उसकी वजह से वहां हैजे की बीमारी हुई हो।

श्री राजनारायण—जब सरकार की जानकारी में यह बात है कि एक महीना से अधिक हो गया, वहां के सभी सफाई मजदूरों ने हड़ताल की है और नगर महापालिका अपने प्रयत्न के बावजूद भी सफ़ाई का समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकती है, जिससे हैजे का रोग वृद्धि पर ही है, तो सरकार उसको रोकने के लिये क्या अविलम्ब उपचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक मेरी इत्तला है, अब हड़ताल शायद खत्म हो गयी है, क्योंकि कल ही मेरे पास जिलाधीश का तार आया था और उससे यह विदित हुआ कि अब हड़ताल खत्म हो गयी।

श्री राजनारायण—आज उसका कंट्राडिक्शन आ गया कि हड़ताल अभी चालू है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो आप की देन है, आप तो हड़ताल कराते ही रहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आंकड़े सही नहीं होते, इसलिए उन्होंने गड़े हुए मुर्दों की गणना करवायी। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मुर्दों को उखड़वा कर भी देखा कि ऐक्चुअली जितने मरे थे उनसे कम दिखलाये गये हैं या ज्यादा दिखलाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के एक नागरिक होने के नाते किन्हीं सूत्रों से उनको इस प्रकार का समाचार प्राप्त हुआ है कि जो महानगर अशरे के मेले की चर्चा की गयी, है वहां तीन चार दिन का सड़ा हुआ गोश्त व उससे बना हुआ कबाब भी बिकता रहा जिसे लोगों ने खाया और आसपास के कुओं का पानी दिया, इसलिये यह कालरा फैला ? यदि हां, तो कहीं सड़ा हुआ गोश्त न बेचा जाय, इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने क्या उपाय किया है या करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सड़े हुए गोश्त की बात है, मुझे इसका पता नहीं है। जिस दिन मैं यहां से बाहर पिथौरागढ़ के दौरे पर जा रहा था, उसी समय सांयकाल मुझे यह सूचना मिली कि यहां गैस्ट्रो एंट्राइटिस की बीमारी बढ़ रही है और अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर जाने से पूर्व मैं उसी समय अस्पताल गया और जो अधिकारी वहां जमा थे, उनसे मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की। उस समय किसी ने यह बात नहीं बतलायी कि वहां सड़ा हुआ या खराब गोश्त बिक रहा था, जिसके खाने से यह बीमारी फैली। इसके बाद जब मैं बाहर से लौट कर आया तो भी किसी ने यह नहीं बतलाया कि वहां सड़ा हुआ गोश्त खराब गोश्त बिक रहा था। चूंकि मैं यह उपस्थित नहीं था। इसलिये जो सूचना मेरे पास है उसकी बुनियाद पर मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ के एक अंग्रेजी दैनिक पत्र में यह समाचार निकला था कि हैजा सड़ा हुआ गोश्त खाने के कारण फैला था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं ७ रोज यहां से बाहर रहा, हालांकि रोज वायरलेस से यहां की हालत के सम्बन्ध में मेरी बातचीत होती रहीं, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई जानकारी नहीं पायी, जिसका वर्णन अभी यहां किया गया है। अगर अंग्रेजी अखबार में यह निकला था तो उस समय का अखबार मैंने पढ़ा नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सूचना विभाग द्वारा सरकार के पास ऐसे पत्रों की कटिंग नहीं भेजी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कटिंग तो जाती है, लेकिन यह मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशाहर)—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी, जो माननीय जवाहर लाल रोहतगी के सभापतित्व में बनाई गई है वह, कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस कमेटी की रिपोर्ट ३ मास के भीतर आप के पास आ जायेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह नं० ५ में जो कानपुर नगर की रिपोर्ट है, उस में जुलाई में १०३ रोगियों की मृत्यु बताई गई है, लेकिन वहां अगस्त माह में बिल्हौर में हैजे से और अधिक मृत्यु बढ़ी हैं, तो क्या सरकार गांवों में उस की रोकथाम के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्यों के पास मुख्तलिफ स्थानों की इस संबंध में इत्तलायें हैं तो वे दे दें, अवश्य ही वहां उचित प्रबन्ध किया जायेगा जिससे रोग की रोकथाम की जा सके ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—प्रतापगढ़ एक छोटा सा शहर है वहां पर मार्च और मई के मासों में बड़े मेले नहीं होते हैं लेकिन वहां प्रतिवर्ष हैजा फैलता है और मरने वालों की औसत संख्या सब से ज्यादा रहती है, तो क्या मंत्री जी वहां के लिये कोई उचित प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि प्रतापगढ़ में ७२३ को हैजा हुआ और २७२ मरे, इतनी ज्यादा मृत्यु क्यों हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि जिन स्थानों के विषय में माननीय सदस्यों के पास इत्तला है वह अगर लिखकर भेज दें तो अवश्य उचित इन्तजाम किया जायगा, कारण जानने की चेष्टा की जायगी और रोकथाम के उपाय किये जायेंगे ।

जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब अलीगढ़ जिले में बढ़ती हुयी अराजकता तथा हुसायन टाउन एरिया के चेयरमैन श्री कृष्ण मुरारी लाल शर्मा की २५ जुलाई को प्रातः गोली मार कर निर्मम हत्या के संबंध में श्री नेकराम शर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक १ अगस्त, १९६१ को दी गई सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो सूचना इस संबंध में हम ने चाही थी वह अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये आज इस संबंध में वक्तव्य देना संभव नहीं है । बड़ी कृपा हो अगर आप मंगल तक का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मंगल को वक्तव्य होगा ।

मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मान्यवर, मेरे पास कल एक प्रतितिपि उस अविश्वास के प्रस्ताव की भेजी गई थी और मुझे ऐसा बताया गया था कि वह आज सदन में समाजवादी दल की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—उसे पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—अगर आप पढ़ने को कहेंगे तो फिर मैं सदन से अनुमति देने के बारे में राय ले लूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, नियमों में लिखा है कि जिस दिन मूवर लाये उसी दिन वह प्रश्नों के बाद और दूसरी कार्यवाही के पूर्व आ जायेगा, अब माननीय गुप्ताजी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप पढ़ने को कहेंगे तो फिर दूसरी चीज होगी....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं एक सूचना चाहता था....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह जानना चाहता हूं कि वह आज पेश हो रहा है या नहीं, क्या स्थिति है, क्योंकि मुझे सूचना दी गई थी और मैंने उसको देखने में कुछ समय लगाया है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—वह चाहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय, यह तो बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि मेरे पास दो तीन प्रस्ताव आये थे। एक रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया था, दूसरा जनसंघ की तरफ से था और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आया। फिर तीनों ने मुझे लिखकर भेजा कि आज नहीं पेश करना चाहते हैं। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि चूंकि यह नोटिस दे दिया गया था और नियम में यह दिया हुआ है कि जिस रोज लाना हो उस रोज हमारे सेक्रेटरी के पास भेजा जाना चाहिये। मैंने आज तक इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन इस पर लोग आपत्ति कर सकते हैं। तो अब जिस रोज आप लाना चाहें, कृपा करके उसके लिये नया नोटिस दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या समाजवादी दल ने मुख्य मंत्री जी से कहा कि आज लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास समाजवादी दल की तरफ से आया था कि इसको उपस्थित करना चाहते थे। मैं उसकी एक कापी, एडवान्स कापी, गवर्नमेन्ट के पास भेज देता हूं। वह मैंने भेज दी थी। लेकिन अब वह आज उपस्थित नहीं करना चाहते हैं और दो और भी आ चुके हैं, तो उसमें यह आपत्ति हो सकती है। इसलिये मैं कहता हूं कि अब जब आप पेश करना चाहते हैं उसके लिये हमें दोबारा नोटिस दे दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—यादवेन्द्रदत्त जी दूबे और झारखंडे राय जी आदि के आग्रह से ही हमने रुकवाया है, अब हम कहते हैं कि ८ तारीख को ले लिया जाय, हम नोटिस देते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उसका फ्रेश नोटिस भेज दीजियेगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को क्या व्यग्रता है कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो जाय। पब्लिक वर्डिक्ट नहीं मिली तो क्या, स्टेट मिनिस्टर हो गये। तो वह लोग तो प्रूफ हैं, व्यग्रता क्या है कि आज ही आ जाय ?

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जिस तजह से आप आज नहीं लाना चाहते हैं, उसी वजह से वह चाहते हैं कि आज ले लिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि अगर मुख्य मंत्री को यह सूचना मिल जाती कि आज स्थगित किया जायगा तो यह बात न होती।

श्री अध्यक्ष—मुझे तो रास्ता चलते हुये सूचना मिली। रामस्वरूप वर्मा जी ने मुझे सूचना दी, तब मैं कमरे से चल रहा था यहां आने के लिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि यह अविश्वास का प्रस्ताव किस चीज का है....

श्री अध्यक्ष—वह तो अभी आया ही नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी—अविश्वास का प्रस्ताव तो इन नेताओं पर आना चाहिये। श्रीमन्, जनता ने इस कांग्रेस को १९५२ में हराया, १९५७ में हराया और विरोधियों ने १९५२ में जिताया और १९५७ में जिताया। सबसे पहले ये विरोधी दोषी हैं, इन पर अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये। यही सरकार को जिन्दा रखते हैं, १९६२ में यही लोग जीतेंगे, यही मिले रहते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे ज्यादा अन्याय इन लोगों का है।

श्री अध्यक्ष—वह आप ले आइयेगा।

विधान परिषद के सदस्य--मंत्रियों के लिए सदन में पृथक स्थान निर्धारित करने का सुझाव

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के दो प्रश्न आपके सामने पेश करना चाहता हूं—वैधानिक प्रश्न है। वे इस प्रकार हैं कि श्रीमती सचेता कृपलानी, श्री हरगोविन्दसिंह, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्री चतुर्भुज शर्मा इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं। अतः उन्हें यहां बैठने का अधिकार नहीं है। अगर इनको इस सदन में बैठाया ही जाता है तो इनके लिये अलग सीट रखी जाय और उन्हें आदेश दिया जाय कि वे सदन की अन्य किसी सीट पर न बैठ सकें। एक प्रश्न तो यह है....

श्री अध्यक्ष—इसको आप मुझको लिखित रूप में भेजिये, इस प्रकार अचानक आप इसको पेश नहीं कर सकते हैं।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—यह तो वैधानिक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—अगर वैधानिक होता तो आप यह न कहते कि इनकी सीट अलग कर दी जाय।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—मैं इसको सिद्ध करूंगा कि यह कैसे असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर मेरे पास भेजिये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—दूसरा प्रश्न यह है कि भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रिगणों ने, जिन्होंने संविधान की धारा १८८ के अन्तर्गत सदस्यता की शपथ ग्रहण नहीं की, उन पर उतने दिनों का जितने दिन वे सदस्यों की सीटों पर बैठे हैं, ५०० रुपये प्रति दिन जुर्माना किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर भेजिये।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Public Gambling (U. P. Amendment)Bill, 1961.] को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Public Gambling (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Public Gambling (U. P. Amendment) Bill, 1961.] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९१–३९८ पर)

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Indian Electricity (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Indian Electricity (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Indian Electricity (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९९–४०१ पर)

क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (Criminal Laws (U. P. Amendment) Bill, 1961) को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Criminal Laws (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ [Criminal Laws (U. P. Amendment) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०२–४०५ पर)

श्री अध्यक्ष—अब इनको आप विचारार्थ कल लेंगे क्या ?

श्री चरणसिंह—सोमवार को लेंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, संबंधित पत्र हमको इस संबंध में दिये जायं, ताकि इन दो दिनों की छुट्टी में हम स्टडी कर सकें।

श्री अध्यक्ष—उसी समय मांग लीजियेगा।

जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में एक विषय अलीगढ़ जिले में बढ़ती हुई अराजकता के बारे में था। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—वह मंगल के लिये हो गया, क्योंकि गह मंत्री जी ने कहा कि उनके पास अभी आंकड़े नहीं आये।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन* पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब लोक सेवा आयोग के प्रतिवदन पर विवाद दो घंटे होगा। (श्री नारायणदत्त तिवारी से) इस पर २ घंटे ही विवाद है, अतः आप १५ मिनट ही लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हमें लोक सेवा आयोग की १९५७–५८ की रिपोर्ट पर विचार करना है। मुझे खेद है कि लोक सेवा आयोग की जो वार्षिक रिपोर्टें है, उनके प्रस्तुत होने में तथा उन पर कार्यवाही होने में बड़ी देर हो रही है। अब वर्ष १९६१ चल रहा है और अभी तक १९५८–५९ की रिपोर्ट हमारे सन्मुख प्रस्तुत नहीं हुई है। मैं पहली मांग तो यह करूंगा कि भविष्य में हमें इस बात की पूरी चेष्टा करनी चाहिये कि लोक सेवा आयोग के प्रतिदिन समय से हमारे सामने प्रस्तुत हो सकें और उन पर की गयी कार्यवाही से भी सदन को समय से सूचित किया जाय।

श्रीमन्, अगर आप देखें तो जिस प्रकार नियोजन की गति बढ़ रही है तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से कमीशन का दायित्व तथा उनका कार्य भी बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ २६ में १९५२–५३ से १९५६–५७ तक की अर्जियों की संख्या दी हुई है। १९५२–५३ में कमीशन में आने वाली अर्जियों की संख्या १७,८७० थी, जब कि १९५७–५८ में वह संख्या २३,५०१ हो गयी। इससे स्पष्ट है कि कितना कार्य लिखा पढ़ी का तथा इंटरव्यू आदि का कमीशन का बढ़ गया है। इससे भी अधिक जो चिन्ताजनक स्थिति विचाराधीन अर्जियों की संख्या देखने से मालूम होती है। पांच साल का औसत पेंडिंग एप्लीकेशन्स का कुल ५,९३८ था वह इस वर्ष बढ़ कर १३,९३० हो गया है, यानी ढाई गुना बढ़ गया है। तो जब हम इस पृष्ठभूमि से इस प्रतिवेदन पर विचार करते हैं तो जो कमीशन ने यह सिफारिश की है कि स्थायी रूप से कमीशन का स्टाफ बढ़ाया जाय इस पर विचार करना जरूरी है। मुझे खेद है कि सरकार ने कमीशन की जो यह सिफारिश है, इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। मैं समझता हूं कि हम जितनी शक्ति संविधान की मर्यादा के अनुसार दे रहे हैं और जितना कार्यभार उसका बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है उसे देख कर न केवल उनका स्टाफ बढ़ाना चाहिये, बल्कि कमीशन के सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिये। पिछले वर्ष जब मैंने यह सलाह दी थी यहां पर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था—

"माननीय नारायणदत्तजी ने जो यह सुझाव दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिये, मैं समझता हूं कि उनका कहना ठीक है। मैं खुद इस बात का अनुभव करता हूं कि काम बहुत बढ़ गया है।"

तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया था कि सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिये। मैं नहीं जानता कि नये मुख्य मंत्रीजी के सामने उनकी यह स्वीकारोक्ति

---

* छापा नहीं गया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रखी गयी या नहीं। बहरहाल, आज की जो रिपोर्ट है, उससे यह सलाह मान ली गयी है, इसका हमें कोई प्रमाण मिलता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कमीशन ने यह शिकायत की है कि जो सरकारी कर्मचारी वहां अर्जियां देते हैं, उनकी सारी फाइलें कमीशन के पास ठीक से नहीं भेजी जाती हैं और उसके लिये बहुत लम्बी लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। कई बार इस सदन में विवाद हो चुका है और कई बार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा चुका है कि इस प्रकार की गलती भविष्य में नहीं होगी। मैं नहीं समझ पाया कि आज इतने वर्षों की आज्ञा होने के बाद भी क्यों विभाग इस प्रकार की ढिलाई करते हैं, क्योंकि जितने दिनों तक भरती रुकी रहती है उतने दिनों तक इस सदन ने जो रुपया सरकार को खर्च करने के लिये दिया है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस प्रकार के स्ट्रिक्ट आदेश जारी किये जायेंगे और एक फार्म प्रेस्क्राइब कर दिया जायगा कि जितने भी रेकार्ड्स कमीशन को भेजे गये उस प्रोफार्मा के अनुसार सारी सूचना उनको दी गई या नहीं, और इसकी एक प्रतिलिपि एप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे, ताकि वह सुपरवीजन कर सके कि विभिन्न विभागों ने सारे रिकार्ड्स लोक सेवा आयोग को भेजे।

श्रीमन्, तो बातें, हैं, जिनके संबंध में सरकार और कमीशन के बीच में मतभेद रहा है और कमीशन की राय सरकार ने नहीं मानी। मैं उन लोगों में से हूं जिनका विचार है कि कमीशन की सभी सिफारिशों को जहां तक संभव हो सरकार को मानना चाहिये और "जहां तक संभव हो" शब्द मैं इसलिये प्रयोग कर रहा हूं कि ९९ प्रतिशत संख्या चाहते हैं यहां पर दो बातें ऐसी हुई हैं जिनमें कमीशन ने नीति संबंधी दायरे पर आघात किया, जो कमीशन के परव्यू के बाहर था। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का मामला था और वह तीन दिन का मामला था। मैं समझता हूं कि इसमें कमीशन को इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिये था कि यह तीन दिन का एक्जेम्पशन क्यों दिया गया? जब कि चार वर्ष तक की बात मान लेते हैं तो तीन दिन की भी बात मान लेनी चाहिये थी, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक निश्चित जी० ओ० निकाल देना चाहिये कि कहां तक लिमिट हो। इसमें लिमिट मुकर्रर हो जायगी और इस प्रकार के केसेज नहीं आयेंगे।

दूसरी बात जिसमें कमीशन और सरकार के बीच भेद रहा वह विकास अधिकारियों के प्रोमोशन के बारे में है। सरकार का कहना यह था कि ३३ प्रतिशत ए० डी० ओज० में से बी० डी० ओ० बनाने के लिये ध्यान दिया जाय। लेकिन कमीशन का कहना था कि प्रमोशन के लिये एक साल की अवधि काफी नहीं है, अधिक होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जहां एक ओर सरकार की नीति ठीक थी, जैसी कि गोविन्दसहाय समिति ने भी राय दी है कि विकास अधिकारियों में जो कार्य-क्षमता रखते हों उनका प्रोमोशन होना चाहिये, वहां कमीशन की बात भी ठीक थी कि एक वर्ष की अवधि प्रोमोशन देने के लिये कम है। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जायेगा, जिसमें अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रमोशन देने का सिद्धान्त भी हो और जिनकी अवधि एक साल की है उनको प्रोमोशन नहीं दिया जायेगा।

इसी के साथ-साथ में कमीशन के मेम्बरों से तथा कमीशन से अपील करूंगा कि कम से कम नीति के प्रश्न पर जो उनके परव्यू के बाहर हों, उधर ध्यान नहीं देना चाहिये। जैसे प्रमोशन किन का हो, किनका न हो, यह सरकार के निर्णय करने का विषय है। कमीशन नीति की आलोचना कर सकता है, परन्तु नीति के बदलने का अधिकार केवल सदन को है, कमीशन को नहीं है। मैं समझता हूं कि कमीशन भविष्य में इस ओर ध्यान रखेगा।

एक दिक्कत और थी पिछले वर्ष और आज भी है कि हमारे जो हरिजन भाई हैं जिनके लिये १८ प्रतिशत सीट्स का रिजर्वेशन है, लेकिन हरिजन उम्मीदवार मिलते नहीं हैं। कमीशन बराबर इस बात को कहता है कि हरिजन उम्मीदवार मिलते नहीं हैं। जिससे इनकी सीट्स भरी जा सकें। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कारण है कि १८

प्रतिशत सीट्स भरने के लिये हरिजन साथी मिल नहीं पाते । पिछले वर्ष एक कमेटी बैठी थी । उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है । मैं जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया, क्योंकि यह सदन की मंशा है । राज्य की और संविधान की नीति है कि हरिजनों की जो सुरक्षित सेवायें हैं उनको भरा जाना चाहिये । मैं चाहूंगा कि यह प्रश्न जो सदन में बार-बार आया है इसको मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें ।

इसी प्रकार से जो अस्थाई नियुक्तियां हैं, उनके सम्बन्ध में कमीशन का यह कहना है कि टेम्पोरेरी एप्वाइन्टमेंट के संबंध में विभागों ने सही कदम नहीं उठाया है । नियम यह है कि एक साल से अधिक की अवधि के लिये यदि नियुक्ति की जाय तो अगर उसकी नियुक्ति, अगर उसका पद कमीशन के परव्यु में हैं, तो कमीशन द्वारा होनी चाहिये । लेकिन ८६४ पद हमारे प्रदेश में ऐसे निकले जिनमें टेम्पोररी एप्वाइंटमेंटस कर लिये गये और स्थायी नियुक्तियों के लिये नहीं लिखा गया या देर से लिखा गया । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ २७ पर पैरा ४ में इसकी शिकायत की है विशेष रूप से । लेकिन मुझे यह देख कर खेद हुआ कि जहां सरकार ने प्रतिवेदन का विवरण दिया है उसमें इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्यों इस प्रकार के टेम्पोररी एप्वाइंटमेंन्ट्स का रेगुलराइजेशन समय से नहीं हुआ और उनकी स्थायी नियुक्तियां समय से क्यों नहीं की गयीं ।

टेक्निकल पोस्ट्स के सम्बन्ध में कमीशन ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे विश्वास है कि न केवल प्रदेशीय सरकार बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी । कमीशन ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जो टेक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त अफसर हैं वह सही प्रकार का प्रशिक्षण इसलिये नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वे यहीं से ठीक से क्वालीफाइड नहीं रहते, केवल कागजी क्वालिफिकेशन पाने के लिये विदेश जाते हैं । इस लिये कमीशन ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों को टेक्निकल प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाय उनके लिये एक विशेष प्रकार का बोर्ड बनाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में कमीशन ने जो सुझाव दिया है उस पर सरकारी प्रतिवेदन मौन है । हम लोगों को कुछ पता नहीं कि सरकार ने क्या निश्चय किया है । हम विदेशों में लोगों को इसलिये भेजते हैं कि वे वहां से आ कर हमारे यहां सेवा करेंगे और हम उनकी योग्यता का लाभ उठायेंगे । मैं मांग करूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में इस बात का भी स्पष्टीकरण करें कि वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ।

टेक्निकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक बात और है । एक हाथरस के इंस्टीट्यूट का जिक्र किया गया है जिसे बिना कमीशन की राय लिये हुए टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाला मान लिया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर किसी इंस्टीट्यशन को हम क्वालीफाइड नहीं मान सकते कि वह टेक्निकल प्रशिक्षण दे सके । उसकी कुछ सीमाएं होती हैं जिनके अन्दर किसी इंस्टीट्यूशन को टेक्निकल प्रशिक्षण देना होता है । कमीशन ने ठीक ही कहा है कि बिना कमीशन की राय लिये हुए किसी को भी टेक्निकल प्रशिक्षण देने योग्य संस्था नहीं माना जाना चाहिये । मुझे आशा है कि कमीशन की इस सिफारिश की ओर सरकार ध्यान देगी ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुए ।)

मैंने इससे पूर्व कुछ सुझाव दिये थे । उस पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की ओर से कुछ कहा गया था, जैसे करेक्टर रोल की एंट्री । उसके बारे में डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने कहा था, "करेक्टर रोल का जिक्र नारायणदत्त जी ने किया । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । हमारा ध्यान उस तरफ गया है कि कोई न कोई तरीका सरकारी अफसरों के काम को असेस करने का जरूर होना चाहिये ।" होता यह है कि वर्क नाट संटिस्फैक्टरी या वर्क संटिस्फै-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

क्टरी भी ऐडवर्स मान लिया जाता है । सरकारी अफसरों का करेक्टर रोल सबार्डिनेट्स की केवल जी हुजूरी, और खुश करने की ताकत पर डिपेंड करता है । मैं यह सुझाव, इसलिये, दो वर्ष से दे रहा हूं कि करेक्टर रोल न होकर वर्क रोल होना चाहिये । सरकार ने इस पर क्या विचार किया है उससे हमें अवगत करना चाहिये ।

दो और हमारे सुझाव सरकार ने माने थे । एक तो यह कि पर्सनाल्टी टेस्ट होना चाहिये कैंडीडेट्स का और कमीशन को रिपोर्ट देनी चाहिये । सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम ऐसा कर देंगे । इसके अलावा जो ऐप्लीकेशन फीस घटाने की बात थी, उस पर भी कहा गया था हम फीस घटायेंगे । इस पर भी क्या कार्यवाही हुई मैं नहीं जानता । मैं चाहूंगा कि डेढ़ दो साल पहले सरकार की ओर से जो स्पष्टरूप से आश्वासन दिये गये थे, कम से कम वे तो कार्यान्वित होने ही चाहिये । पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर आज इतना बड़ा दायित्व है कि हमारी सर्विसेज ठीक हो सकें । सर्विस नियम भी आज तक फाइनलाइज नहीं हो सके हैं । मैं इस बात की भी मांग करूंगा और कमीशन से भी प्रार्थना करूंगा कि जितने सर्विस रूल्स कमीशन के सामने विचाराधीन हैं उनको जल्दी फाइनलाइज करना चाहिये । आज सैकड़ों ऐसे रूल्स और अमेंडमेंट्स हैं कि जिनको अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । नतीजा यह हो रहा है कि सर्विसेज में डिमारलाइजेशन हो रहा है । इसको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये और मेरा यह भी सुझाव है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर तो कम से कम इसी काम पर लगा दिया जाना चाहिये जिससे कि सर्विस रूल्स फाइनलाइज हो जांय ।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि जो अगला प्रतिवेदन १९५८–५९ का आयेगा वह अधिक सुस्पष्ट होगा और सरकार की तरफ से जो कुछ भी आश्वासन दिये गए हैं और जो कुछ कार्यवाही उन पर हुई है, उसका पूरा पर्यवेक्षण होगा तथा हमें पूरी सूचना दी जायगी ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको इस महत्वपूर्ण विषय पर भाग लेने का अवसर दिया । मैं विवाद में भाग लेने के पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में एक टिप्पणी-ज्ञापन, हम लोगों के सामने दिया है जिससे मैं समझता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करने में और स्थिति को समझने में काफी सहूलियत हम लोगों को मिली है और हम लोग उसके लिये उनके आभारी हैं । साथ ही साथ अपने पूर्व वक्ता माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को भी मैं बगैर धन्यवाद दिये हुये नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी उंचाई के साथ आज इस सदन में कमीशन की रिपोर्ट पर अपने सुझाव सरकार के सामने रखे हैं ।

माननीय नारायणदत्त जी का एक एतराज यह था कि कमीशन की कई दफे की मांगें हैं सरकार के सामने कि उनके काम की बढ़ोत्तरी को देखते हुए उनके स्थायी कर्मचारी बढ़ाये जाने चाहिये । यद्यपि इस समय तक सरकार इस काम को नहीं कर सकी है । लेकिन फिर भी प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि समय समय पर जब भी काम के करने के लिये कि हीं कर्मचारियों की जरूरत पड़ी है सरकार ने उन कर्मचारियों की सेवा अवधि क बढ़ाया है और उन कर्मचारियों को कमीशन को दिया है ताकि उनके काम में कोई दिक्कत न हो । स्थायित्व का जहां तक प्रश्न है वह धीरे-धीरे जैसे जैसे सुविधा होगी सरकार उसे भी अवश्य कार्यान्वित करेगी ।

माननीय नारायणदत्त जी ने एक आक्षेप और किया कि कमीशन की राय से सरकार काफी हद तक सहमत नहीं हुई और उनके सम्बन्धों के विषय में मैं समझता हूं कि उनका कुछ ऐसा आक्षेप था कि उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे । लेकिन मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि कुछ मामलों को छोड़कर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ज्ञापन में माना है, बहुत से मामलों में कमीशन की और सरकार की राय एक रही है और काफी सन्तोषप्रद

कार्य रहा है और इससे भी यह जाहिर है कि कमीशन के जो सचिव हैं रामनरेशलाल जी उन्होंने आखीर में जो उपसंहार लिखा है उसे पढ़ लिया जाय तो काफी समझ में बात आ जाती है कि कमीशन और सरकार के सम्बन्ध कैसे रहे हैं उन्होंने यह लिखा है :—

> "आयोग को यह लिखते हुए सन्तोष होता है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस प्रतिवेदन में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति-प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा दिये गये परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री का विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनके समक्ष रखे गए, उन पर उन्होंने शीघ्र समुचित कार्यवाही की।"

मैं समझता हूं कि अपने दिल की मंशा उन्होंने इस पैराग्राफ में जाहिर की है और जो कि इस साल के उनके और सरकार के बीच के सम्बन्धों का द्योतक है। तो जब हमारे कमीशन के सदस्यों को सरकार के कार्यों से काफी सन्तोष है तो हम भी उसका समर्थन करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी का इसमें कई, पैराग्राफ में जिक्र है। कई मामले उनके सामने रखे गये और उन्होंने विशेष रूप से उन मामलों में कमीशन की राय को माना है तथा काफी उसमें अपना सहयोग दिया है। साथ ही साथ मैं एक निवेदन यह जरूर करना चाहता हूं कि कमीशन की इस रिपोर्ट को पढ़ने से और पिछली रिपोर्ट को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि जहां तक हरिजनों के प्रतिशत की पूर्ति का सम्बन्ध है सरकारी नौकरियों में, मैं समझता हूं, कमीशन पूर्णतया फेल है क्योंकि जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं तो काफी दुख मुझे होता है। कमीशन में यह दिखाई देता है कि चूंकि योग्य व्यक्ति हरिजनों में प्राप्त नहीं हो रहे हैं इसलिये उनके स्थानों की पूर्ति नहीं कर सकते। मैं मुख्य मंत्री महोदय का विशेषरूप से आभारी हूं कि उन्होंने एक सिम्बोलिक आदेश भेजा था कि डिपार्टमेंट में हरिजनों की तरक्की के विषय में प्रतिशत मुकर्रर किया जाय, लेकिन कमीशन की मन्शा से यह जाहिर होता है कि उसने आदेश को ठुकराने की कोशिश की है और यह कोशिश की कि वह आदेश लागू न हो सके। मैं मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत सूझ-बूझ के साथ कृपा करके इस बात को फिर महसूस किया और हमारी बात से वह सहमत हुये। कमीशन का यह तर्क कि डिपार्टमेंटल पदोन्नति में हरिजनों के प्रतिशत को न माना जाय नहीं तो असुविधा होगी सरकार ने नहीं माना है और सरकार ने उसको ठुकराकर कमीशन पर इम्पोज करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी बात है जो मुख्य मंत्री जी के हृदय में हरिजनों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करती है। मैं समझता हूं यदि हरिजनों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री के प्रति मैं आभार प्रकट करूं तो यह उचित और सही बात ही है। मैं मौजूदा मुख्य मंत्री जी से इस बात का बार-बार आग्रह करूंगा कि यह जो हमारे संविधान में १० साल के लिये हरिजनों को संरक्षण मिला हुआ है, जैसा मुख्य मंत्री जी जानते हैं, यह प्रतिशत की अवधि अभी पूरी नहीं हो पाई है। प्रत्येक सदस्य इस बात को मानेगा कि इस मामले में काफी दूर तक जाने की जरूरत है और यह सदन मुख्य मंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी, जो कानूनी बन्धन हैं उनको तोड़कर इस बात की कोशिश करेंगे और इस बात का हरिजन समुदाय को आश्वासन देंगे कि हरिजनों के संरक्षण की पूर्ति करने के लिये नये प्लान में अवश्य ही कोशिश की जायगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर मालूम है कि उनके सामने अभी थोड़े बहुत मामले लाये गये थे जिनकी कमीशन ने हरिजनों के मामले में उपेक्षा की थी। उन्होंने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देकर हमें पूर्ण करने का आश्वासन दिया है।

जहां तक और बातों का सवाल है जैसा नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा, मैं भी कहता हूं कि कभी कभी हमारे सरकारी अधिकारी इस बात की बिना परवाह किये हुये कि किस बात को करने में क्या असर पड़ेगा, करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

जी इस प्रकार की बातों पर नियन्त्रण रखें। जैसा कि मैं मिसाल देकर बतालाऊं बी० डी० ओ० पद पर तरक्की करने के लिये कमीशन राजी नहीं हुआ। मगर फिर भी हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर ने बराबर इस बात की कोशिश की कि चाहे एक साल के अयोग्य व्यक्ति भी हों उनको बी० डी० ओ० बना दिया जाय। यदि इस प्रकार से ही उनको पदोन्नति देना है तो सीधे ही क्यों नहीं उनको बी० डी० ओ० बना दिया जाता? इस प्रकार की व्यवस्था पर अवश्य अंकुश रखने की आवश्यकता है। इस बात की कोशिश की जाय कि जो भी इस तरह की पदोन्नति हो उसमें काफी तरक्की हरिजन व्यक्तियों की हो जाय। कम से कम ५ साल के ए० डी० ओ० को बी० डी० ओ० बनाया जाय। अगर उनको एक साल के बाद ही विकास अधिकारी बनाना है तो फिर सीधे ही उनको विकास अधिकारी बना दिया जाय। क्या जरूरत है कि वे फिर कमीशन के सामने जायं और दोबारा खर्च किया जाय और कमीशन को परेशान किया जाय। मैं समझता हूं कि इन बातों की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि जहां पर जितनी नियुक्ति हो उनके वर्क को देखा जाय। पिछले जमाने में यह होता रहा है कि जहां जिसका सुपरिन्टेन्डेन्ट हो जाय तो उसकी सिफारिश होती थी कि वहां पर कुछ टेम्पोरेरी जगह क्रियेट की जाय। अपने खास आदमियों के लिये वह जगहें क्रियेट की जाती हैं और उन पर रखने की सैंक्शन ली जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत एतराज की बात है कि कितनी ही जगहें इस तरह से टेम्पोरेरी चल रही हैं। उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिये कोई न कोई योजना हमारे योग्य और अनुभवी मुख्य मंत्री महोदय को बनानी चाहिये। यह सरदर्द हमेशा सदन के समने आता है और जनता में भी इसी पर आक्षेप होता है। पुराने तजुर्बे के आधार पर मैं कहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे संतोष है कि हमारे कुशल नायक माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के नेतृत्व में इस प्रकार के प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किये जायेंगे जिनमें कि काफी अच्छाई के साथ हल किये हुये प्रश्न हमारे सामने आयेंगे और हम लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिल पायेगा, ऐसी आशा है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदन भी जल्दी-जल्दी आयेंगे और उनमें जो प्रश्न होंगे उन पर मुख्य मंत्री जी विचार कर उनको सही तौर पर हल करने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सरकार ने यह प्रतिवेदन सदन के सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत किया। इसके लिये हम सब आभारी हैं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, यह वार्षिक प्रतिवेदन जो हमारे सामने प्रस्तुत है यह मार्च में प्रस्तुत किया गया था और आज ५ महीने के बाद इस संबंध में विचार करने का मौका हम लोगों को मिला है। आप यह भी देखें कि यह लोक सेवा आयोग की १९५७–५८ की रिपोर्ट है और आज तीन साल पुरानी बातों पर विचार करने के लिये हम से कहा जा रहा है। पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया था कि इन रिपोर्टों को जल्दी संग्रहीत कर के जल्दी सदन में प्रस्तुत किया जायगा, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

अभी मेरे पूर्व सरकार की प्रशंसा में मेरे मित्र ने कुछ बातें कहीं। उनके शब्द उसी प्रकार के हैं जैसे कि रिपोर्ट में लिख दिये जाते हैं कि "केवल थोड़े से मामलों को छोड़ कर, जिनका वर्णन इस प्रतिवेदन में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति-प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा दिये गये परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह शब्द इसके पहले की रिपोर्ट में भी थे, किन्तु यदि हम गहराई में जा कर देखें तो पता लगता है कि आयोग और शासन की नीति में बड़ा अंतर है और विशेषकर मौलिक नीतियों के बारे में अंतर है।

सब से पहले मैं यह निवेदन करूं कि लोक सेवा आयोग के ५, ६ सदस्य हैं और यदि प्रारम्भ से हम देखें तो पायेंगे कि उसमें परिगणित जाति का कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहा। होता यह है कि उनका प्रतिनिधित्व वहां न होने के कारण सरकार की जो नीति है उनको १८ प्रतिशत नौकरियों में स्थान देने की, उसमें, ढीलढाल हुआ करती है। यद्यपि इस संबंध में सरकार और आयोग की बात का कुछ हवाला रिपोर्ट में आया है जिसमें दोनों की बात में कुछ मतान्तर है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सरकार १८ प्रतिशत परिगणित जाति के लोगों की नियुक्ति पर जोर दे। समाजवादी दल की ओरसे तो यह घोषणा है कि उनको ६० प्रतिशत तक स्थान दिये जांय, किन्तु उतना न भी हो तो भी सरकार का पहला कदम होना यह चाहिये कि लोक सेवा आयोग के निर्माण में जो उनका भाग है वह उनको दिया जाय। उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय। द्विज वर्ग के लोग ही उसमें नहीं रहने चाहिये। अभी हाल ही में वहां एक सज्जन की नियुक्ति हुई है, किन्तु वे परिगणित जाति के नहीं हैं। क्या मैं आशा करूं कि भविष्य में सरकार इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करेगी?

श्रीमन्, और जो बहुत से प्रश्न इसमें हैं उनके संबंध में दो, चार बातें मैं आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। आज भी सरकार आयोग की संस्तुतियों का पालन करने में जो देर किया करती थी उसका वह क्रम दुरुस्त नहीं हुआ है, अब भी वही ढीलढाल जारी है। स्वयं आयोग ने प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ पर लिखा है कि अक्तूबर, १९५५ में सिंचाई विभाग के लिये कुछ लोगों के बारे में उसने सिफारिश की थी, किन्तु उसको मानने में सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की। उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ ७ में लिखा है कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के ४० पदों के लिये आयोग ने जनवरी, १९५७ में ३१ अभ्यर्थियों को संस्तुत किया था, और उनकी नियुक्ति सन् १९५८ में हुई। तो इतने समय तक क्यों ढील की गयी? सरकार ने पहले हमें आश्वासन दिया था कि अब ढील नहीं होगी।

आयोग ने अस्थायी नियुक्तियों के बारे में भी अपनी राय जाहिर की है और लिखा है कि सरकार इस संबंध में बनाये गये नियमों का उचित रूप से पालन नहीं करती। तिगड़मबाजी से अस्थायी नियुक्तियां कर ली जाती हैं।

नैशनल स्टैन्डर्ड के सम्बन्ध में भी इसमें बात कही गई है हम फारेन कंट्रीज से शिक्षा प्राप्त किये हुये लोगों को ज्यादा क्वालीफाइड मानते हैं, लेकिन आयोग ने लिखा है कि "आयोग ने यह देखा कि जो प्रशिक्षण कोई अभ्यर्थी विदेशों में प्राप्त करता है, उसका कोई संबंध भारतीय परिस्थितियों से नहीं रहता है और बहुतों के प्रशिक्षण लेने का अभिप्राय इसकी अपेक्षा कि जो कुछ उन्होंने विदेशों में सीखा है उसको आत्मसात् कर लें, केवल यह रहता है कि विदेशी अर्हता उनके नाम के साथ जुड़ जाय।" हमारे हिन्दुस्तानी वातावरण में वे उपर्युक्त हैं भी या नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह सरकार की कमजोरी है।

इसके अलावा बिना विज्ञापन के जिन लोगों की भर्ती कर ली जाती है उनकी भी काफी तादाद है जिसके बारे में आपत्ति की गयी है। इसमें उनकी ३७३ संख्या दी गयी है। सरकार को बिना विज्ञापन के कोई भर्ती नहीं करनी चाहिये।

एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ४० पदों के लिये विज्ञापन दिया गया और उसके लिये ४३५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, किन्तु बाद को उसे रद्द कर दिया गया। अब लम्बी-लम्बी तो फीस ली जाती है और जिन गरीब अभ्यर्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्र उन पदों के लिये भेजे उनको कितनी परेशानी हुई, कितना उनको खर्च करना पड़ा, हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। बिना सोचे समझे सरकार को विज्ञापन नहीं देने चाहिये।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इसके अलावा मैं एक और बात की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो भी आयोग होते हैं, उनके पास एम० एल० एज० की काफी सिफारिशें नियुक्तियों के बारे में पहुंचा करती हैं। अभी हाल ही में सुपरवाइजरों का चुनाव हो रहा था, उसके लिये उनका चुनाव करने वालों के पास तरह तरह की सिफारिशें पहुंचाई गयीं। अब भी उन लोगों के पास तरह तरह की सिफारिशें व चिट्ठी आदि पहुंचाई जाती हैं। बड़े-बड़े मंत्रियों से लेकर उनके बड़े अधिकारी तक जो आयोग के बड़े-बड़े सदस्य हैं उनके पास चिट्ठियां भेजते रहते हैं कि उनको कर दो। क्या हम आशा करें कि इन बेचारे निरीह, निर्धन अभ्यर्थियों की जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है कभी कोई पूछ इस राज्य में हो सकेगी? मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर उन लोगों के हृदय से निकली हुई आह को, उनकी स्वांस की क्रिया को मंत्री जी समझ सकें जो संभव है आगे चलकर उनके लिये घातक न हों तो बड़ा अच्छा हो और अगर उन्होंने ऐसे लोगों की तरफ ध्यान न दिया तो यह आह क्या होगी मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि कान से सुनने की आदत जो बहुत कुछ इस सरकार को पड़ गयी है अगर उसे मुख्य मंत्री जी दूर कर सकें तो ये बड़ा भारी उपकार उन निरीह वर्ग से, ग्रामीण और निर्धन वर्ग से आये हुये लोगों के साथ कर सकेंगे। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम से योग्यता तो प्राप्त की है, लेकिन जिनके पास सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी इससे छुटकारा दिला सकें तो लोग सचमुच इस सरकार को याद कर सकते हैं वरना सरकार तो आयेगी, आती रहेगी और जाती भी रहेगी। सिफारिश के भूत को बाण से न मारिये, अगर मारना है तो हिम्मत से आइये और उन लोगों के लिये जिनके बारे में मैंने कहा है इनसे मुक्ति दिलाने का प्रयत्न कीजिये और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिये, नहीं तो उनका अभिशाप आपके शिर पर आयेगा और आप फिर अपने को भी उस आग में रोक नहीं पायेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, हम प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर इस सदन में वाद विवाद करते हैं। मैं इस प्रतिवेदन के अध्ययन से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस संगठन से जो वांछित फल इस सदन को और इस प्रदेश को प्राप्त होना चाहिये था वह शनैः शनैः प्राप्त हो रहा है। हम देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में सहयोग बढ़ रहा है और लोक सेवा आयोग की सिफारिशें मानने की सरकार की आदत बढ़ रही है। पहले सरकार लोग सेवा आयोग की बहुधा सिफारिशों को नहीं मानती थी, लेकिन मैं उस पैरा को पढ़कर नहीं दोहराऊंगा जो माननीय रामेश्वरलाल जी ने सदन के समक्ष रखा था कि लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार ने उनकी सिफारिशों को माना है, उनकी सिफारिशों की इज्जत की है और उन्होंने इसके लिये विशेषकर मुख्य मंत्री जी के लिये कम्प्लीमेंट्स भेजे हैं और जो बधाई उन्होंने मुख्य मंत्री जी के लिये दी है वह सराहना के योग्य है।

लोक सेवा आयोग पर कार्यभार भी बढ़ा है जैसा कि अब प्रायः प्रत्येक विभाग का बढ़ा है और सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया है। उनकी इमारत के सिलसिले में जो मांग थी वह करीब-करीब पूरी हो चुकी है।

कुछ थोड़ी सी बातें जो लोक सेवा आयोग ने हमारे समक्ष रखी हैं उनमें एक तो वह है जो पन्ना २६ के पैरा ३ में कही गयी है कि कुछ मसलों में जब विभाग उन्हें लिखते हैं तो पूरा ब्योरा नहीं देते। यह ऐसी बात है जो पहले भी हमारे सामने कई बार आ चुकी है अनुशासन के मसलों में, कुछ लोगों को दंड देने के मामले में, कुछ पदोन्नतियों के मसलों में जब विभाग के लोग उनको विवरण भेजते हैं तो अधूरे होते हैं और उनको बारबार मंगाने में अधिक व्यय भी होता है और समय भी लगता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी के समक्ष कहूंगा कि यह शिकायत लोक सेवा आयोग को ही नहीं है, जनता को भी है, जितनी

आप कमेटियां बनाते हैं उन सबको रहती है कि जो विवरण मांगते हैं वह कभी टाइम से नहीं मिलते हैं। कोई दरख्वास्त होगी तो बार-बार आब्जेक्शन लगाते हैं। पहले एक आब्जेक्शन लगाया और जब उसका जवाब आ गया तो दूसरा लगाया। इस ओर आज उन्होंने इंगित किया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देंगे।

दूसरी बात लोकसेवा आयोग ने हमारे सामने यह रखी कि अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण ठीक समय से नहीं होता। अस्थायी नियुक्तियां करने का विभागीय अध्यक्षों को अधिकार होता है, वह विशेष परिस्थितियों में होता है कि एक साल से कम की अवधि की नियुक्ति कर ली जाय, लेकिन अगर स्थायीकरण वहां से समय के अन्दर न कराया जाय तो विशेष फ़ेवरिटिज्म हो जाता है और फिर लोकसेवा आयोग को स्थायी करने में दिक्कत पड़ती है। उसकी ओर लोकसेवा आयोग ने इंगित किया है। मैं आशा करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दिया जायगा।

तीसरी बात प्राविधिक दक्षता की है। इसकी ओर माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने भी ध्यान दिलाया था। यह संतोष की बात है कि पिछली रिपोर्ट में लोकसेवा आयोग ने कई प्रकार की प्राविधिक कमियों के संबंध में लिखा था, इस बार एक ही विभाग के लिये लिखा है कि इस विभाग में प्राविधिक एक्सपर्ट हमको नहीं मिल रहे हैं, पशु चिकित्सा और पशु-पालन के लिये। तो इस संबंध में भी हमको सोचना पड़ेगा जहां कि प्राविधिक एक्सपर्ट नहीं मिलते।

इसके अलावा बाहर के क्वालिफाइड आदमियों का जिक्र किया गया है और उसका इस सदन में जिक्र कर देना आवश्यक होगा। लोकसेवा आयोग ने लिखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं वह उसी स्तर के यहां पर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कार्य-कुशल होते हैं। यह भी हमारे सोचने की बात है। आजादी प्राप्त हुये काफी समय बीत गया, हम देश को आगे ले जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है कि बाहर के देशों के शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के मुकाबले में उसी स्तर के यहां से शिक्षा पाये हुये लोग कम योग्य होते हैं। हमको अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये।

दूसरी बात यह लिखी है कि बाहर जो व्यक्ति जाते हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं। यह बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है। लिखा है कि आयोग ने यह देखा कि जो प्रशिक्षण कोई अभ्यर्थी विदेशों में प्राप्त करता है उसका कोई संबंध भारतीय परि-स्थितियों से नहीं रहता है। दूसरे, बहुतों के प्रशिक्षण लेने का अभिप्राय इसकी अपेक्षा कि जो कुछ उन्होंने विदेशों में सीखा है, उसको आत्मसात् कर लें, केवल यह रहता है कि विदेशी अर्हता उनके नाम के साथ जुड़ जाय। तीसरे, जो अभ्यर्थी बाहर गये थे उनमें से बहुतों ने समय और धन के व्यय के अनुपात से अधिक लाभ नहीं उठाया था। यह बात खास तौर से सोचने की है। काफी विद्यार्थी हमारे प्रदेश से दूसरे देशों में शिक्षा लेने के लिये जाते हैं और खास लालच यह होता है कि उनके नाम के साथ एक फारेन क्वालिफाइड होने की उपाधि लग जाती है और नौकरी आसानी से मिल जाती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि विशेषज्ञों की एक परिषद् बारीकी से उनकी परीक्षा कर ले और उनके चुनाव की कसौटी केवल उनकी कागजी अर्हतायें न रहें। बाहर जाने के लिये लालच यह रहता है कि मैं यह शिक्षा लेने जा रहा हूं, वह शिक्षा लेने जा रहा हूं और हजार, पांच सौ रुपया विद्यार्थियों को मिल जाता है, कभी कभी बिना किराये के जाने को मिलता है। इसलिये परिषद् बनाने की आवश्यकता है जो यह जांच करे कि फलां विद्यार्थी योग्य है या नहीं। अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था, थोड़े से मामले ऐसे हुये जिनमें आयोग की बातों को सरकार ने नहीं माना। दो-तीन मामलों में विचार करने की बात है। न्यायिक अधिकारी की सेवा में एक नियुक्ति करनी थी और एक राजनीतिक पीड़ित की दरख्वास्त थी, उसकी आयु ४ वर्ष और ३ दिन कम थी।

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—ज्यादा थी।

श्री जगदीशप्रसाद—ज्यादा थी। उसकी नियुक्ति नहीं की गयी। लोक सेवा आयोग ने उसको नहीं माना। उसने बार-बार दरख्वास्तें दीं, सरकार ने नियुक्ति नहीं दी, लेकिन अन्त में उसको नियुक्ति दे दी गयी। नियुक्ति देने के कारण बताया गया है कि क्यों नियुक्ति दे दी गई, उसका औचित्य मुझे किसी प्रकार से समझ में नहीं आया। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी ने तीसरी बार शासन से आवश्यक छूट देने की प्रार्थना की। इस बार शासन ने आयोग के पास प्रस्ताव भेजा कि अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में ४ वर्ष की छूट राजनैतिक पीड़ित के आधार पर तथा शेष ३ दिन की छूट नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या इतने-इतने में समाविष्ट सामान्य नियम के अन्तर्गत दे दी जाय और आयोग से प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया। आयोग ने मामले पर विचार किया किन्तु प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। आयोग के विरोध तथा स्वयं की बार-बार की अस्वीकृति के बावजूद शासन ने अभ्यर्थी को आवश्यक छूट दे दी। तो अगर अनुनय विनय करने को हम छूट देने का औचित्य मानने लगें तो जिस विद्यार्थी का १ नम्बर कम आया है और वह फेल है तो अनुनय विनय करने पर उसे १ नम्बर की छूट दी जाय और फिर इसी तरह २ नम्बर वाले को और ३ नम्बर वाले को भी दी जाय। मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिये इससे सिफारिशों को प्रोत्साहन मिलता है।

दूसरा प्रश्न है सहायक विकास अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के बीच पदोन्नति का। १२०–२२५रुपये से २००–४५० रुपये के ग्रेड में ले जाने का सवाल है। प्रथम तो इतनी तनख्वाहों के लोगों को कमीशन में जाना चाहिये। जब आप ले गये तो आयोग ने कहा कि ये पदोन्नतियां इस प्रकार से नहीं होनी चाहिये। विभाग ने सीधी पदोन्नति करने पर जोर दिया, आयोग ने कहा कि इनमें काफी लोग ऐसे हैं जो आयोग के सामने अयोग्य सिद्ध हुये हैं, अगर पदोन्नति करते हैं तो कम से कम ५ वर्ष का अनुभव होना चाहिये मगर शासन ने नहीं माना और कारण यह दिया है कि ३३ प्रतिशत पदोन्नति करने का फैसला उस समय हुआ था जब यह आयोग के अन्तर्गत नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का वक्त खत्म हो गया है।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता, महोदय, हमने लोक सेवा आयोग की स्थापना विधान के आर्टिकिल ३१५ के अन्तर्गत की है। मैं समझता हूं कि यह आयोग ही ऐसा है जिसकी सिफारिशों को हमें सर्वमान्य समझना चाहिये। ट्रेजरी बेंचेज से अभी मेरे लायक दोस्तों ने लोक सेवा आयोग के स्तर के बारे में कहा। मुझे ताज्जुब होता है कि जो लोग दूसरों के स्टैंडर्ड की बात करते हैं वे स्वयं अपने स्टैंडर्ड को नहीं देखते। जो भी मुख्य मंत्री कुर्सी पर होता है उसी के स्पोक्समैन बनना शुरू कर देते हैं। पहले डाक्टर साहब के स्पोक्समैन थे और अब गुप्ता जी के स्पोक्समैन हैं। यह भी कहा गया कि लोक सेवा आयोग में और सरकार में काफी समन्वय बढ़ता जा रहा है। इसी रिपोर्ट में बीसों जगह पर आयोग ने सरकार के कृत्यों पर आपत्ति उठाई है। मेरे पास समय नहीं है वरना मैं बताता। प्रत्येक कैंडीडेट पर आयोग २,३ मिनट खर्च करता है। आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर के बारे में कहीं कुछ नहीं है, यद्यपि आये दिन अखबारों में देखने को मिलता है कि लाल किला कहां है और भारत का प्रधान मंत्री कौन है, ये बातें कैंडीडेट्स को नहीं मालूम होती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का और इलाहाबाद इत्यादि का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। इसके बारे में चैप्टर इसमें होना चाहिये था। चैप्टर १४ के पैरा २ में एक हेड कांस्टेबिल को स्पेशल सर्कम्स्टांसेज में स्पेशल पेंशन देने की बात थी। सरकार को उसे मानना चाहिये था ताकि एक परम्परा स्थापित होती और सिपाही लोग समझते कि हमारे बच्चों का खयाल करके सरकार स्पेशल पेंशन भी देगी और वे अधिक निर्भय होकर अपना कर्त्तव्य पालन करते।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां गजेटीयर लिखे जा रहे हैं। इस संबंध में पदों की भरती के बारे में सरकार ने कमीशन की राय नहीं मानी। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि गजेटीयर लिखने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कमीशन के दायरे का खयाल सरकार को करना चाहिये।

जैसा कमीशन ने एक के बारे में कहा है उससे प्रदेश की बेरोजगारी पर क्या असर पड़ता है इसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी के ऊपर है। कमीशन इस पर कमेंट नहीं कर सकता है। सरकार ने ५८ वर्ष से जो ५५ किया मैं उसे अच्छा कदम समझता हूं। विरोधी दलों के लिये यह नहीं समझना चाहिये कि हम अच्छे काम की तारीफ नहीं करते। लेकिन इस संबंध में कई बार मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के मुकाबिले का दूसरा नहीं मिलता है जैसे कोई टैक्निकल आदमी है तो हम उसे १० साल तक ऐक्सटेंशन दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वह आज इसकी सफाई करें। एक्सटेंशन देने से दूसरे लोगों का हक मारा जाता है। जहां हम सर्विसेज को क्रीटिसाइज करते हैं वहां उन्हें प्रोटेक्शन देना भी हमारा काम है।

इस बात का भी प्लान होना चाहिये कि हमारी योजनाओं के अनुसार हमें कितने ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है। ऐसे भी मामले नहीं होने चाहिये कि हमारे यहां १२,१५ वर्षों से काम करने वाली अध्यापिकायें इसलिये निकाल दी गईं कि कमीशन ने उन्हें एप्रूव नहीं किया। सरकार को देखना चाहिये कि तृतीय प्लान के प्रथम चरण में वह कितने स्कूल खोलना चाहती है और उनके लिये कितनी अध्यापिकाओं और अध्यापकों की जरूरत होगी। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड लिस्ट सरकार को रखनी चाहिये।

उत्तराखंड और कुमायूं में ओवरसीयर्स की बड़ी डर्थ है। १८,००० फीट ऊंची लीपू लेक और १४,००० फीट ऊंचे कालापानी में यहां के मैदानी ओवरसीयर काम नहीं कर सकते। पी०डब्ल्यू० डी० में कमीशन से एप्रूव्ड लिस्ट पड़ी है और लोग नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल से यहां पूछने आते हैं कि उनका हो क्या रहा है। कमीशन की लिस्ट के बाद बंगलिंग नहीं होनी चाहिये। एप्रूव्ड कैंडीडेट को यह भरोसा होना चाहिये कि वह किसी एम० एल० ए० या एम०पी० की सिफारिश के बगैर या किसी मंत्री की सिफारिश के बगैर भी एप्वाइंट हो जायगा। आज ऐसा नहीं है। आज लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूव्ड लिस्ट एक ओर रखी रह जाती है और अफसरों के रिश्तेदार और उनके लड़कों के एप्वाइंटमेंट्स हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनका एप्वाइंटमेंट क्यों किया गया लेकिन जिस एक्स केडर के आधार पर उनका एप्वाइंटमेंट किया गया उसी प्रकार से दूसरों का भी होना चाहिये था।

बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें सरकार नियमों का पालन नहीं करती। एक इंजीनियर साहब को ५ साल तक रखा गया। जब कमीशन ने उसके बारे में सरकार से पूछा तो उसको कोई उत्तर नहीं दिया गया। अगर सरकार कमीशन में लोगों की आस्था को बढ़ाना चाहती है तो उसको नियमों का पालन करना चाहिये और जब कमीशन से लिस्ट एप्रूव होकर आये तो तुरन्त ही उन स्थानों को भर दिया जाना चाहिये।

बहुत सी बातों के बारे में सरकार से टिप्पणी अथवा कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन वे आज तक नहीं भेजे गये। माननीय मुख्य मंत्री जी को विभागों को इस बात की हिदायत कर देनी चाहिये कि अगर कमीशन कोई कागजात चाहता है तो उनको जल्दी से जल्दी भेजना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि बहुत से विभागों में कोई नियमावली ही नहीं है। उन विभागों के लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है। जिला परिषदें बनी हैं और सारे जिलों में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे, पंचायत राज अधिकारी, पी०आर०डी० और नियोजन

[श्री प्रतापसिंह]

विभाग के कर्मचारिगण हैं, उनका भविष्य क्या होगा ? मैं आशा करता हूं कि उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी नीति को स्पष्ट करें, क्योंकि इसका संबंध पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं है, उन्हीं से है।

विशेष रूप से मैं एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे दुख है कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। मान्यवर, विदेशों को कैंडीडेट्स भेजे जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि विशेषज्ञ बाहर न भेजे जायं, लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना है कि ऐसे लोग बाहर भेजे जायं जो काबिल हों। यह नहीं होना चाहिये कि प्रताप सिंह की अगर पहुंच है तो उसका कैंडीडेट भेज दिया जाय, इससे बुद्धिजीवियों में असंतोष बढ़ता है। मान्यवर, आयोग कहता है--

"आयोग ने यह देखा कि प्रशिक्षण कोई अभ्यर्थी विदेशों में प्राप्त करता है, उसका कोई संबंध भारतीय परिस्थितियों से नहीं रहता है और बहुतों के प्रशिक्षण लेने का अभिप्राय इसकी अपेक्षा कि जो कुछ उन्होंने विदेशों में सीखा है उसको आत्मसात् कर लें, केवल यह रहता है कि विदेशी अर्हता उनके नाम के साथ जुड़ जाय। आयोग ने यह भी देखा कि जो अभ्यर्थी बाहर गये थे, उनमें से बहुतों ने समय और धन के व्यय के अनुपात से अधिक लाभ नहीं उठाया था। इसमें वहां के प्रशिक्षण का दोष नहीं है, बल्कि होना यह चाहिये कि जब अभ्यर्थी को प्रशिक्षण या अनुसंधान के लिये भेजने का प्रस्ताव किया जाय, तब होना यह चाहिये कि विशेषज्ञों की एक परिषद् उनकी परीक्षा बारीकी से कर लें और उनके चुनाव की कसौटी केवल उनकी कागजी अर्हतायें न रहें।"

उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह कहता हूं कि जो करेक्टर रोल अंग्रेजों के जमाने से चला आता है, उस पर निर्भर न करें। उस प्रणाली को बदलें। आज किसी कर्मचारी के लायल टु दि गवर्नमेंट होने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि वह लायल टु दि नेशन भी होना चाहिये। यह नहीं कि एक बड़े मिनिस्टर ने सुरक्षा के कागजात विदेश भेज दिये। यह देश के प्रति वफादारी नहीं है। व्यक्तिगत खुशामद करने वालों का कैरेक्टर रोल क्या होता है और देश के लिये जान देने वाले कर्मचारियों का केरेक्टर रोल क्या होता है, मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी तमाम बातों की छानबीन करते हुये इसकी भी छानबीन करेंगे, ताकि लोगों को यकीन हो सके कि कार्य के आधार पर हमारा केरेक्टर रोल बनता है न कि सिफारिशों के आधार पर।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आयोग की हमें इज्जत करनी चाहिये क्योंकि संविधान के आधार पर ही हमने उसे बनाया है। हम उसकी इज्जत करेंगे तो लोगों की आस्था आयोग के प्रति बढ़ सकती है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो आयोग की रिपोर्ट आज सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है, उसके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये, कुछ सलाहें दीं और कुछ आलोचना भी कीं। इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार लोकसेवा आयोग की सिफारिशों पर आदर से विचार करती है। पहले की सरकार भी उसकी सिफारिशों पर आदर से विचार करती थी और आयन्दा आने वाले वर्षों में भी वह उसकी सिफारिशों पर आदर से विचार करेगी। उसकी आवश्यकतायें सदा सरकार की नजरों के सामने रहती हैं और जब जब आयोग ने मांगें प्रस्तुत की हैं, उन मांगों को सरकार ने छानबीन करके सहर्ष स्वीकार भी किया है।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जीने अभी सदन का ध्यान इस ओर आमंत्रित किया कि जो मांगें आयोग पिछले वर्षों में अपने यहां स्टाफ के बढ़ाने के सिलसिले में करता रहा है, सरकार ने उस विषय में क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें इस रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हो रही है। मैं यहां नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी कहा--उसकी मांगें और उसकी चीजें सदा सरकार की नजरों के सामने रहती हैं। मेरे सामने जो आंकड़े हैं वे इस बात के द्योतक और सबूत हैं। उत्तरोत्तर हमें आयोग का जो स्टाफ है, उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं

को देखते हुये उसे पूरा करने की चेष्टा करते हैं। १९५९–६० के जो आंकड़े मेरे पास हैं वे बतलाते हैं कि उस साल में हमने ६ व्यक्तियों को उन्हें दिया, १९६०–६१ में हमने ७ व्यक्तियों को दिया और १९६१–६२ की जो मांग हमारे विचारार्थ हैं, वह ६ आदमियों की है, जिनमें से कुछ टाइपिस्ट्स हैं, कुछ और असिस्टेंट्स हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये हमने इस बात की चेष्टा की है कि हम अधिक से अधिक व्यक्ति, जिनकी उन्हें जरूरत है, उन्हें दें।

साथ ही जहां तक उनके स्थान का विषय है और जो कुछ उसके बढ़ाने का विषय रहा है, उस पर भी हमने विचार किया और उचित प्रकार के साधन मुहइया करने का प्रयास किया है अभी उनके यहां एक हाल की आवश्यकता थी। जहां वे इम्तहान लेते हैं वहां इम्तहान देने के लिये लड़कों को इकट्ठा होना पड़ता है, उनके लिये एक हाल बन गया है। और भी उनकी मांगें हैं अधिक जगह प्राप्त करने के सम्बन्ध में, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और थोड़े ही समय बाद हम कुछ ऐसा निर्णय ले सकेंगे कि उन जगहों के सम्बन्ध में हम उन्हें अधिक सन्तोष दे सकें।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने इस बात की ओर भी सदन का ध्यान आमंत्रित किया कि आयोग की शिकायत है कि हम अस्थायी नौकरियों पर लोगों को अधिक रख लेते हैं, और देर में उन को स्थायी बनाने के सिलसिले में उन की सलाह लेने के लिये जाते हैं। मैं यहां सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि यदि हम अस्थायी जगहों पर लोगों को रखते हैं तो इसलिये नहीं रखते कि हम उन को अस्थायी तौर पर रखने के लिये बहुत उत्सुक होते हैं, बल्कि जैसा कि सदन के सदस्यों को मालूम है कि हमें कभी-कभी जल्दी में लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है और यदि जल्दी नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है तो उस के माने यही होते हैं कि हम अस्थायी तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करें। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जैसा कि सदस्यगण जानते हैं कि पी०-एम०-एस०-पब्लिक हेल्थ सर्विस २ में काफी संख्या में स्थान खाली हैं बावजूद इसके कि आयोग एडवर्टिजमेंट निकालता है, इसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोग अर्जियां नहीं देते जितनी संख्या में कि हमारे यहां स्थान रिक्त होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो सिफारिशें आयोग से आती हैं उनमें से भी कुछ लोग बाद में नौकरी करना पसन्द नहीं करते या उस वक्त दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और स्थान रिक्त रह जाते हैं और उस हालत में हमें यदि अस्थायी रूप से आदमी मिल जाते हैं तो उन्हें हमें रखना पड़ता है। आप यह भी पसन्द न करेंगे कि देहात के अस्पतालों के लिये यदि डाक्टर उपलब्ध हो रहे हों तो हम इस इंतजार में कि हमने आयोग से अभी सलाह नहीं ली है, उन को भी न रखें। यदि हम ऐसा करें तो महीनों लग जायेंगे और वह अस्पताल जो बिना डाक्टरों के खाली पड़े हैं वहां डाक्टर नहीं पहुंच पायेंगे।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी जब कालेज से निकलते हैं और जिन्हें हम कानूनन मजबूरन देहातों के अस्पतालों में नौकरी करने नहीं भेज सकते, यदि वह हमारे पास आते हैं तो उन को हम पी०एम०एस० २ में नौकरी दे देते हैं और डायरेक्टर उन को अस्पतालों में भेज देते हैं जो कि महीनों से या वर्षों से बगैर डाक्टर के पड़े हुये थे। इसी प्रकार की परिस्थिति कभी-कभी अन्य विभागों में भी होती है। हम जानबूझकर कभी इस प्रकार की चेष्टा नहीं करते। जब आयोग की स्थापना की गई है और जब संविधान ने उसे हमारे बीच में बना रखा है तो हम भी, जैसा कि हमने कहा, इस बात की चेष्टा करते हैं कि उस की सिफारिशें जल्द से जल्द हमारे सामने आ जायं और उनके अनुसार हम कार्य करने की चेष्टा करें।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा और वह यह है कि जहां तक आयोग का सम्बन्ध है वह सरकार के लिये केवल एक सलाह देने वाली जमाअत है, इससे अधिक उस को न तो अधिकार है और न उसका उपयोग ही सरकार करती है यह बात एक परम्परा की है, यह बात एक मर्यादा की है कि सरकार स्वतः ऐसी परम्परा के पीछे चलने की चेष्टा करती है जिससे अधिक से अधिक जो सुझाव पब्लिक सर्विस कमीशन से प्राप्त होते हैं, उन पर सरकार अमल करे, लेकिन ऐसी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

स्थितियां आ सकती हैं जब सरकार आयोग की सिफारिशों से सहमत न हो, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने दो-तीन स्थानों पर अपनी बात रखते हुये अनुभव किया। ऐसे अवसर आये कि जब आयोग ने हामारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया और सरकार को स्वतः अपने विचारों को सामने रखकर आवश्यकता के अनुसार काम करना पड़ा। तो ऐसे समय आगे भी आ सकते हैं। उसका अधिकार सरकार को है और सरकार उस अधिकार को बरतेगी, क्योंकि इस प्रदेश का शासन चलाना उसका कर्त्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है। यदि हमसे कहीं गलती हो जाय, कोई खामी रह जाय तो हम तो इस सदन के प्रति और प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन वह उत्तरदायित्व इस प्रदेश की जनता के प्रति नहीं रखता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इस विचार से पूरी तरह से सहमत होते हुये भी कि हमें ऐसी परम्परा बनानी चाहिये कि जिससे हम अधिक से अधिक मात्रा में आयोग की सलाह को मानकर चलें, यह समझती है कि ऐसे अवसर आ सकते हैं कि जब हम आयोग की सलाह को न मानें और जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा तीन दिन की ज्यादा उम्र के सिलसिले में एक राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति की नियुक्ति के विषय में....

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कह रहा था कि इस प्रदेश की सरकार को इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व इस प्रदेश की जनता के प्रति और सदन के प्रति निभाना पड़ता है इसलिये आखरी फैसला इन नियुक्तियों के विषय में सरकार का ही रहेगा और रहना चाहिये और जो पालिसी के विषय हैं उनका निर्णय भी सरकार के ही हाथ में रहना चाहिये जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने भी स्वीकार किया है।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

एक बात की तरफ माननीय नारायणदत्त जी ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया कि ऐसी शिकायतें हैं कि सरकारी कर्मचारियों के कागजात आयोग के पास जाते हैं तो पूरा रेकर्ड उनके यहां कभी-कभी नहीं पहुंच पाता है। इसकी शिकायत आयोग को रही। इस सम्बन्ध मेंमैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने समय समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यह आदेश दिये हैं, इस साल भी आदेश दिया है कि इस प्रकार की कमी रेकार्ड्स के भेजने में, कैरेक्टर रोल्स अधिकारियों के भेजने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। और यदि कोई ऐसी कोताही होगी तो उस अधिकारी से जवाब तलब किया जायगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जी०ओज० भी जारी किये गये हैं सन् १९५४, १९५९ और १९६० में। उस पर भी यदि कोई शिकायत है और कहीं इस बात की कमी महसूस की गई है तो अवश्य सरकार उस अधिकारी का जिसने पूरे रेकार्ड्स नहीं भेजे हैं, यदि सरकार का ध्यान उस ओर आमंत्रित किया जायगा तो उस अधिकारी से वह जरूर जवाब तलब करेगी।

एक बात और सुझाव के रूप में बतायी गई कि लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो बहुत से लोग विदेश जाते हैं उनके सम्बन्ध में आयोग से सलाह लेनी चाहिये या किस जगह पर कौन व्यक्ति शिक्षा पाता है उस इंस्टीट्यूशन के विषय में भी आयोग से सलाह सरकार को लेनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई अधिकारी बाहर जाता है, या किसी डिग्री डिप्लोमा अथवा किसी संस्था को मान्यता देने का विषय उठता है तो यहां भी एक टेक्निकल सब-कमेटी है जिसमें मुख्य सचिव, विकास सचिव तथा वित्त सचिव और उस विभाग के भी विशेषज्ञ जो कि विभिन्न बड़े बड़े स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, वह बैठकर निर्णय लेते हैं कि अमुक संस्था को मान्यता देनी चाहिये या नहीं और अमुक व्यक्ति को यदि विदेश जाना है और अधिक शिक्षा प्राप्त करनी है तो उस व्यक्ति को उस कमेटी की सलाह की बुनियाद पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये अर्जी

देनी चाहिये या सरकार से आज्ञा लेनी चाहिये। इस प्रकार की पद्धति आज भी हमारे बीच में चल रही है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जहां तक विशेषज्ञों और विशेष संस्थाओं की जानकारी का विषय है वह अधिक आसानी से विशेष संस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसके पास काफी साधन हैं और उसके पास विशेष और विभिन्न संस्थाओं में विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इसलिये इस अधिकार का मांगना कि उस सम्बन्ध में आयोग से ही सलाह लेनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि वह कहां तक उचित मांग है।

बहरहाल, हमारे और आयोग के बीच में समय-समय पर बातचीत होती रहती है और उस विषय में भी, यदि उन्हें किसी विशेष संस्था के सम्बन्ध में कोई आपत्ति होगी तो अवश्य वह आपत्ति भी आयोग की सलाह के द्वारा दूर करने की चेष्टा की जायगी। मैंने अभी कहा कि हम अपने और आयोग के बीच में कोई खाई नहीं रखना चाहते। जैसा मैंने पहले कहा हम उसकी सारी सिफारिशों को आदर की दृष्टि से देखना चाहते हैं और आज ६,७ महीने से मुझे भी इस सरकार के नेता के रूप में कार्य करना पड़ रहा है और उस रूप में कई मर्तबा आयोग के अध्यक्ष से बातें करने का अवसर हुआ है। उन्होंने हमारी दिक्कतों को समझा है और हमने उनकी दिक्कतों को समझने की चेष्टा की है और विचारों का आदान-प्रदान समय-समय पर हमने किया है और आखिर में जब जब विचारों का आदान प्रदान हुआ है एक ही नतीजे पर हमने पहुंचने का प्रयास किया है।

एक बात एक माननीय सदस्य ने उम्र के सिलसिले में उठाई कि हमने ५५ वर्ष के ऊपर जो अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायर करने का निर्णय लिया है, उससे सहानुभूति प्रकट करते हुये उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री ने एक दफा इस सदन में ऐसी बात कह दी है जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में एक भ्रांति पैदा हो गई है। जहां तक मुझे याद है एक अवसर पर जब श्री मित्रा जो कि इरीगेशन विभाग के चीफ इंजीनियर ह और जो सरकारी नौकरी से मुक्त होने जा रहे हैं, चूंकि वह पांच साल के लिये रुड़की विश्वविद्यालय के उपकुलपति बना दिये गये थे, उनके विषय में जब यहां सदन में सवाल हुआ था तब अवश्य मैंने यह सदन के समक्ष निवेदन किया था कि श्री मित्रा ऐसे अनुभवी, योग्य और प्रतिष्ठावान् व्यक्ति और विशेषज्ञ के लिये, यदि वह फिजिकली काम करने के योग्य दस साल तक भी रहें और मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो तो उनका रिटायरमेंट होने के दस साल बाद तक भी रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह विचार आज भी मेरा वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले था और यह विचार सरकार का भी बना रहना चाहिये। आखिर को हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर, खासकर ऊंची जगह पर और ऐसे मुहकमे में जहां विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है हम बहुत से व्यक्तियों को हर समय नहीं पा सकते हैं। श्री मित्रा हमारे उन अनुभवी और विशेषज्ञ इरीगेशन विभाग के अधिकारियों में से हैं जिन्हें रुड़की विश्वविद्यालय ने पांच साल के लिये उपकुलपति के पद पर नियुक्त किया था। जब हमने यह तय किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम बहुत से कार्य बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं तो हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसा व्यक्ति जोकि इतने दिनों तक इस प्रदेश में इस विभाग में कार्य करके अनुभव प्राप्त करता रहा है और जिसका इंजीनियर्स की दुनियां में बड़ा मान है, जिसकी एक प्रतिष्ठा है, हमें ऐसे व्यक्ति को उस भारी और गुरुतर कार्य के संचालन के लिये रख लेना चाहिये। इस कारण से मैंने उस विषय में दस साल तक ऐसे व्यक्ति को रखने के विषय में कुछ शब्द कहे थे वे शब्द सारे व्यक्तियों के लिये या सारे अधिकारियों के लिये न तो लागू हो सकते हैं और न मेरी। या सरकार के किसी अधिकारी की या मंत्रिपरिषद् की उनको लागू करने की कभी इच्छा हो सकती है। तो जहां तक रिटायरमेंट एज के बाद भी विशेषज्ञ लोगों के रखने का विषय है उसमें सरकार की नीति स्पष्ट है। मैंने अभी चर्चा की थी कि स्वास्थ्य विभाग में आज ऐसे अस्पताल हैं जो भारी संस्था में खाली पड़े हैं। यदि आज एक स्वस्थ्य डाक्टर जो ५५ साल की उम्र में हमारे इस नये निर्णय के हिसाब से रिटायर हो गया, लेकिन वह इतना स्वस्थ है कि लोगों की सेवा कर सकता है जहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे डाक्टर की यदि आवश्यकता पड़े और जैसी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आवश्यकता आज है, हम एक्सटेंशन देने में कोई गुरेज करने वाले नहीं हैं जब तक कि इन संस्थाओं की आवश्यकताओं को हम पूरी नहीं कर देते जिनको पूरा करना हमारा कर्त्तव्य है। हम ऐसे व्यक्तियों को जो फिजिकली फिट हैं विशेष विभागों में रिटायरमेंट एज के बाद भी रखने के लिये उद्यत हैं और यह हमारी नीति है। यह या तो मेरी घोषणा समझ ली जाय या जो समय की मांग है उसके अनुसार कार्य करने की हमारी पद्धति मान ली जाय। यह हमारा तरीका रिटायरमेंट एज के बाद लोगों को कार्य करने और रखने के विषय में है।

माननीय अवस्थी जी ने शिकायत की, आपत्ति की और आलोचना की कि आयोग के जो सदस्य हैं उन तक लोग सिफारिश पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। मैं उनके इस आरोप से थोड़ी मात्रा में सहमत हूं और यह आरोप हमारे बीच से जभी दूर होगा जब हममें से प्रत्येक, चाहे वह सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहा हो, चाहे बड़े-बड़े ओहदों पर कार्य कर रहा हो, नई परम्पराओं के अन्तर्गत अपने अन्दर कार्य करने की क्षमता पैदा नहीं करता। मुझे ज्ञान नहीं कि लोग आयोग के सदस्यों के पास सिफारिशें पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उनमें से समय-समय पर और जिम्मेदार व्यक्तियों में से लोग मेरे पास आते हैं और आशा प्रकट करते हैं कि मैं आयोग के सदस्यों से सिफारिश करूं। इस तरह की बात ६,७ महीने में और पहले भी, जब मैं मंत्री था, मेरी नजर से गुजरी और मैं ऐसा समझ सकता हूं, यद्यपि आयोग के सदस्यों ने मुझे सूचना नहीं दी, कि लोग सिफारिश करने की चेष्टा करते हैं या नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि लोग ऐसी चेष्टा कभी-कभी करते होंगे। हम कैसे रोकें? यह तभी रुकेगा जब सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा बड़े-बड़े ओहदों पर रहने वाले व्यक्ति यह निर्णय करें कि वह कोई ऐसी परम्परा हमारे बीच में बनने नहीं देंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—ऐसी बात जब आपकी नजर में आई तो आपने कुछ किया या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास जब ऐसी बात आती है और जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनसे आप पूछें कि उनको क्या उत्तर मिला है। इसके अतिरिक्त उनके साथी जो ऐसी मांग प्रस्तुत करते हैं वह क्या व्यवहार पाते हैं। मैं इन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे सार्वजनिक जीवन के स्तर का दुर्भाग्य है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो आलोचना करता है और जो चेष्टा करता है वह जबतक तहैया न करेगा कि वह अपने बीच में किसी साथी को या किसी रिश्तेदार को ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा तब तक यह व्यवस्था हमारे बीच में से हटने की नहीं और ऐसा करने में प्रत्येक को सहायक बनना है, सहायता प्रदान करनी है। क्योंकि नई परम्पराओं की रचना का कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिये प्रत्येक दल के साथी को, प्रत्येक पढ़े-लिखे व्यक्ति को जिसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, उन सबका कर्त्तव्य है कि वह नई परम्पराओं को इस नये युग में बनाने की क्षमता पैदा करें और वह सब साथी मुझसे और मेरे सहयोगियों से सहायता पायेंगे, जो क्षमता पैदा करने में हमारे सहायक बनने की आकांक्षा और अभिलाषा रखते हैं।

मैं अधिक लम्बा भाषण न देते हुये उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कई सुझाव, हमारी क्या पद्धति और तरीका आयोग के साथ संबंध रखने का हो, दिये हैं। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुये इस बात का वचन दे सकते हैं कि हमारी बराबर यह चेष्टा रहेगी कि हम उन परम्पराओं के अन्तर्गत कार्य करते जायं जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। इन चन्द शब्दों के साथ जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं, मैंने उत्तर स्वरूप सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुख्य मंत्री जी कृपया इसको स्पष्ट कर दें। इस पक्ष के और उस पक्ष के लोगों में से जिन्होंने अनुचित प्रयास किया उनके नाम सदन में प्रकट कर दिये जाया करें जिससे वे ब्लेक लिस्ट में आ जायं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, इस तरह की बात करेंगे तो बहुत से जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनका सार्वजनिक जीवन में ऊंचा स्थान है, कदाचित् वे भी नामांकित होंगे। इसलिए मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता। जो बात मैंने इशारतन सदन के सामने कहीं और जानबूझ कर कही, वह इसलिए कि इस प्रकार की परम्पराएं और बातें जो हमारे बीच में समय-समय पर उठती है वह रोकी जायं और उनको रोकने में सदन का प्रत्येक सदस्य हमारी सहायता करे।

श्री उपाध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में राय जाहिर करना चाहते हों वह अपनी इच्छा जाहिर करें। कोई और बोलना चाहता है ?

(कोई नहीं खड़ा हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—भाषा वाला चला दिया जाय।

उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के बारे में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह छपा हुआ है। इसको पढ़ने की, मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने, माननीय मुख्य मंत्री जी की ४ अप्रैल को विधान परिषद् में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में सुना और समाचार-पत्रों तथा गजट में भी पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस समय कौन सी बात हो गयी, क्या कारण हुआ जो इस प्रकार की कमेटी बिठा ली गयी जो उर्दू के विषय में जांच करके रिपोर्ट दे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उर्दू और हिन्दी के प्रश्न का उद्भव सोचा जाय तो मैं समझता हूं कि पिछले एलेक्शन के बाद से ज्यादा जोर से शुरू हुआ। मैं आज तक न समझ पाया कि उर्दू और हिन्दी में लिपि के अतिरिक्त और भिन्नता क्या है ? साधारणतया हिन्दी वही है जो बोलचाल की भाषा होती है, और उर्दू भी बोलचाल की भाषा है। इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा है—"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।" अगर इसमें से "जहां" शब्द निकाल दिया जाय तो इसमें और हिन्दी में क्या फर्क है ? अगर 'जहां' के स्थान पर 'वर्ल्ड' शब्द रख दिया जाय तो क्या वह ऐंग्लो इंडियन भाषा मानी जायगी ? तो उर्दू के प्रश्न को लेकर पृथकता का भाव शुरू किया जाता है और उसको प्रश्रय देने का जो प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसको मैं नहीं समझ पाया।

उर्दू की लिपि, फारसी, इस देश की है नहीं। वह विदेशी लिपि है। सभी लोगों ने यह माना है कि उर्दू हिन्दी की एक शैली है। तो अगर नागरी लिपि में उर्दू लिखी जाय तो आपत्ति क्या है ? लैंगुएज कमीशन की रिपोर्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, लिखा है—

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice".

It is also laid down "that the State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language".

जब इतनी सुविधा प्राप्त है तो इस पृथकता के भाव को और प्रश्रय देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। आप थोड़ा-सा विचार करें। द्विराष्ट्र का सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ, जिसके

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कारण देश का बटवारा हुआ। उसके पीछे यही भाव था कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है। उनकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है। पृथकता का भाव मैं आज तक न समझ पाया। क्या इस्लाम धर्म का आनुयायी होने के लिए, मुसलमान होने के लिए उर्दू जानना आवश्यक है? टर्की वाले, इजिप्ट वाले, फारस वाले उर्दू नहीं जानते। परन्तु यहां एक पृथकता का भाव लाया गया। इस भाषा के प्रश्न को पृथकता का आधार बनाया गया। यह अनुचित है। आज सारे देश में हल्ला मचा हुआ है कि साम्प्रदायिकता बहुत बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। आज ऐसी बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता के पीछे जो भाव है उसको क्यों सरकार ने प्रश्रय दिया? इस प्रकार का कमीशन नियुक्त करके, कमेटी बिठाकर उसको प्रश्रय देना अनुचित है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सरकार स्वयं इस भाव को, इस नीति को इस प्रकार प्रश्रय दे रही है। दिल्ली में मुस्लिम कान्फरेंस होती है। उसकी मांग होती है कि उर्दू हमारी भाषा है, उसका संहार हो रहा है। डाक्टर सैय्यद महमूद उस कांफरेंस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटिजेन समझा जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि सेकेंड क्लास सिटिजन का क्या ब्रैंड है। हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब यहां भी मंत्रिमंडल में थे और इस समय केन्द्र के मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। मैं तो यह समझता हूं कि कांग्रेस के मुंह में उन्होंने कालिख पोत दी और उस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह डिमांड की। उत्तर प्रदेश की यह सरकार उनके उसी प्रस्ताव को मान कर के काम कर रही है। इस तरह वह मुस्लिम कान्फ्रेन्स इन ऐक्शन दिखाई दे रही है। आज उस साम्प्रदायिकता को बढ़ाने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और यह जो कमेटी बिठायी है इस सरकार ने इसके कारण यह और बढ़ेगी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बड़ा टेक्निकल विषय है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो कि भाषा विज्ञान के माने हुए बड़े भारी विद्वान् हैं, उनका मत, इस विषय पर, अगर आप आज्ञा दें, तो पढ़ देना चाहता हूं—

भाषा विज्ञान के पंडित डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी कुछ वर्ष पहले यह मत प्रकट किया था—अरबी और फारसी का प्रभाव हिन्दी की वर्तमान शैली पर जरूर पड़ा है और इन भाषाओं के शब्दों को अपनाये उर्दू शैली भी हिन्दी में चल पड़ी। उत्तर प्रदेश की मूल भाषा के लिए ऐतिहासिक रूप से हिन्दी या हिन्दवी का नाम चला आया है।

स्पष्ट है, भाषा विज्ञान के एक इतने बड़े विद्वान् व्यक्ति का यह मत है कि उर्दू हिन्दी दोनों एक ही हैं, एक ही शैली हैं उनकी फिर भी यह उर्दू को अलग मानते हैं, चाहे लिंग्विस्टिक माइनारिटी के नाम पर चाहे रिलीजस माइनारिटी के नाम पर.....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि क्या यह जो आज विवाद होने जा रहा है यह हिन्दी और उर्दू के सवाल को लेकर होने वाला है या इस सवाल को लेकर होने वाला है कि उर्दू इस देश की रेकग्नाइज्ड संविधान में दी हुई भाषा है और उसके विषय में सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो कदम उठाये हैं वे कोई ऐसे कदम हैं कि जिनसे हिन्दी को नुकसान होने जा रहा है। इस विषय पर चर्चा है या हिन्दी और उर्दू को लेकर बाहर जो बहुत सी चीजों पर विवाद चल रहा है उसके विषय में आज यहां विवाद होने वाला है, क्योंकि संविधान में उर्दू को एक स्थान मिला हुआ है, वह १४ वीं भाषा उसमें है। तो हिन्दी और उर्दू का जो यह विवाद इस तरह से शुरू करने की बात है, मैं ऐसा नहीं समझता था और जो प्रश्न आपने भेजा था जिसमें नियम ५३ में इस पर बहस होना था उसमें हिन्दी और उर्दू की चर्चा इस तरह से होने की बात नहीं थी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने शायद मेरी पूरी बात सुनने का कष्ट नहीं किया। मैं तो एक तर्क दे रहा था। अगर जो मेरा प्रस्ताव है वह मैं पढ़ दूं, तो चीज स्पष्ट हो जायगी।

"इस उर्दू समिति का निर्माण सरकार का एक ऐसा गलत कदम है जो महत्वपूर्ण विवाद को जन्म देता है। समिति के गठन से प्रदेश में साम्प्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न हो गया है जो प्रदेश को भयानक संघर्षों की नौबत तक पहुंचा सकता है।"

तो उन्होंने जो समिति बैठायी है वह क्यों गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं तर्क दे रहा था। मेरे उस तर्क को लेकर बीच में ही वह कहने लगे कि यह क्या कर रहे हैं? तो ऐसे बुद्धिमान मुख्य मंत्री इस प्रकार के प्रश्न उठाने लगें, यह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। आपके नेता अपनी बात कह चुके हैं।

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया है, उस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विवाद कुछ ऐसा क्लिष्ट और पेचीदा हो जाने की सम्भावना है कि जिसमें विषय की सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती और मेरी राय में दुबे जी का भाषण अभी उस सीमा तक नहीं पहुंचा है कि जिनको रोका जा सके।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो मैं यह कह रहा था कि जब दोनों एक ही शैली हैं जैसा कि स्पष्ट है तो यह जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, उससे भीषण विवाद खड़ा हो सकता है। इस प्रकार के कदम को उठाकर आपने, जो कन्ट्रोवर्सी प्रैक्टिकली समाप्त की थी, उस कन्ट्रोवर्सी को और आगे बढ़ा दिया है। मैं श्रीमन्, यदि यह कहूं कि आपने जिस आग को बुझा दिया था उसके अन्दर और घी डालने का काम किया है। उनकी अब यह भावना हो गई है कि भाषा के अनुसार हमारी माइनारिटी है और उनकी भाषा उर्दू को प्रश्रय दिया जाय। जब आप एक भाषा की बात सोचते हैं तो सिन्धी के लिये भी आपको सोचना होगा और बंगाली के लिये भी सोचिये। क्या आप इस प्रकार का कदम उठाकर उन भाषाओं के लिये नहीं सोचियेगा? तो यह जो सारा प्रश्न मुख्य मंत्री जी ने खड़ा किया है। हम समझते हैं कि एक इस कदम को उठाकर उन्होंने बड़ी भारी भूल की है जिसके कारण भीषण परिणाम हो सकते हैं और इस भीषण परिणाम की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर होगी और कांग्रेस पर होगी। यह कहना कि यह भाषा का प्रश्न और इस विवाद को न उठाया जाय और इस पर विवाद न हो, क्योंकि इसके आगे परिणाम भयानक हो सकते हैं, मैं उचित नहीं समझता। मैं जानना चाहता हूं कि लैंगवेज कमीशन की जो सिफारिश थी उसके अनुसार सरकार को निश्चय करने की जो बातें थीं उसने क्यों नहीं किया? उसके लिये क्या उचित कदम होने चाहिये, उसमें क्या कमी है, क्या उनको और सुविधा दी जाय, इस तरह की बातें हो सकती थीं लेकिन आपने वैसा नहीं किया। राज्यपरिषद् में ४ अप्रैल, १९६१ की बैठक में मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार अल्पमत की भाषा के रूप में उर्दू को दिये गये संरक्षण के सम्बन्ध में स्थिति की जांच करने के लिये भाषा समिति की नियुक्ति करेगी जो उनके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और कमियों को मालूम करेगी और बतलायेगी कि उर्दू के विकास के लिये और कौन से उपाय आवश्यक हैं।

अब श्रीमन्, विचार किया जाय कि जब संविधान के अन्दर पर्याप्त सेफगार्ड हैं तो उसके बावजूद भी कौन सी सुविधायें दी जायं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि किया जाय तो इसका क्या अर्थ है? इसका साफ अर्थ यही है कि जितना यह हल्ला मचाया जाता है वह इस लिये कि एलेक्शन नजदीक आ रहा है। वह इस समय चाहती है कि इस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिये लोगों को बतला दिया जाय कि सरकार उनके लिये इतनी सुविधा देना चाहती है। यही सरकार की नीयत इसके पीछे स्पष्ट मालूम होती है। जब हिन्दी राज्य भाषा घोषित हो चुकी और उर्दू हिन्दी का विवाद समाप्त हो चुका और इस प्रकार से कोई प्रश्न हमारे प्रान्त में हिन्दी उर्दू का नहीं रह गया तो फिर क्यों इस प्रकार से समिति की नियुक्ति की जाती है? केवल यही इसका अर्थ है कि एलेक्शन नजदीक आ रहा है तो इस प्रकार से एलेक्शन में किसी प्रकार से

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

जीत प्राप्त हो, उसी उद्देश्य से यह किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कदम से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है और यह कांग्रेस की एक चाल है। मैं तो समझता हूं कि यह उसी प्रकार की चाल है जो उसने केरला में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और अपने एलेक्शन को जीतने के लिये इस प्रकार की चाल चली थी।

मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो विचारणीय विषय उस समिति के सामने हैं वह उर्दू के संरक्षण का प्रश्न या और ऐसे सम्बन्धित विषय भी विचार करने में आ सकते हैं जो समिति की राय में ठीक समझे जायं और उस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये उससे कहा गया है। क्या इससे दो ध्वनि नहीं निकलती है? एक तो यह है कि आइये हमारे साथ, तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है। दूसरे यह कि संविधान को बाइपास करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि लोगों के मन में यह भाव पैदा नहीं हो सकता कि हम पृथक हैं और अपनी भाषा के प्रश्न को अलग से उठायें? लैंगवेज के नाम पर, भाषा के नाम पर और माइनारिटी के नाम पर एलेक्शन में ज्यादा वोट प्राप्त करने के लिये जो रुख अख्तियार किया जा रहा है उस से क्या संविधान को बाइपास नहीं किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि संविधान के प्रति एक फ्राड है। इस प्रकार के संविधान के अन्दर चेन्ज करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। टर्म्स आफ रिफरेन्स में जो यह संविधान की उपेक्षा का प्रयास और पोलिटिकल दलों के मेन के आधार पर जो मुख्य मंत्री जी यह करने जा रहे हैं उन सब कारणों को वह बतलाते कि क्यों ऐसा किया गया। कारण कुछ नहीं, बस जैसे लोगों को सुबह इलहाम होता है उसी तरह से यह हो गया—लेट देयर बि लाइट, एंड देयर वाज लाइट। मैं अपनी बात छोड़ दूं, लेकिन मुख्य मंत्री जी संभवतः उत्तर में यही कहें, जैसा कि आजकल का फैशन है, विरोधियों को विश्लेषणों से अलंकृत करते हुए कि यह तो साम्प्रदायिक हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि जनसंघ साम्प्रदायिक है, किन्तु उन्हीं के दल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का जो वक्तव्य है उस ओर भी क्या वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान गया है। यह ठीक है कि उसका रिज्वाइंडर भी निकला है, लेकिन वे स्वयं सोचें कि वास्तव में किस की बात में तथ्य है।

इतना ही नहीं, आज आपने यह कमीशन बैठा कर कर अपने देश के विरोधियों को एक शस्त्र दे दिया है ताकि वे प्रचार कर सकें कि इस देश में और खास कर प्रदेश में माइनारिटीज के ऊपर बड़ा अत्यचार होता है। अब उस अत्याचार के विरुद्ध एजीटेशन हुआ तो सरकार इस प्रकार का कमीशन बैठाने के लिये बाध्य हुई है। यहां पर ही यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि काश्मीर के विषय में नेहरू जी के भाषण का प्रयोग जफरुल्ला खां ने यू० एन० ओ० में कैसे किया था। देश के अंदर जिन विघटनकारी शक्तियों के प्रचार के कारण और साम्प्रदायिकता के प्रचार के कारण देश में अनर्गल और अनायास विरोध खड़ा हो गया था और जिस पर ही देश के विभाजन की नींव रखी गयी थी, क्योंकि भाषा को लेकर ही जो पृथकता दिखायी गयी थी वह आगे भी हो सकती है, उस ओर हमें सतर्क रहना चाहिये। वही चीज आसाम में हमें आज दिखायी पड़ रही है। कछार वगैरह में जो एजीटेशन चल रहा है, नागा लैंड में, जो पृथकता का रूप खड़ा हो रहा है, क्या आश्चर्य है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को आश्रय देने के बाद वही रूप यहां भी न खड़ा हो जाय। आपने उन शक्तियों को अपने देश में, और विदेश में, अपने देश को बदनाम करने के काफी साधन दे दिये हैं। आप कहते हैं कि हमने कमियां देखी हैं और इसलिये यह कमीशन बैठाया है, लेकिन इसके विरुद्ध इतने ही जोर से यह कहा जा सकता है कि जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ गया, तभी यह कमीशन बैठाया गया है। ऐसा करके आपने देश और प्रदेश की भलाई नहीं की है। भले ही आप एलेक्शन में दलगत वोट पा सकें, भले ही आप लालच देकर वोट ले लें, लेकिन इससे देश और प्रदेश की हानि हुई है। इससे दलगत लाभ हुआ है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है।

तो मैं चाहता था कि इस विषय पर गंभीर विचार होना चाहिये कि मुख्य मंत्री जी का यह कदम उचित है अथवा अनुचित। मेरी समझ में यह उनका कदम आज भी अनुचित है और मुख्य मंत्री

जी ने जो बीज इस समय बोया है उसका भीषण कुपरिणाम हमारी भावी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। अगर यह प्रवृत्ति रोकी नहीं गयी तो उसका कुफल हमारे सामने आना अनिवार्य है। संविधान में इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था है और उसके बाद भी आगे बढ़ कर कोई कार्य करने की आप को क्या आवश्यकता है ? क्या इसलिये कि वह सरकारी नौकरियों में बढ़ गये हैं या इसलिये कि उस उर्दू का प्रयोग सारे पुलिस के कागजों में किया जाय ? यदि यही हो तो उसका अर्थ यह होगा कि आप दुभाषी राज्य अपने यहां खड़ा कर लेंगे। यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में ६ परसेंट मुस्लिम आबादी है और मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूं १९५१-५२ की सेंसस रिपोर्ट की ओर, उसमें उर्दू बोलने वालों की संख्या कुल ९० लाख है। उसमें ४५ लाख ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम उर्दू समझ सकते हैं। तो साढ़े ६ करोड़ के राज्य में ६ परसेंट उर्दू बोलने वाले लोग हैं और अगर उनको आधार दें तो तीन परसेंट लोगों के लिये आपने अपने राज्य में द्विभाषी राज्य की रूपरेखा रख दी है और दो-भाषी राज्य बनाने का अर्थ यह होगा कि ३ पर सेंट लोगों की इच्छाओं को आप ९७ परसेंट लोगों की इच्छाओं पर लाद देंगे। अंग्रेज भी यही किया करता था। साधारण आदमी उस समय उर्दू जानता नहीं था, लेकिन कचहरी में जो लिख दिया गया वह ब्रह्म वाक्य हो गया। राज्य में जब जनता की एक सरल भाषा है तो उसे मानना चाहिये, उस पर चलना चाहिये। स्कूलों में हम उनके लिये सुविधायें देते हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनकी। उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु दुर्भाग्य है कि कोई उर्दू पढ़ने नहीं आता। अब क्या हम जबर्दस्ती करें कि सारे लड़के उर्दू पढ़ने बैठें ही। यह संभव नहीं है और न होना चाहिये। सुविधायें सब हैं, लेकिन अगर उसे पढ़ने वाले नहीं हैं तो उसमें सुविधाओं का दोष नहीं है। परन्तु उन सुविधाओं में दोष निकाल कर, कमीशन बैठा कर उनके लालच को जगाना, उनमें भावना जगाना अदूरदर्शिता है और उस अदूरदर्शिता की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। इस अदूरदर्शिता की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। मैं यह चाहूंगा कि मैंने जो आरोप लगाये हैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें, क्योंकि ऐसा करने के लिये उन्होंने जो कारण दिये हैं वे कम से कम समाज के सामने तो आने चाहिये कि आखिर किन कारणों से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया। जो उन्होंने रिजुआइन्डर ईशू किया वह केवल रिजु-आइन्डर मात्र था। मैं अपने एक एक प्रश्न का आज स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में प्वाइन्ट बाई प्वाइन्ट उत्तर देंगे और यह बतायेंगे कि आखिर उनको यह कार्य करने के लिये कहां से प्रेरणा मिली। एक कोई अंजुमन तरक्कीय उर्दू जैसे नाम की कोई संस्था है जिसका वेस्टेड इन्टरेस्ट है उसमें, शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को याद भी होगा, अखबारों में निकला था, काफी लोगों से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराये और जब लोगों ने पूछा कि किस चीज पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं तो उस संस्था के लोगों ने यह बता दिया कि हम अपनी मातृ-भाषा, मादरी जबान, के संबंध में हस्ताक्षर करा रहे हैं। तो उनमें भी ऐसे लोग थे जो उर्दू नहीं जानते थे। यह हालत है।

श्रीमन्, हमारे यहां की और भी कई भाषायें हैं जैसे अवधी भाषा, भोजपुरी है, तथा और भी कई भाषायें हैं। क्या आपने कभी उन भाषाओं के विकास के बारे में भी विचार किया ? क्या आपने कभी उनके बारे में भी कोई कमीशन बिठाया ? इससे केवल साम्प्रदायिकता की भावना टपकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री मेरी बातों का उत्तर दें। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखता हूं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना और उसको समझने की कोशिश की। उनका एतराज यह है कि यह जो कमेटी मुकर्रर की गयी है वह केवल नेक्स्ट इलेक्शन को सामने रख कर दी गयी है ताकि इसका फायदा कांग्रेस को मिले। हमारे मित्र यह भूल गये कि हमारे यहां हिन्दी-उर्दू के विषय में जो नीति है वह बिलकुल स्पष्ट है और वह निर्धारित हो चुकी है और हमारे मित्र १४ जुलाई, १९५८ का जो केन्द्रीय सरकार का स्टेटमेंट है भाषाओं के बारे में, उसको अगर ठीक से पढ़ लें तो मालूम हो जायेगा। उसके

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

बाद २० जुलाई, १९५८ को यू० पी० सरकार का एक रिजोलूशन भी है उसको भी वे पढ़ लें तो स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि हमारी नीति क्या है। मेरे पास अंग्रेजी में है, माननीय सदस्यों ने उसे जरूर पढ़ा होगा।

हमारे मित्र ने यह भी एतराज किया कि इसके जो टर्म्स आफ रेफरेन्स जिस शक्ल में दिये गये हैं वे क्यों दिये गये हैं। हमारी नीति के अनुसार हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे संविधान में यह भी है कि हम जो और १४ भाषायें हैं उनका भी विकास कर सकते हैं और हिन्दी के विकास के लिये जब कभी प्रेसीडेन्ट महोदय कोई कमीशन मुकर्रर करें या भाषाओं के संबंध में जो भी कमेटी हो वह उन भाषाओं की शब्दावली लेकर हिन्दी भाषा को रिच करे। हमारे संविधान के अनुसार जो हमारी नीति है उसमें यह आता है कि हम उर्दू के लिये भी कुछ फेसीलिटीज दें। जो उर्दू बोलते हैं या समझते हैं उनके बारे में समय-समय पर सरकार की ओर से आदेश भी जारी हुये हैं, लेकिन लोगों ने यह शिकायत की कि उन आदेशों का पालन लोअर लेविल पर ठीक तौर से नहीं होता है। ऐसी उनकी शिकायत थी कि जिस वक्त हम और आप एक नीति निर्धारित कर देते हैं तो हमारा आपका फर्ज भी हो जाता है कि ठीक तौर से नीति का पालन हो और उसका कम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। तो सरकार ने यह तय किया और एक कमेटी कायम कर दी कि वह इस संबंध में जांच-पड़ताल कर ले कि क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और सही बात को किस ढंग से किया जाय ताकि यह शिकायतें रफा हो जायं। इस कमेटी के काम करने के लिये कुछ टर्म्स आफ रिफरेंस बना दिये जिसका हवाला हमारे मित्र ने अभी दिया। उसमें आये हुये लफ्ज लिंगिवस्टिक माइनारिटीज पर उन्होंने बहुत आपत्ति की कि जिस शक्ल में वह है अगर उसी शक्ल में वह रहे तो बहुत बड़ी आफत बरपा हो जाने वाली है, ऐसी उनकी आशंका है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि यह आशंका निर्मूल है।

एक बात यह भी कही गयी है कि हम उर्दू की इस शक्ल में मदद करके इस प्रदेश को द्विभाषी स्टेट बनाना चाहते हैं। न तो इसका कहीं ख्याल है और न उर्दू की इस मदद से यह द्विभाषी स्टेट बन सकता है। जैसा हमारे मित्र ने यह खुद कहा कि सेंसस फिगर्स १९५१ की उर्दू बोलने वालों का परसेंटेज इस सूबे में केवल ६.८० है और स्टेट रिआर्गनाईजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन्स यह है कि जहां कोई पापुलेशन का भाग ३० प्रतिशत ऐसा है जो किसी खास जबान को बोलता है तो वहां पर उस सूबे को बाइलिंगुअल होना चाहिये। तो इस दृष्टिकोण से यह प्रदेश कभी बाइलिंगुअल होता नहीं है और अभी हाल की जो सेंसस फिगर्स हैं वह मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके जरिये से भी मेरा ख्याल है ऐसी सम्भावना नहीं है। जब ऐसी सम्भावना नहीं है और सरकार की नीति निर्धारित है तो ऐसे इल्जाम को लगाना कि यह सरकार इस प्रदेश को द्विभाषी प्रदेश बनाना चाहती है, अगर एलेक्शन के प्रोपेगेन्डा की दृष्टिकोण से नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? मैं तो कहता हूं कि इस भाषा के मसले पर कभी ऐसा विवाद मांगा न जाता अगर एलेक्शन की बात न होती। तो जो इल्जाम हमारे मित्र हमारे ऊपर लगाते हैं वह बड़ी आसानी के साथ हम अपने मित्र पर भी आयद कर सकते हैं।

हम एक बात और कहना चाहते हैं कि इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाया गया है कि टर्म्स आफ रिफरेंस ऐसा डिफेक्टिव है कि इससे बड़ा खतरा है सूबे के लिये और जो हमारी नीति है आज तक उसको हम और विस्तृत करके उर्दू को नाजायज तरीके से प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अगर हमारे मित्र टर्म्स आफ रिफरेंस को पूरा पढ़ते, पढ़ा तो, लेकिन वह हिस्सा उन्होंने नहीं पढ़ा जो उनके खिलाफ पड़ता था, तो उनकी शंका दूर हो जाती। इस टर्म्स आफ रिफरेंस के पैरा १६ की जो सिर्फ चार लाइनें हैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं :—

"16. In formulating their recommendations on all or any of the above matters, the Committee shall ensure that no recommendations made by it

is in disharmony with the declared policy of the Government of India and the State Government on the language question or with the position of Hindi as the national language and the language of Uttar Pradesh".

यह जो कंडीशन लगा दी गई है उससे कमेटी की जो परिधि मुकर्रर कर दी गयी है उससे बाहर उनकी रिकमेंडेशन्स हो नहीं सकतीं, उसी के अन्दर होंगी, लिहाजा वह खतरात जो हमारे मित्र के दिमाग में पैदा हुये कि इससे जितना ही ज्यादा आगे बढ़ते जायेंगे तो उससे हम नाजायज प्रोत्साहन उर्दू को देते जायेंगे वह खतरात भी इससे खत्म हो जायेंगे, क्योंकि कमेटी के लिये रख दिया गया है कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन किसी मामले पर नहीं देगी जोकि गवर्नमेंट आफ इंडिया की और यू० पी० गवर्नमेंट की निर्धारित नीति के विपरीत पड़े। इस कंडीशन के होते हुये किसी आशंका की गुंजायश नहीं है। जो हमारी स्पष्ट नीति है उसको पूरे तौर से हम इम्पलीमेंट करना चाहते हैं। जो यहां आप बात करें वह ईमानदारी के साथ करें। अगर किसी भाई को कोई शिकायत हो तो उसको रफा करने की कोशिश करनी चाहिये इसी नुक्तेखयाल से यह कमेटी मुकर्रर की गयी है। जो समझदार हैं वह इसको समझ सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आपका मतलब यह है कि उनको समझ नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह हम नहीं कह सकते, आप कहें। सब समझते हैं, समझदार हैं, इसी वजह से मुख्तसिर में मैंने अपना बयान रखा है। इसमें ज्यादा व्याख्यान देने की गुंजायश नहीं और न जरूरत है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि हमारे मित्र फिर इस पर विचार करने की चेष्टा करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है वह एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप यह मतलब लगावें कि नहीं है, हमारे लिये तो है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह तो आज पता चला कि यह आपके लिये महत्वपूर्ण भी है और एक ऐसा विषय है.....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—एक प्रार्थना है कि अगर टाइम लिमिट कर दी जाती तो....

श्री उपाध्यक्ष—करीब-करीब १० मिनट में दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह एक ऐसा प्रश्न है जोकि काल और परिस्थिति के परे है। इस भाषा सम्बन्धी विषय के लिये केवल यह कह देना कि चुनाव का वर्ष नजदीक है, इसीलिये इस प्रश्न पर विचार करना है, अन्यथा नहीं करना है, यह इसके महत्व सही रूप से जनता के समक्ष रखना नहीं है। कम से कम जो ऐसा नहीं समझता और विविध दृष्टिकोणों से, मैं उस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

यह भाषा का प्रश्न कि उर्दू के विकास के लिये सही चेष्टाएं हो रही हैं या नहीं, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा कि हम मांग करते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न ठीक तरह से नहीं हो रहा है। सदन में समय समय पर चर्चा इस प्रकार की रही है कि हिन्दी में बिल नहीं लाये जा रहे हैं, बल्कि अंग्रेजी में बिल बनते हैं, बाद को वह हिन्दी में प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

किये जाते हैं और अनुवाद किया जाता है और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अनुरूप प्रयोग करने की चेष्टा नहीं की जाती है। पत्र-व्यवहार लोग अंग्रेजी में ही करते हैं। तो जिस प्रकार से कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा प्रदेश की भाषा बनाने की हम मांग करते हैं और यह चर्चा हम लोग करते है कि इसको राष्ट्रभाषा और प्रदेश की भाषा बनाने का सबल और सार्थक प्रयत्न होना चाहिये उसी प्रकार से जो मान्य भाषाएं हैं, संविधान के अनुसार, उसमें से उर्दू को समुचित स्थान मिलना चाहिये, यह भी उसी के अनुरूप है। इससे राष्ट्र भाषा को कोई कसर नहीं पहुंचती और न हिन्दी को प्रादेशिक भाषा माने जाने में ही कोई कसर पड़ती है। चूंकि उर्दू का विकास अपने स्थान पर है और हिन्दी का राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा के स्थान पर विकास होना दूसरी बातें। बिना दोनों में विरोध और असामंजस्य पैदा हुए यह काम हो सकता है।

मेरी शिकायत सरकार से दो प्रकार की हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि मैंने तो यह पद दिसंबर में ही ग्रहण किया, लेकिन उससे पहले भी उन्हीं के दल की सरकार थी। तो पहली तो मेरी शिकायत यह है कि यू० पी० लैंग्वेज कमेटी जो आज बैठायी गयी उसको कुछ पहले बैठाना चाहिये था। फिर यह कहने की गुंजाइश ही न रहती कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह कमेटी बैठायी गयी। यह बात इसलिये नहीं कही जा सकती कि इस कमेटी के चेयरमैन आचार्य कृपालानी जैसे महान् व्यक्ति हैं जो सरकार की आलोचना ही ज्यादा करते हैं। उनकी रिपोर्ट से विरोधीदल ही ज्यादा लाभ उठाया करता है। इसलिये यह कहना कि चुनाव के दृष्टिकोण से ही इस कमेटी की रचना की गयी है, कुछ ठीक नहीं मालूम होता। खैर, यह ठीक ही हुआ कि आचार्य कृपालानी जैसे व्यक्ति इसके चेयरमैन हुए, लेकिन फिर भी इसकी रचना कुछ काल पूर्व हो जाती तो जो शंका आज की जाती है वह न हो पाती।

दूसरी बात यह है कि इसका नाम यू० पी० लैंग्वेज कमेटी रखा गया है, लेकिन जांच केवल वह उर्दू के विषय में ही करेगी। मेरा सुझाव है कि उर्दू के बारे में तो यथासंभव वह जांच करे ही, लेकिन साथ ही साथ वह यू० पी० लैंग्वेज कमेटी के नाम को भी सार्थक करे। वह यह भी देखे कि हिन्दी को प्रदेश की राज्य और राष्ट्र भाषा का रूप देने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वे पर्याप्त हैं या नहीं। हिन्दी के संबंध में समय-समय पर जो आदेश जारी किये गये हैं, उन आदेशों का ठीक तरह से पालन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसका नाम यू० पी० उर्दू कमेटी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उसके नाम को सार्थक करने के लिये उसके स्कोप को बढ़ा दिया जाय।

इसके साथ ही साथ एक मसला हमारे सामने यह भी आया था कि दक्षिण की जो भाषायें हैं उनको पढ़ाये जाने के लिये हमारे यहां क्या किया जा रहा है। जैसे तामिल कन्नड़, मलायालम और तेलगू। इसके अतिरिक्त गुरुमुखी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं के बोलने वाले भी यहां रहते हैं उनके बारे में क्या व्यवस्था है, इस पर भी उस कमेटी में विचार किया जाय। और क्या इन भाषाओं के पढ़ाये जाने के संबंध में सरकार ने कोई प्रयत्न किये भी हैं या नहीं। मैं जानता हूं कि सदन में इस प्रकार का विवाद हो चुका है। उनके बारे में आदेशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ? इसलिये मेरा सुझाव है कि कमेटी के स्कोप को, उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं समझता कि इससे हिन्दी के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिये कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा और प्रादेशिक भाषा बनाने के बारे में जो आज्ञायें हुई हैं, उस संबंध में कोई कार्य हुआ है या नहीं। इस प्रकार से कमेटी के स्कोप को बढ़ा कर हमें उसको सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही जहां तक साम्प्रदायिकता का आरोप है, मैं यह नहीं समझता कि केवल इस कमेटी के बन जाने से ही साम्प्रदायिकता बढ़ती या घटती है, क्योंकि साम्प्रदायिकता के बढ़ने के अनेक कारण हैं जिनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि

उर्दू को वह स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है जोकि उसे मिलना चाहिये या उर्दू को उससे अधिक स्थान प्राप्त हो रहा है जो कि उसे मिलना चाहिये। साम्प्रदायिकता का समन्वय अगर समिति करेगी तो मैं समझता हूं कि वह अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकती है। मैं समझता हूं कि अगर हम साम्प्रदायिकता के विष का शमन करने के लिये इस समिति का सदुपयोग कर सकें तो यह सार्थक समिति होगी। इसीलिये मैं यह मांग करता हूं कि समिति के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं उनको इतना व्यापक करना चाहिये और इस समिति को इतना अधिकार देना चाहिये कि जो दायित्व इस समिति के सुपुर्द किया गया है उसका अनुपालन वह कर सके।

यहां पर भाषाई अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में तो इस चीज को साफ कर दिया है, लेकिन जो जी० ओ० है उसमें लिंग-विस्टिक माइनारिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि माइनारिटी कमेटी के आधार पर किसी सरकारी अधिकारी ने यह नाम सजेस्ट कर दिया। यह शब्द उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि उसे होना चाहिये। इससे भी सुन्दर शब्द का प्रयोग हो सकता था। इस समिति के चेयरमैन आचार्य कृपालानी ने अपनी ओपेनिंग स्पीच में इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और मैं समझता हूं आचार्य कृपालानी ने जो भाष्य किया है उस भाष्य को यह सरकार स्वीकार कर लेगी। उन्होंने कहा है--

"When, therefore, we saw that Urdu is a minority language, it does not mean that this minority belongs to a particular religion or religious community. Urdu had and has Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, etc. as its votaries. To call it the language of a minority religious community would not enhance its status, but reduce it. It may be that a smaller number of Hindus, Sikhs and Christians use it than the Muslims. But it would be incorrect to call it a language of the minority community, namely, the Muslims".

हम जब यह कहते हैं कि उर्दू एक माइनरिटी की भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्पसंख्यक किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध रखने वाले ही हों। उर्दू के हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई भी समर्थक रहे हैं। इसलिये इस भाषा को या किसी भी भाषा को अल्पसंख्यकों की भाषा कहना, इसके स्टेट्स को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। यह हो सकता है कि हिन्दू, सिक्ख, ईसाई कम संख्या में इसको इस्तेमाल करते हों, लेकिन इसको मुसलमान अल्पसंख्यकों की ही भाषा कहना गलत होगा। यह भाष्य जो कमेटी के चेयरमैन ने किया है, मुझे आशा है कि इस भाष्य को सरकार की स्वीकार करेगी और यह प्रदेश भी स्वीकार करेगा और इस कमेटी के जैसे माननीय सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि सारा देश भी इसको स्वीकार करेगा।

कहा जा सकता है कि जब लैंग्वेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी तो फिर प्रादेशिक स्तर पर इस कमेटी के बैठाने की क्या जरूरत थी, लेकिन लैंग्वेज कमीशन जो हमारे प्रदेश में विभिन्न भाषाई समस्यायें हैं उनके ब्योरे में नहीं जा सकता है। इसलिये इस समिति का कार्य यह हो सकता है कि हमारे प्रदेश की सभी भाषा सम्बन्धी समस्याओं के ऊपर यह विचार करे और उनके समन्वयीकरण का कार्य करे।

अन्त में, श्रीमन्, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी को वास्तव में यू० पी० लैंग्वेज कमेटी बनाया जाय और यह राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपने प्रदेश में सही माने में प्रदेश के हित को देखते हुए लागू करने का विचार करे और यह जानने का प्रयास करे कि उस दिशा में यहां अब तक कितना काम हुआ है। साथ ही मद्रास तथा दक्षिण भारत की जो और भाषायें हैं उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करे तथा साथ ही साथ उर्दू के विकास पर भी विचार करे। अगर इन सभी दृष्टिकोण से यह समिति विचार करे तो मैं समझता हूं कि यह देश और प्रदेश की सही सेवा कर सकगी।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यगण यह बहस सदन के सामने लाये हैं, उनका कहना है कि इस कमेटी के मुकर्रर करने के क्या कारण थे और किस वजह से आप लोगों ने इस कमेटी को मुकर्रर करना मुनासिब समझा।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि इस कमेटी को अप्वाइंट करने का नतीजा यह हुआ कि इससे साम्प्रदायिक विषमता उत्पन्न हुई है और दोनों सम्प्रदायों के बीच और अधिक विषमता बढ़ने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि इस के द्वारा जो हमारी भाषा की मंजूरशुदा नीति है उसमें सरकार परिवर्तन करने जा रही है।

अब सवाल यह है कि यह समिति क्यों नियुक्त की गई। इसका कारण यह था कि कई संस्थाओं से सरकार के पास यह शिकायतें आयीं कि उर्दू भाषा सुरक्षित नहीं है। कुछ शिकायतें अंजुमने उर्दू तरक्कीय हिन्द की तरफ से आयीं थीं। इसके अलावा समय समय पर केंद्रीय सरकार की तरफ से भी हिदायतें आती रहीं हैं कि अल्प संख्यक भाषा भाषी के अधिकार सुरक्षित रखने चाहिये। इस ढंग की हिदायतें केंद्रीय सरकार की तरफ से सारे सूबों में जाती रही हैं। इन सब कारणों से यह कमेटी बनायी गयी है। लोगों को उर्दू के विषय में शिकायतें थीं। हम सरकार की तरफ से उन पर पर्दा डालना नहीं चाहते थे। यह जानने की अवश्य कोशिश की गयी कि यह शिकायतें सही हैं या गलत हैं। अगर यह शिकायतें सही हैं तो उनको ठीक करना चाहिये और अगर गलत हैं तो सरकार की स्थिति को जनता के सामने साफ तौर से रखा जाना चाहिये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कमेटी का निर्माण हुआ है। कुछ सदस्यों ने कहा कि नाजायज शिकायतें की गयी हैं। यह शिकायतें नाजायज हैं या जायज, इसका पता लगाने के लिये यह मुनासिब समझा गया कि एक कमेटी बनायी जाय। कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न किया है कि यह कमेटी कैसे अच्छा काम कर सकती है और डा० सम्पूर्णानन्द जी का इस विषय में ब्यान है उसका हवाला दिया है।

मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगी कि आप बड़े ध्यान के साथ डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के बयान को पढ़ें। उन्होंने उसमें एक बात बहुत अच्छी और साफ बात कही है, वह कहते हैं कि :--

"The policy of the State Government in the matter of language has been very fair but Government policies are liable to get diluted by the time they reach those lower levels where they are actually implemented. A Committee of this kind can serve a very useful purpose in drawing attention to such procedural defects".

तो यह कमेटी अप्वाइंट की गई है इस लिये हमारी जो नीति है वह सही ढंग से अलम कर के चलाई जाय, उसमें कहीं कोई कमी रहती है तो उसको कैसे सुधारा जाय यह सब वह समिति बताये और जो नये सुझाव हों वह दें। सम्पूर्णानन्द जी ने जिन्होंने सबसे पहले इस कमेटी पर एतराज किया, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि यह कमेटी अच्छा काम कर सकती है और एक अच्छे उद्देश्य से इसका अप्वाइंटमेन्ट हुआ है।

दूसरा एतराज यह था कि समिति के मुकर्रर करने से विषमता पैदा हुई और माननीय सदस्य ने मुसलिम कनवेन्शन का हवाला दिया,। मैं भी ऐसा समझती हूं कि मुसलिम कनवेन्शन कोई अच्छी बात नहीं हुई और उससे न मुसलमानों को और न हिन्दुओं को ही कुछ लाभ हुआ है लेकिन आप अगर वस्तु स्थिति देखें तो आप की बात गलत है क्यों कि सरकार पहले से ही ऐसी कमेटी अप्वाइंट करने की बात सोच रही थी और शायद माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही सदन में उसके बारे में अपने विचार प्रगट किये थे कि हम ऐसी कमेटी अप्वाइंट करने की बात सोच रहे हैं और जो लोग उसके सदस्य बनाये जाने वाले थे उनसे पहले से ही खतोकितावत चल रही थी। इसलिये यह आशंका गलत है कि मुसलिम कनवेन्शन की वजह से यह कमेटी बनाई गई है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर, माइनारिटीज कोपूरा प्रोटेक्शन देने के खयाल से इस समिति को अप्वाइंट किया है।

इससे कोई विषमता नहीं बढ़ी है, बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि इस के द्वारा तो यदि कोई विषमता होगी भी तो उसके और घटने की ही गुंजायश है। जैसा कि मेरे पहले दूसरे लोगों ने भी कहा है और अभी भाई नारायणदत्त जी ने भी कहा कि इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उसकी पहली मीटिंग में ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। भाषा और सम्प्रदाय के बारे में हमारे विचार स्पष्ट नहीं हैं। आमतौर से हम भाषा को सम्प्रदाय के साथ जोड़ देते हैं। वास्तव में हमें इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए।

मगर कृपालानी जी ने अपने पहले भाषण में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि लैंग्वेज माइनारिटी और कम्युनल माइनारिटी ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। दोनों का नाता जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़ते हैं तो वह गलत है। ६ परसेन्ट लोग यहां उर्दू बोलते हैं। तो जिस भाषा को ६ परसेन्ट लोग बोलते हैं वह माइनारिटी लैंग्वेज हुई और हिन्दी मेजारिटी लैंग्वेज हुई। यह तो आंकड़ों की बात है। अब इस माइनारिटी लैंग्वेज को बोलने वाले कोई लोग हों, मुसलमान हों, हिन्दू हों, कोई भी हों, मैंने सुना, मुझे खुद नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में कायस्थ लोग हिन्दी जानते ही नहीं हैं, आजकल सीखने लगे हैं....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—सब जानते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आप शायद एक्सेप्शन होंगे। मेरे पास एक टाइपिस्ट आया। उससे मैंने हिन्दी की चिट्ठी पढ़वाई। वह पढ़ नहीं पाया। उसने कहा कि मैं कायस्थ हूं, हम लोगों की खान्दानी भाषा उर्दू रही है। ईसाई भी उर्दू बोलते हैं। तो इस प्रान्त में उर्दू माइनारिटी लैंग्वेज है। इसका मतलब यह नहीं है कम्युनल माइनारिटी के साथ इसका संबंध जोड़ा जाय। यह बात कृपालानी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। जो भाषा और साम्प्रदायिकता को मिलाया जाता है वह चीज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। यह साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू माइनारिटी लैंग्वेज जरूर है, लेकिन हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पंजाबी, सभी लोग उसको बोलते हैं। मैं कृपालानी जी के बयान से कोट करने जा रही थी, लेकिन मैं अब उसे कोट नहीं करना चाहती, क्योंकि नारायणदत्त जी ने उसे पढ़कर सुनाया है।

"लिंग्विस्टिक माइनारिटी", भाषाई अल्पसंख्यक शब्द पर ऐतराज किया गया। जब कोई शब्द हम बोलते हैं तो किसी पृष्ठ-भूमि में बोलते हैं। इसकी पृष्ठ-भूमि कौन सी है? एक "लैंग्वेज कमेटी" सरकार ने मुकर्रर की है। यह लैंग्वेज कमेटी है। यह माइनारिटी कम्युनिटी प्राटेक्शन कमेटी नहीं है, माइनारिटी कम्युनिटी इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की कमेटी नहीं है। लैंग्वेज कमेटी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू मायनारिटी लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश की मायनारिटी लैंग्वेज के सेफगार्ड के लिये, या जो हमारी नीति है वह सही चलती है या नहीं, उसको देखने के लिये यह कमेटी मुकर्रर की गई है और उसी पृष्ठ-भूमि में "लैंग्वेज माइनारिटी" शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह एक माइनारिटी लैंग्वेज है। उसका मतलब माइनारिटी कम्युनिटी से नहीं है। तो इस शब्द से हमें एतराज करने की जरूरत नहीं है। हर शब्द को कंटेक्स्ट में पढ़ना होता है, आउट आफ कंटेक्स्ट किसी शब्द को आप नहीं पढ़ सकते हैं।

जब कृपालानी जी का स्टेटमेन्ट हुआ तो उनकी कमेटी में बड़े-बड़े उर्दू साहित्यिक और बड़े बड़े हिन्दी साहित्यिक थे। किसी ने भी ऐतराज नहीं किया। इस स्पष्टीकरण को सब लोगों ने वेलकम किया। अखबारों में जो कमेन्ट्स निकले उनमें भी प्रशंसा की गई, एडीटोरियल लिखे गये। किसी ने ऐतराज नहीं किया, बल्कि यह कहा कि यह स्पष्टीकरण ठीक है। तो जब जो कमेटी एप्वाइन्ट की गई उसकी पहली मीटिंग में उसके चेयरमैन ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि कमेटी किस मतलब से बैठी है और क्या काम करने जा रही है, फिर किसी को क्यों डर लगता है, यह समझ में नहीं आता। मिसअन्डरस्टेंडिंग की क्या गुंजायश है जब चेयरमैन ने खुद स्पष्ट कर दिया? जब टर्म्स आफ रेफरेंस में सारी बातें साफ हैं तो क्या डर है? टर्म्स आफ रेफरेंस माननीय सदस्य ने खुद पढ़ दिये इसलिये पढ़ने की जरूरत नहीं है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मगर बड़ी होशियारी से उन्होंने १५ अध्याय तो पढ़ दिया और १६ वां अध्याय गायब कर दिया, मगर हुकुमसिंह जी ने उन्हें पकड़ लिया। १६वां अध्याय, जो ओवरराइडिंग है, उसमें साफ है कि....

श्री सीताराम शुक्ल—एक प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री सीताराम शुक्ल—सुनाई नहीं पड़ रहा है, माइक्रोफोन पर बोलें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्री हुकुमसिंह जी ने साफ कर दिया। क्योंकि यह डिबेट की चाल है, होशियार लोग दोनों तरफ बैठे हैं, जो कोटेशन देते हैं तो आधा कोटेशन देते हैं जो आउट आफ कांटेक्स्ट होता है। तो हुकुमसिंह जी ने साफ कहा कि १५ सेक्शन अगर पढ़ते हैं उसके बाद १६वां भी पढ़िये, जो ओवरराइडिंग क्लाज है। जो कहता है कि हमारे कांस्टीट्यूशन की चहारदीवारी के अन्दर यह कमेटी फंक्शन करेगी। जब यह बात है तो किस बात का डर है? पुरानी नीति को छोड़कर कोई हम नई पालिसी तो नहीं लायेंगे। इसलिये डर की कोई बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। १० मिनट का समय आपने दिया था। तो मिनिस्टर और सदस्य सब १० मिनट बोलेंगे या मिनिस्टर के लिये कुछ अधिक समय है?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने दोनों तरफ शब्द लगाया था, आपने शायद सुना नहीं कि करीब-करीब १० मिनट दे रहा हूं। तो कभी ८ और कभी १२ मिनट हो सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—एक और व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—एक बात कही गई कि हिन्दी और उर्दू में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। अगर यह बात सही है, तो झगड़ा किस बात का?

दूसरी बात यह है कि संविधान में उर्दू को एक भाषा रिकग्नाइज किया गया है। संविधान में धाराएं हैं जिनमें सारे इंस्ट्रक्शन्स दिये हुये हैं कि किस तरह से भाषा को प्रोटेक्ट किया जाय। आपके प्रदेश का एक पालिसी स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया कि उर्दू भाषा में कोई अगर कोर्ट में अर्जी देना चाहता है तो दे सकता है। लखनऊ बेंच ने १९५९ में एक डिसीजन दिया है कि उर्दू भाषा में अर्जी दे सकता है और उसी के आधार पर जनरल, सिविल रूल्स में चेंजेज किये हैं। आपने डिक्लेयर किया है कि प्राइमरी स्कूल में अगर उर्दू भाषा भाषी लड़के कुछ तादाद में हों तो उनको सहूलियत दी जायगी। सेकेन्डरी स्टेज पर भी इस ढंग की सुविधा दी जायगी। ऐडमिनिस्ट्रेशन में रेक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं, उनमें भी है कि अगर एक आदमी बाकी बातों में ठीक है मगर हिन्दी में कमजोर है तो उसका थोड़ा (Consideration) किया जाय। यह आपकी पालिसी है। ऐसी हालत में यह कहें कि उर्दू और हिन्दी भाषा में कोई अन्तर नहीं है, यह बहुत लेट है। This Statement is too late in the day। आपको पहले ही कह देना चाहिये था कि हिन्दी के अलावा उत्तर प्रदेश में और कोई भाषा नहीं मानी जायगी। संविधान आपने माना है फिर किस बात का झगड़ा है? कांस्टीट्यूशन जब तक नहीं कहेगा कि उर्दू को निकाल देंगे तब तक यह मानना पड़ेगा। उसको मानते हुये अगर पालिसी का इम्प्लीमेंटेशन न हो तो सरकार को देखने का पूरा अधिकार है कि संविधान की मंशा का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। अगर किसी माइनारिटी का कोई भी अधिकार सुरक्षित न हो तो देखना सरकार का कर्तव्य है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि उर्दू भाषा को रक्षा देने से,ऐसा करने से, बाइलिंगुअल स्टेट हो जायगी और इससे भाषा का झगड़ा बढ़ेगा। बाइलिंगुअल स्टेट तो हो नहीं सकती। पालिसी है कि ३० परसेंट अगर दूसरी भाषा बोलने वाले हों तो वह स्टेट बाइलिंगुअल होगी। तो हमारे प्रदेश में तो ६ परसेंट ही हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश में बाइलिंगुअल होने का कोई अंदेशा नहीं है।

मैंने भी अपने जीवन में काफी अनुभव किये हैं, सामप्रादायिक झगड़े भी बहुत देखे हैं और भाषायी झगड़े भी देखें हैं। पिछले साल इन्हीं महीनों में मैं आसाम में ३, ४ महीन रही, वहां की हालत से अच्छी तरह परिचित हूं। असमी और बंगला में, जितना अन्तर हिन्दी और उर्दू में है, उससे भी कम है, क्योंकि एक ही लिपि है और दोनों भाषायें साथ-साथ मुद्दत से थीं। झगड़ा कैसे शुरू हुआ? जब आसामियों ने तय किया कि बंगला भाषा को बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तब लड़ाई शुरू हुई और एक बड़ी भयानक लड़ाई वह हुई। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कमजोर है उसको जब तक आप न्याय देंगें, सुरक्षा देंगे उस समय तक झगड़ा नहीं होगा। जिसके पास कम ताकत है, जो कमजोर है उसको जब आप कुचलना चाहते हैं तब झगड़ा पैदा होता है। इसीलिये जो हिन्दी भाषा, आप लोग कह रहें हैं, आप लोग जरा दिल बड़ा कर के, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनकी मदद करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। फिर हिन्दी वालों को क्या डर है? आपकी भाषा तो राष्ट्र भाषा है। आपको तो फिक्र होनी नहीं चाहिये। आपकी भाषा तो सारे देश के लोग अपनाने जा रहें हैं।

माननीय नारायणदत्त जी ने शिकायत की कि हिन्दी को जितना प्रोत्साहन देना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। यह हो सकता है। मगर मैं पसन्द करूंगा कि अगले एलेक्शन में नारायणदत्त जी जरा पार्लियामेंट में चले जांय और वहां वह देखेंगे कि जो मद्रास वाले, बंगाल वाले, केरल वाले, आन्ध्र वाले लोग बैठे हुये हैं वे ज्यों ही कोई हिन्दी की बात आयी, त्योंही चिल्लाने लगते हैं। इसलिये हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। हिन्दी को हमने अपनाया है। अगर दूसरे लोगों को उसे सीखने के लिये थोड़ा समय दें तो उससे आपकी भाषा का नुकसान नहीं होगा। हम लोग जितने ही इनटालरेंट होंगे उतना ही हमारी भाषा के खिलाफ लोगों का दिल होगा। मैंने देखा है कि जब हम इनटालरेंट होते हैं तो जो हिन्दीभाषा नहीं बोलने वाले, हिन्दी के हिमायती हैं वे भी उसके खिलाफ हो जाते हैं।

अन्त में, मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग इस कमेटी की मदद करेंगे, ताकि हम माइनारिटीज के साथ इन्साफ कर सकें।

श्री टीकाराम पुजारी—(जिला मथुरा)—(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राजनारायण का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, एक परम्परा बन गयी है सदन में नेताओं के बोलने की। वे पीछे के बैठने वाले रह जाते हैं और ६ मिनट रह जाते हैं। मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ेगा कि पीछे बैठने वालों को समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आपके इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप में आज का विषय, जो विचारार्थ प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले अपने इस भाव को व्यक्त कर देना चाहता हूं कि भाषा का प्रश्न जो आज अपने प्रदेश और देश में उठा हुआ है यह शासक दल के द्वारा बिगाड़ा हुआ है। प्रश्न जो है वह साफ-साफ सामने रखा नहीं जाता। जो मूल प्रश्न है अंग्रेजी हटाने का गौण वह बात कर दी जाती है और विभिन्न भाषाओं का झगड़ा खड़ा कर दिया जाता है। मुझे खुशी हुई माननीया श्रीमती कृपालानी जी को सुन कर, जबकि

[श्री राजनारायण]

उन्होंने असमी और बंगला भाषा के झगड़े का यहां जिक्र कर दिया, मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं और उनकी केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो पार्लियामेंट में रह चुके हैं या जो कुछ बौद्धिक परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़े हुये हैं वे अक्सर यह बात उठा दिया करते हैं कि हिन्दी का नाम सुनते ही दूसरे लोग उबाल खा जाते हैं। हम लोग भी दक्खिन में जाते हैं। अभी मैंने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, हम हिन्दी में बोलते थे, आम जनता उसको सुनती थी, उसे पसन्द करती थी और उससे लाभान्वित होती थी। मगर सही बात यह है जो कि अंग्रेजी के गुलाम है वे उसकी श्रेष्ठता को कायम रखने के लिये बार-बार यह कहा करते हैं कि हिन्दी के कहने से दूसरे लोग उबाल खा जाते हैं। अगर यह बात सही है... (श्रीमती सुचेता कृपालानी के सदन के बाहर जाने के लिये उद्यत होने पर) श्रीमती कृपालानी जी, आप जाइये नहीं, तो बंगाल में तो कोई असमी नहीं है, क्या आज बंगाल की राज्य भाषा बंगला है? वहां तो सभी बंगाली हैं, विधान चन्द्र राय हैं, प्रोफुल्ल घोष हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बसु जी हैं। तो उस राज्य की भाषा बंगला क्यों नहीं कर दी? स्पष्ट है कि ये अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं, अंग्रेजी भषा के गुलाम हैं, अंग्रेजी भवन के गुलाम हैं और अंग्रेजी भोजन के गुलाम हैं। इसलिये सरकार आज अंग्रेजी को रखना चाहती है। लेकिन इस बात को साफ-साफ तरीके पर सामने न लाकर विभिन्न भाषाओं के झगड़े खड़ा करवाती है।

आसाम के मसले को श्रीमन्, देखें। इसका जिक्र आया है इसलिये हम कहे देते हैं। हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। एक पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। वह लोगों से प्रदर्शन निकलवाती है और जब प्रदर्शन निकलता है तो उसी पार्टी की सरकार उस प्रदर्शन पर गोली चलवाती है। इस पर श्रीमन्, बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये कि क्या कारण है कि एक ही पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी के लोग प्रदर्शन निकालें तो उसी की सरकार गोली चलाकर हिन्दू मुस्लिम के झगड़े खड़े करा दे। यह बहुत पेचीदा प्रश्न है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से देश की जनता का ध्यान मुख्य प्रश्न से हटाना चाहती है। सब से मुख्य प्रश्न अपने देश में गरीबी और बेरोजगारी है। इसको तो यह सरकार मिटाती नहीं है। कभी भाषा के झगड़े-खड़े कर देती है। कभी मुस्लिम कवेंशन कराती है और कभी हिन्दू कन्वेंशन की बात होती है। यह सारे का सारा दोष इसी कांग्रेस सरकार पर है।

माननीय मन्त्राणी जी चली गई। वह उत्तर प्रदेश की घटनाओं से कम अवगत हैं। १९५५ में उप चुनाव हुये। माननीय शिब्बनलाल जी वाला चुनाव हुआ और लखनऊ में उप-चुनाव हुआ। उस समय के माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण को पढ़ लिया जाय। वैसे बजट भाषण में भाषा के प्रश्न पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि सरकार का ध्यान गया है कि प्रदेश में उर्दू के प्रति अन्याय हो रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने फलां-फलां सरक्यूलर्स भेजे हैं। यह सब कहने का क्या प्रयोजन था? केवल यह कि लखनऊ में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इसलिये अगर उर्दू का सवाल उठा दिया जायगा तो उसका प्रकाशन समाचार-पत्रों में होगा, तो कुछ वोट्स इनको मिल जांय और त्रिलोकी सिंह जी को न मिलें। उस समय त्रिलोकी सिंह जी हमारी पार्टी के उम्मीद वार थे।

मैं माननीय नारायणदत्त जी को बहुत अफसोस के साथ सुन रहा था। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर यह एलेक्शन इस्टंट नहीं है तो क्या है? जिस समय समाचार-पत्रों में चन्द्र-भानु गुप्त जी का यह बयान आया कि हम उर्दू के सम्बन्ध में एक कमेटी बिठा रहे हैं, वह जांच करेगी कि उर्दू की तरक्की न होने में क्या-क्या बाधायें हैं? कमेटी बिठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सरकार उर्दू की तरक्की के लिये दत्तचित है तो इस सदन में बार-बार समय-समय पर सुझाव दिये गये हैं तो सरकार ने क्या किया है? मैं जानता हूं कि उर्दू यहां पर कक्षाओं में पढ़ाई नहीं जाती है। वाराणसी की मुझे जानकारी है। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने उर्दू का पढ़ाया जाना अवैध घोषित कर दिया है। इसी सदन में हमने सरकार का ध्यान

दिलाया था कि वाराणसी की म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है और विद्यार्थी इससे वंचित हो रहे हैं। लेकिन टाल मटोल करके, लीपा-पोती करके जवाब दे दिया गया है। अगर मुख्य मन्त्री जी उर्दू के लिये सच्चे दिल से इतने चिंतित हैं तो बतायें कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है? कचहरियों में उर्दू में दरख्वास्त कौन दे पाता है? इस सदन में ही हमने कहा है कि सितम्बर, अक्तूबर बीत जाता है, लेकिन जो आवश्यक संख्या किताबों की होनी चाहिये वह संख्या उर्दू में नहीं छापी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—इसलिये यह कमेटी बनी है कि सब गवाहियां उसमें आयेंगी।

श्री राजनारायण—इसलिये हम चाहते हैं कि यह मालूम हो कि गुप्ता जी ने उर्दू के लिये क्या किया है? क्या उर्दू की किताबों के छापने की व्यवस्था हो गई है। जब से मुख्य मन्त्री गुप्ता जी हुये हैं तब से क्या उर्दू पढ़ाने की सहूलियत स्कूलों में कर दी गई है? क्या जो कचहरियों में उर्दू में दरख्वास्त देना चाहता है, वह उर्दू में दे सकता है? क्या उनकी दरख्वास्तें ली जा रही हैं? मैं यह इसलिये कह रहा हूं, कि यह ऐसी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है।

सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी शेरघाटी की आल इंडिया कान्फ्रेंस में कहा कि उर्दू के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है। उसको क्षेत्रीय भाषा की मान्यता सही तरीके से होनी चाहिये। इसकी काफी चर्चा हुई। तो माननीय जवाहर लाल जी ने अखबारों में बयान दिया कि हम भी उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मानना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार ने एक परिपत्र निकाला। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उसमें से पांच में से चार अंश वह हमेशा से मानते आये हैं। इसमें छपा हुआ है—"यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह राज्य इस अखिल भारतीय नियम का पालन करता रहा है कि उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधा की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि किसी स्कूल में कम से कम ४० और एक कक्षा में कम से कम १० ऐसे छात्र हों।" यह कोई पाबन्दी नहीं है। अगर कहीं चार एक कक्षा में हों और वह पढ़ना चाहें? मैं कहता हूं कि जहां १० भी होते हैं तो आर्थिकता का नारा लगा कर वहां के जो व्यवस्थापक हैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाने की सहूलियत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर दस विद्यार्थी हो गये तो क्या उर्दू पढ़ाने के लिये शिक्षक रखे जाते हैं? क्या इसकी जानकारी माननीय चन्द्रभानु गुप्त को नहीं है? अगर उनको जानकारी नहीं है तो किसी प्रश्न पर उनको कभी जानकारी हो ही नहीं सकती।

४० से कम विद्यार्थी होंगे तो उर्दू नहीं पढ़ायेंगे। हम उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, हमारे शम्मसी मीनाई जी चिल्लाते रह गये कि उनकी पत्नी उर्दू पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी सरकार कहती है कि ६ विद्यार्थी होंगे तब पढ़ायेंगे, कभी कहती है कि दस विद्यार्थी होंगे तब पढ़ाएंगे, कभी कहती है कि पांच विद्यार्थी होंगे तब पढ़ायेंगे। अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की बातें भिन्न-भिन्न समय पर कही जाती हैं।

आज जो, उर्दू को तरक्की के स्थान पर ले जाना चाहते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने एक कमेटी बैठा दी। मैं कृपालानी जी के प्रति पूरी श्रद्धा और आदर का भाव रखता हूं। मगर उर्दू के बारे में उनका स्वतः का ज्ञान क्या है। जरा इसकी भी जानकारी सदन को होनी चाहिए। उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने क्या काम किया है? यहां पर बहुत कहा गया कि जिस कमेटी के चेयरमैन, आचार्य कृपालानी हैं, वह जरूर तरक्की करवा देंगे, मैं उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री राजनारायण—व्यक्ति नहीं, चेयरमैन आफ दि कमेटी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उर्दू की तरक्की के लिए क्या मार्ग अपनाये जा सकते हैं, इसकी जानकारी उनको स्वतः ही नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी —आप भेज दीजिये जानकारी।

श्री राजनारायण—मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आचार्य कृपालानी जो आज किसी पार्टी से सम्बन्धित हैं, क्योंकि नारायणदत्त जी ने कहा कि वह विरोधी पक्ष के नेता हैं। मालूम नहीं किस विरोधी पक्ष के नेता हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं या नहीं यह तो माननीय त्रिलोकी सिंह और माननीय नारायणदत्त जी बतलायेंगे। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, राम राज्य परिषद् के नेता तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से व्यक्तियों के बारे में नुक्ताचीनी ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण—वह सीमित है, प्रासंगिक है। जरा माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार द्वारा जो गजट हुआ है उसी को देखा जाय और इस पर प्रथम भाषण में जो व्याख्या हुई है, उसका भी अध्ययन होगा ही। यह कहते हैं—"जिसके द्वारा सरकार उर्दू को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में राज्य में संरक्षण देने में उत्पन्न कठिनाइयों व कमियों पर सुझाव चाहती है।" अल्पसंख्यक भाषा क्या है? अल्पसंख्या में जो है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसका यही अर्थ होगा। इसका भाष्य कृपालानी जी दूसरा कर रहे हैं। सारे प्रदेश को इस प्रकार का भ्रम हुआ है, गजट की इस विज्ञप्ति द्वारा। और जानबूझ कर के सरकार ने इसको कराया है कि अल्पसंख्यक की भाषा है। अल्पसंख्यक की भाषा, जो माइनारिटी कम्युनिटीज हैं उन्हीं की भाषा उर्दू नहीं है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, ८ मिनट भी अभी नहीं हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष—१३ मिनट हो चुके हैं, माननीय राजनारायण जी कान खोल कर सुन लें।

श्री राजनारायण—यानी टीकाराम जी का भी हमारे ही समय में जोड़ा जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं। उसको छोड़ कर।

श्री राजनारायण—तो वह अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है। ठीक तरह से आप देखें तो उर्दू मुसलमान भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, हिन्दू भी बोलते हैं और जैसा की सुचेता जी ने कहा कायस्थ भी बहुत बड़ी तादाद में बोलते हैं। तो हम इसको संकुचित नहीं करना चाहते कि उर्दू एक मात्र केवल मुसलमानों की भाषा है। लेकिन इससे ऐसी गन्ध निकलती है कि उर्दू केवल ऐसी कम्युनिटी की भाषा हो सकती है कि जो अल्प संख्या में हैं। मैं चाहता हूं कि इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिये और यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उर्दू इस प्रदेश की, अपने देश की एक ऐसी भाषा है जिसकी काफी सेवायें हैं, जिसने हमारी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करने में काफी ख्याति हासिल की है।

इसके साथ-साथ जहां हम सरकार की बात करते हैं वहां हम थोड़ा सा यादवेन्द्रदत्त जी के बारे में और जनसंघ पार्टी के बारे में भी निवेदन करना चाहते हैं। जो चीज इतनी नहीं थी उतनी दूर तक उसमें इनको गन्ध आ गई। गन्ध आ गई अराष्ट्रीय होने की। इसमें अराष्ट्रीयता की क्या बात है? यह अराष्ट्रीय कैसे हो गया अगर उर्दू की तरक्की के लिए कोई कमेटी बनी? यह हम कह सकते हैं कि इस कमेटी के बनाने की आवश्यकता नहीं थी या यह हम कह सकते हैं कि इस कमेटी से सही माने में उर्दू की सेवा नहीं हो सकती है। इससे कई प्रकार के नये-नये उलझाव पैदा हो जायेंगे, लेकिन यह कह दिया कि यह अराष्ट्रीय है। तो जिस एलेक्शन स्टंट को लेकर गुप्ता जी चले उसी एलेक्शन स्टंट को ले कर के माननीय यादवेन्द्र दत्त जी भी चलें। साम्प्रदायिकता की भावना आज जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार फैला रही है उससे किसी माने में कम जनसंघ पार्टी नहीं फैला रही है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को चुनावबाजी तो कहा जा सकता है, लेकिन साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता। अनावश्यक ढंग पर हिन्दुत्व की भावना को हिन्दी के साथ मिलाकर जनता में बुद्धिविभ्रम पैदा करने की अनुचित कोशिश जनसंघ पार्टी कर रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आपके

सामने आ गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य बहुत सी बातों की भी चर्चा हुई। आप देख लें। पंजाबी भाषा के आधार पर एक सूबे की मांग होने लगी। हमने सिख नेता मास्टर तारासिंह से निवेदन किया है कि आप हमेशा के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनायें और आप को यह पंजाबी सूबे की मांग छोड़ देनी चाहिए। मगर भाषा के प्रश्न को बार-बार यह कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग उठा कर विकृत कर रहे हैं।

सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री यादवेन्द्रदत्त जी की स्पीच को और उनका जो व्याख्यात्मक टिप्पणीपत्र है उसको काफ़ी गौर से सुना और पढ़ा। मैं यह आशा करता था कि वह इस प्रश्न पर चार दृष्टिकोणों से कम से कम प्रकाश डालेंगे और यह साबित करेंगे कि जो आशंका उन्होंने अपने टिप्पणी-पत्र में व्यक्त की है वह सही होगी। वह चार दृष्टिकोण ये हैं। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, एक जनतन्त्र की प्रगति के दृष्टिकोण से, एक जो हमारा संविधान है उसके दृष्टिकोण से और चौथे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी भाषा सम्बन्धी और जो नीति हैं इन सभी दृष्टिकोणों से वह यह साबित करते कि यह जो हमने कमीशन मुकर्रर किया है उसका नतीजा खतरनाक और साम्प्रदायिक अग्नि तथा साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन उन्होंने इन दृष्टिकोणों से कोई रोशनी नहीं डाली। सिर्फ एक नीयत की बात पर वह गए कि हमारी नीयत बड़ी खराब है। अब यह नीयत का मसला ऐसा है कि जिसमें कोई लाजिक काम नहीं देती है, क्योंकि नीयत के मामले में उनकी राय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत खराब है और राजनारायण जी की राय है कि उनकी भी नीयत खराब है और मेरा खयाल है कि तीसरा कोई उठेगा तो वह यह कहेगा कि राजनारायण जी की भी नीयत खराब है। तो नीयत से कोई मसला हल नहीं हो सकता। मैं यह समझता हूं कि इस लैंगवेज कमीशन के बारे में अगर कोई दलील इसके खिलाफ दी जा सकती है तो वह एक ही है कि इसके मुकर्रर करने में देरी हुई। यानी हर तरह से मैं यह समझता हूं कि यह पहले मुकर्रर होना चाहिये था और यह दलील उस बात से नहीं कटती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि व्यावहारिक और आदर्श की दृष्टि से जो हमारी राष्ट्रीयता है आज वह काफी डावांडोल है। चारों तरफ से उसकी आवाज है कि जो पुराना राष्ट्रीयता का कन्वेशन है, वह हम रोक नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीयता का जो नया रूप है अभी लोग उसको मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसा बीच है तो उस बीच में संकीर्णता की ताक़त और साम्प्रदायिकता की ताक़त हर तरह से आती है। इसलिए हर विचारक का यह कर्त्तव्य है कि वह यह कोशिश करे कि हर तरह से राष्ट्रीयता को नया रूप दे। नया रूप देने के लिये पहले मैं यह जरूरी समझता हूं कि जो देश के अन्दर विभिन्न भाषायें, विभिन्न अल्पमत और विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके अन्दर एक सुरक्षा का भाव पैदा हो।

(इस समय ३ बज कर ४१ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उनके अन्दर यह भाव हो कि हम भी जिन्दा रहें, हमारी संस्कृति जिन्दा रहे और हमारी भाषा जिन्दा रहे। इस नजर से देखा जाय तो ऐसी पालिसी करना जरूरी है। आज की स्थिति में और भी ज्यादा जरूरी है जब कि अल्पमत वाले लोगों में यह विचार बढ़ता जा रहा है कि इस राष्ट्रीयता की नई लहर में उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रहन-सहन के तरीके की कोई गुन्जाइश नहीं है।

मुझे दुबे जी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिये कि राष्ट्रीयता के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, बल्कि बहुत सी बातों के बारे में उनका और हमारा विभिन्न दृष्टिकोण है। कांग्रेस का एक दृष्टिकोण शुरू से रहा है। हमने अक्लियतों से चाहे जो भी अक्लियत हो, उनकी संस्कृति से अपने मूवमेंट को जोड़ा है इसलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जितनी भी सर-कुलर निकलते थे वे सब हिन्दी में भी निकलते थे और उर्दू में भी निकलते थे। वह इस बात की कोशिश थी कि विभिन्न अक्लियतों के अन्दर एक जजबा राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जुड़ने का

[श्री गोविन्द सहाय]

पैदा हो। मैं समझता हूं कि जो अक्लियतों की लैंगवेज उर्दू है और यह वाक़या है कि उर्दू के पढ़ने वाले और उर्दू से रगबत रखने वाले एक बहुत बड़ी तादाद में इस सूबे में हैं। उसमें ज्यादातर अल्प संख्यकों के लोग हैं और हर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो उर्दू पढ़ते चले आये हैं। यहां की वह एक राष्ट्रभाषा भी रही है एक जमाने में। उस जमाने में वह पनपी थी। अब अगर उन लोगों की यह फीलिंग हो जाय कि यह भाषा बिलकुल नजरन्दाज की जा रही है और खत्म की जा रही है तो यह राष्ट्रीयता के प्रगति के लिये हानिकर होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस भाषा के प्रश्न पर जो नीति बरती गई है वह नई नहीं है। जो हमारे विधान की नीति है, जो हमारी यू० पी० गवर्नमेंट की नीति है उस नीति के सिलसिले में अगर यह महसूस किया गया कि उस नीति पर अमल नहीं हो रहा है इसलिये उसकी जांच पड़ताल की जाय कि आया उस पर क्यों अमल नहीं हो रहा है, क्या दुश्वारी है और उस अमल के लिये किस किस्म के और स्टेप लेने चाहिये जो हमारी पालिसी के मुताबिक अमल में आयें, तो मैं यह समझता हूं कि यह कोई नई नीति प्रतिपादित नहीं हो रही है। लैंगवेज कमीशन को बना कर कोई नई बात नहीं की गई। वही बात है जो इंडियन कांस्टीट्यूशन में और यू० पी० गवर्नमेन्ट की लैंगवेज सम्बन्धी नीति रही है। उस नीति की विफलता के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है उस स्थिति को कैसे सम्भाला जाय, उस स्थिति को सम्भालने के लिये इस कमीशन को मुकर्रर किया गया है। जहां तक वाक़या बतलाते हैं यही उससे पता चलता है।

अब आप डेमोक्रेटिक नजर से देखें। डेमोक्रेसी का एसिड टैस्ट एक ही है और वह यह कि अक्लियत किस नजर से अपने को सुरक्षित पाती है। डेमोक्रेसी में अक्लियतों में अगर ऐसी हवा पैदा हो जाय तो हमारी स्टेट के लिये एक समस्या पैदा हो जाती है। यह कोई नया प्रश्न नहीं है। दूसरी जंग के बाद प्रायः सभी देशों में, पिछड़े हुए देशों में भी यह भाषा सम्बन्धी रिआर्गनाइजेशन का प्रश्न उठा है और इन प्रश्नों को सब देशों ने, चाहे पच्छिमी देश हों या सोशलिज्म के देश हों, बड़ी खूबसूरती के साथ हल किया है। बदनसीबी है हमारी कि हमारे यहां इस प्रश्न को हल करने में मारकाट और लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। आप देखें कि स्विटजरलैंड ने इस मामले को कितनी खूबसूरती के साथ हल किया, योगोस्लाविया और कनाडा ने इस प्रश्न को किस तरह से हल किया। पूर्व और पश्चिम में अनेक देश हैं, आप देखें कि उन्होंने किस तरह से इस सवाल को हल कर के अपना नेशनल इंटीग्रेशन किया है। उन्होंने ऐसा करके हर एक अक्लियत को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का प्रयोग करने की सुविधा दी है और उस से अपने यहां नेशनल इंटीग्रेशन पैदा किया है। हमारे हिन्दुस्तान में भी यह सवाल है कि हम अपने यहां नेशनल इंटीग्रेशन करें और अच्छा होता कि उसके लिये पहले कदम उठाया जाता, लेकिन जिस समय वह कदम उठा, उसकी सराहना की जानी चाहिये। उसके अन्दर नीयत का सवाल मसले को हल नहीं करता, बल्कि लोगों को गुमराह कर देता है और राजनीति के स्तर को भी नीचा कर देता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस प्रश्न पर जो वाद-विवाद हो रहा है वह उचित नहीं है। बहरहाल, दुबे जी इस वादविवाद को उठाये हैं और वह चाहते हैं कि वाद-विवाद हो, लेकिन जो बातें और डर उन्होंने इससे जाहिर किये हैं, मैं उनकी कोई गुंजायश नहीं देखता। उन्होंने साम्प्रदायिकता, पाकिस्तान आदि कई चीजों का जिक्र किया है, मुस्लिम कंवेंशन आदि की बात भी इसमें आयी, लेकिन उस सबका इस मसले से कोई वास्ता नहीं है। वह वाकयात अपनी जगह पर हैं और मैं नहीं समझता कि इसके होने से कोई तनाव पैदा हो सकेगा या बढ़ सकेगा। आप कह सकते हैं कि माइनारिटीज का मसला है और दबाव से हल किया जा सकता है, लेकिन उससे उनमें वह नेशनलिज्म नहीं पैदा हो सकता। अगर उनके अन्दर यह सिकुड़ाव रहा, अगर उन्हें आजादी से रहने का, अपनी भाषा इस्तेमाल करने का मौका न रहा तो वह नेशनलिज्म जो तूफान और झटकों को बरदाश्त कर सके, उनमें नहीं पैदा हो सकेगा। इसलिये मेरा खयाल है कि इस कमेटी की रेकमेंडेशन्स से न सिर्फ इस प्रदेश का बल्कि देश का फायदा होगा।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी और उर्दू के सवाल को मैं धर्म और सम्प्रदाय का सवाल नहीं मानता, हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं मानता। मैं जानता हूं कि करोड़ों हिन्दू ऐसे हैं जिनकी हिन्दी मातृभाषा नहीं है, बंगालियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, मराठियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, गुजरातियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है और मद्रास के जो चार स्टेट्स हैं उनकी मातृभाषा भी हिन्दी नहीं है। इसलिये हिन्दी और उर्दू के सवाल को हिन्दू और मुसलमान का सवाल बनाना, मैं बिलकुल गलत समझता हूं। इसी तरह से उर्दू के लिये यह नहीं माना जा सकता कि वह मुसलमानों की कोई जबान है, या किसी मजहब की जबान है। उर्दू हमारे देश की एक भाषा है जिसका एक खास परिस्थितियों में विकास हुआ और उसके लिये हमारे संविधान में जगह है। इस ओर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भाषा का मामला आता है तो लोग मजहब की बात भूल जाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जब भाषा का सवाल उठा कि वहां की भाषा उर्दू हो अथवा बंगाली, तो वहां के लोगों ने, जिनमें मुसलमान भी थे, कहा कि यहां की भाषा बंगाली होनी चाहिये, उर्दू नहीं। तो इन बातों से जाहिर है कि उर्दू और हिन्दी का सवाल मुसलमान और हिन्दू का सवाल नहीं है। इसलिये मुझे सरकार से यह शिकायत नहीं है कि उसने उर्दू को संरक्षण देने का प्रयत्न किया या उसके विकास में क्या क्या कमियां हैं, क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं उनकी जांच करने के लिये यह कमेटी नियुक्त की, बल्कि मुझे शिकायत यह है कि उसने यह कमेटी इतनी देर में क्यों नियुक्त की। मेरी सरकार से शिकायत है कि यह कमेटी तीन, चार साल पहले क्यों नहीं नियुक्त की गयी और मुझे खुशी है कि इस मामले में मुझे गोविन्दसहाय जी का समर्थन प्राप्त है।

माननीय हुकुम सिंह जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि १९५८ में, जुलाई में केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति निकली थी। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं दिनों में या उससे कुछ पहले हमारे प्रधान मंत्री, पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि उर्दू को संरक्षण देने के लिये उत्तर प्रदेश में नियमों आदि में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यह जरूर मालूम होता है कि हमारे अधिकारी हमारी नीतियों और हमारे आदर्शों का पालन नहीं करते और इसलिये उनका इंप्लीमेंटेशन होने में कठिनाई होती है। उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं। इस बात की मांग चार, पांच साल से हमारे प्रदेश में रही है और हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात को माना है। इसलिये इस कमेटी की नियुक्ति कम से कम ३ साल पहले हो जानी चाहिये थी और मुझे यह शिकायत है कि इतनी देर क्यों की गयी। माननीय हुकुमसिंह जी ने माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी की बातों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि इसकी इस समय स्थापना क्यों की गयी और इसके पहले इसकी स्थापना क्यों नहीं की गयी। इस बात का जवाब किसी और सरकारी पक्ष के वक्ता की ओर से भी नहीं आया।

मान्यवर, मैं किसी की नीयत पर तो हमला नहीं करता और माननीय गोविन्दसहाय जी ने जो चार कसौटियां बताई हैं वह भी मैं मानता हूं, लेकिन मैं यह चीज कहता हूं कि यह ऐसे वक्त पर नियुक्त की गयी है जब कि एलेक्शन का समय है और सरकार पर यह आशंका पैदा की जा सकती है कि सरकार के इस कार्य का परिणाम यह होगा कि चुनाव में वोटरों पर प्रभाव पड़े। इसके अलावा यह भी है कि इस वक्त इस तरह का प्रश्न उठाकर सरकार की जो और आर्थिक समस्यायें हैं, गरीबी है, बेकारी है, महंगाई है तथा और भी इसी तरह की समस्यायें हैं, उनकी ओर से जनता का ध्यान हटाकर भाषा संबंधी विवाद की ओर ले जाना चाहती है। मुझे जहां तक इस कमेटी की स्थापना का सम्बन्ध है कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं यह भी समझता हूं कि उर्दू के विकास और संरक्षण के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाय और यही नहीं बल्कि जितनी और भाषायें हैं प्रदेश की, उनके विकास का भी पूरा अवसर हो। इस सबसे हिन्दी भाषा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसको कुछ बल ही मिलेगा। हिन्दी प्रेमी हिन्दी राष्ट्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

भाषा चाहते हैं। यह ठीक है, वह राष्ट्र भाषा हो, लेकिन हमारा मतभेद वहां हो जाता है जब हम कहते हैं कि दूसरी भाषाओं का विकास करने से या उसको संरक्षण देने से हिन्दी भाषा को हानि पहुंचती है। मेरा यह निश्चित मत है कि जो भी हिन्दी प्रेमी यह कहते हैं कि दूसरी भाषाओं को संरक्षण देने से हिन्दी को हानि पहुंचती है वे ऐसा कह कर हिन्दी को ही नुकसान पहुंचाते हैं; क्योंकि ऐसा करने से दूसरी भाषाओं वालों के अन्दर हिन्दी के प्रति विरोध की भावना पैदा होती है, वे समझते हैं कि हिन्दी भाषा जबरदस्ती उन पर लादी जा रही है। इसलिये इससे कोई साम्प्रदायिकता की भावना नहीं उठती और न ही इससे कोई खतरा है, लेकिन सरकार को यह प्रयत्न बहुत पहले ही करना चाहिये था। इतनी देर करने से उसने अपने ऊपर तीन इल्जाम ले लिये—पहला यह कि उर्दू प्रेमियों को यह शिकायत रही कि यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया। दूसरे यह कि यह चुनाव के अवसर पर ही क्यों किया गया और तीसरे यह कि चुनाव के अवसर पर यह कार्य करने से जनता का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर से हट कर इस ओर चला जाता है।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, भाषा समिति के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय दुबे जी ने पेश किया है उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उनके भाषण को भी ध्यान से सुना। उनका प्रस्ताव और उनका भाषण जिस मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण का द्योतक है उसका निर्णय मैं इस माननीय सदन तथा प्रदेश की जनता पर छोड़ता हूं। उनके ख्याल से यह समिति जो बनाई गयी है वह इसलिये बनाई गई है कि सन् १९६२ के चुनाव पास हैं और हम ऐसा करके वोटरों पर कोई प्रभाव डालना चाहते हैं। उनको यह भी शिकायत है और यह इल्जाम उन्होंने लगाया कि जो वाद-विवाद मर चुका था उसे पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने कुछ धमकियां भी दीं और यह कहा कि जो हमारा विधान है उसके साथ हमने धोखा किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो समिति बनी, इसका कोई सम्बन्ध सन् ६२ के चुनाव से नहीं है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से ही केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की भी उर्दू के सम्बन्ध में जो नीति रही है वह उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहती है और उसकी घोषणा (डिक्लेरेशन) बार बार स्टेट गवर्नमेंट ने की है। जो हमारे सामने साहित्य इस सम्बन्ध में है, उसको यदि ध्यान से पढ़ा जाय तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि सरकार ने आजादी मिलने के बाद से भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न कदम उठाये। जब कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली ने हमारा संविधान बनाया तो उसमें भी १४ भाषाओं में उर्दू को भी एक स्थान दिया। इसके बाद जब सन् १९४७ में हिन्दी हमारे प्रदेश की भाषा मान ली गयी तो जो कुछ उर्दू भाषा जानने वाले व्यक्ति थे उनके मन में कुछ भ्रान्तियां हुई। उनको दूर करने के लिये सरकार ने समय-समय पर इस हाउस में भी और इसके बाहर भी उसका प्रतिवाद किया तथा आश्वासन दिये। यही नहीं, केन्द्र में भी जो शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन हुए उनमें भी भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न विचार आये। इसके बाद १९५१ में अंजुमने तरक्कीये उर्दू ने हजारों की संख्या में सिग्नेचर्स कराकर राष्ट्रपति को अपना आवेदन भेजा और मांग की कि उर्दू को शासन की ओर से मान्यता दी जानी चाहिये।

इनके बाद केन्द्रीय सरकार ने अपनी एक नीति निर्धारित की और सन् १९५५ में जो स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन आया था उसने भी यह सिफारिश की कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के सेफगार्डस के लिये एक कमिश्नर नियुक्त किया जाय। सन् १९५७ में वह हो भी गया जिसका यह काम है कि वह यह देखे कि जो स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्रीय सरकार की ओर से सेफगार्डस लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लिये हैं वह कार्यान्वित होते हैं या नहीं। मान्यवर, मैं केवल इस सम्बन्ध में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि १४ जुलाई, १९५८ को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उर्दू के विषय में एक पालिसी स्टेटमेंट दिया जिसमें इस बात को माना गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो नीति निर्धारित की है, वह ठीक तो है, लेकिन उनका ख्याल था कि शिकायत करने का औचित्य प्रतीत होता है कि उस नीति का पूर्णरूप से पालन नहीं किया जाता। मान्यवर, जो समिति

बैठी है उसका केवल एक मंशा है और वह यह है कि अब तक जो सरकार ने ऐश्योरेंसेज दिये हैं, जो ५ बातें उसमें दी गयी हैं और केन्द्रीय सरकार का जो पालिसी स्टेटमेंट है वह देखें कि उन सबको यह स्टेट गवर्नमेंट कहां तक कार्यान्वित कर पाती है और यदि उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोई कठिनाइयां हैं तो उनको कैसे दूर किया जाय, केवल इन बातों की ही वजह से यह समिति बैठाई गई है।

जहां तक मेरे मित्र ने यह बात पूछी है कि हिन्दी और उर्दू के अन्दर क्या भिन्नता है, सो १४ जुलाई का जो पालिसी स्टेटमेंट है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, उसकी तीन लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। "उर्दू और हिन्दी का एक दूसरे से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और उनको मूलतः एक ही भाषा माना जा सकता है, लेकिन उस स्क्रिप्ट की अर्थात् जिसमें उर्दू लिखी जाती है उसकी कुछ खास विशेषतायें हैं और वह हिन्दी से न केवल साहित्यिक शैली में है बल्कि उसकी कुछ हद तक उसकी शब्दावली में भी भिन्न है। भारत में उर्दू का विकास हिन्दी के ही एक रूपान्तर के रूप में हुआ है किन्तु वह वास्तव में हमारे देश की भाषा है और भारतवर्ष उसकी जन्मभूमि है।" इसी के पैराग्राफ ६ में दिया गया है—"हमारे संविधान ने हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान दिया है और वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार आदि राज्यों की राज भाषा भी है। हिन्दी और उर्दू में प्रतिद्वन्द्विता कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे राज्यों में हिन्दी को अनिवार्यतः महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।" इसलिये, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आशंका दुबे जी ने उठाई है वह निर्मूल है। हिन्दी का कोई अहित होने वाला नहीं है। २० जुलाई, १९५८ को प्रदेशीय सरकार की विज्ञप्ति भी उसी का स्पष्टीकरण करती है।

मान्यवर, उन्होंने यह बात भी कही कि हमारा इस समिति को बनाना यह फ्राड आन दि कांस्टीट्यूशन है। मैं जानता नहीं कि उन्होंने जो इसका इस्तेमाल किया वह संजीदगी के साथ किया या यों ही कर दिया। मैं केवल उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो समिति बनायी गई है वह संविधान के अन्दर जो भिन्न-भिन्न आर्टिकिल्स हैं जिनमें लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को सेफगार्ड दिया गया है उन्हीं को कार्यान्वित करने के लिये और पुष्टि करने के लिये निर्मित की गई है और जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं उनमें यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि इन टर्म्स आफ रेफरेंस के बावजूद समिति को अधिकार नहीं होगा कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन दे, जोकि हमारे संविधान या स्टेट गवर्नमेन्ट या सेंट्रल गवर्नमेन्ट की नीति के विरुद्ध पड़ती हो।

मान्यवर, मैं और ज्यादा बातें न कह कर एक दो बात और कहूंगा। समाजवादी दल के भूतपूर्व नेता ने भी इस मौके का अच्छा फायदा उठाया और इस बात को साबित करने की कोशिश की कि उर्दू का यदि सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वह समाजवादी पार्टी है और यह बात स्पष्ट हो गयी कि उनके और दुबे जी के भाषण से कि इस वादविवाद के पीछे उनका तात्पर्य सन् १९६२ के चुनाव के अतिरिक्त और कोई बात नहीं है।

एक बात कहकर खत्म करता हूं। मुझे खेद है कि दुबे जी ने सरकार को इस बात की धमकी दी कि सरकार ने एक ऐसा बीज बोया है जिससे प्रदेश का वातावरण दूषित होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं समझता हूं कि वह एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं। इस तरह के शब्द अगर वह इस हाउस में न कहते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं बड़ी नम्रता से एक बात कह देना चाहता हूं कि सरकार भी अपनी जगह पर पूर्णतया जागरूक है और उसने निश्चय कर लिया है कि यदि कोई साम्प्रदायिक दल भाषा के नाम पर या और किसी नाम पर इस प्रांत के अन्दर इन साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारना चाहेगा तो सरकार का जो कठोर और कटु कर्त्तव्य है उसको वह पूर्ण रूप से निभायेगी और पूर्ण रूप से अदा करेगी। इन शब्दों के साथ मैं भाषा समिति का जो निर्माण हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडेराय—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विषय महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा देश एक बहु-जातीय और बहु-भाषीय राष्ट्र है। हमारे देश की संस्कृति का मूल आधार सर्वदा अनेकता में एकता रहा है। इस आधार को

[श्री झारखंडेराय]

छोड़ कर हम अपने देश की किन्हीं समस्याओं को, विशेष कर जातियों और भाषाओं की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। पहले देश गुलाम था, सभी चीजें दबी हुई थीं परन्तु आजादी के बाद सभी भावनायें उभरीं और यह स्वाभाविक था। उसके बाद भाषाओं का सवाल भी आया। यही नहीं, भाषागत राज्यों के निर्माण का प्रश्न भी आया। बहुत देर करने और काफी हिचकिचाहट के बाद यह माना गया कि देश में भाषावादी राज्य बनें। उसके बाद भी यह अन्वेषण नहीं हुआ कि एक प्रदेश के अन्दर बहुत सी भाषायें बोलने वाले लोग भी हैं। इसी कारण महाराष्ट्र, पंजाब तथा आसाम में ये प्रश्न पुनः उठ खड़े हुये। महाराष्ट्र तथा गुजरात के निर्माण के बाद अब भी दो जगह यह समस्या उलझी पड़ी है।

उर्दू का सवाल अपने प्रदेश के लिये हम इस रूप में देखें जैसाकि आंध्र प्रदेश अथवा मैसूर में हम मराठी को देखते हैं। इन दोनों प्रदेशों में मराठी अल्प-संख्यक हैं, उनकी सब्सटेंश्यल संख्या बसी हुई है निश्चित जगहों पर है। तो क्या उस संस्था को जबरदस्ती कन्नड़ या तेलगू पढ़ायी जायगी, या प्रारंभिक शिक्षा उनको उनकी मातृ-भाषा में दी जायगी? मैं समझता हूं कि देश के संविधान में और सभी प्रगतिशील व्यक्तियों ने इस बात को माना है कि उन अल्प-संख्या वाले लोगों को जो दूसरे बहु-भाषी भाग में बसे हुये हैं, अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार संविधान में सुरक्षित है और मिलना चाहिये। जैसे कि आंध्र में, मद्रास में, केरल में और मैसूर में हम देखते हैं कि आंध्र में तो तामिलनाड के लोग बसे हुये हैं, तामिलनाड में केरल के, केरल में तामिलनाड के बसे हुये हैं, मैसूर में तामिलनाड के और केरल के बसे हुये हैं। तो यह जो सब्सटेंश्यल संख्या बसी हुई है बहु-भाषी भाग में, उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार महफूज रहना चाहिये। संविधान में भी वे अधिकार दिये गये हैं, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिये। उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यकों की जबान एक खास तरह की है और उसमें उर्दू बोलनेवालों की भी बहुत बड़ी संख्या है। उर्दू व हिन्दी की शैली है या नहीं, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हिन्दी की उर्दू शैली है, इस बात के पीछे अगर उर्दू को दबाने की कोशिश की जायगी तो उसका जबरदस्त विरोध होगा और होना चाहिये। उर्दू बोलनेवालों को अपनी मादरी जबान में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं, इस बारे में हम समझते हैं कि सरकार की नीति साफ है। उसमें कोई विषयान्तर नहीं है, वह गलत नहीं जा रही है। अभी साउथ इंडिया में रिजियानल कमेटी ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया चूंकि उनके यहां वह समस्या है। उसके समाधान के लिये उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं और उनको दूसरी स्टेट्स को भी भेजा है कि उनसे लाभ उठा सकें। बुनियादी मतालबात अल्पसंख्यक लोगों के हैं जो पाकेट्स के रूप में बहुसंख्यक लोगों में बसे हुए हैं। सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीयता के नाम पर हम अल्पसंख्यकों को दबा सकते हैं। इसमें हिन्दू-मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। क्या हिन्दी के लेखक मुसलमान नहीं हुए हैं? हुए हैं। राज आश्रय और राज संस्था के ही द्वारा किसी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखकर हिन्दी की कितनी सेवा की है। पाकिस्तान या मुस्लिम कान्फ्रेंस के रूप में या हिन्दी सम्मेलन के रूप में सोचने से हम विषय की मैरिट से बहुत दूर हो जाते हैं। अगर हमारे देश के कुछ अल्पसंख्यक लोगों के सम्प्रदायवाद ने देश के दो टुकड़े कर दिये तो बहुसंख्यकों का इस प्रकार का सम्प्रदायवाद न जाने कितने टुकड़े और कर देगा और देश में फासिज्म लावेगा। इसलिये सम्प्रदायवाद किसी भी प्रकार का बुरा है। ऐसी समस्यायें यूरोप में भी उठी हैं, जैसा कि गोविन्दसहाय जी ने कहा। सोवियट रूस में १२० भाषायें हैं जहां कोई झगड़ा नहीं है। किसी को शिकायत नहीं है कि हमारी भाषा को दबाया जा रहा है। इसलिये उर्दू के विषय में हमको तंगनजरी से नहीं देखना चाहिये।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बात एक मुख्य विषय के रूप में सामने आ गई कि आखिर सरकार की इस गजट घोषणा से यह स्पष्ट होता है या नहीं कि सरकार एक साम्प्रदायिक मांग के प्रति झुक रही है। यहां पर जो विचारणीय

विषय की सूची दी गयी है उसके नम्बर ४ पर माननीय हुकुमसिंह जी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है "उर्दू और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रश्न से सम्बन्धित किसी अन्य मामले पर विचार करना।" अब उर्दू शब्द के बाद "और" शब्द को लगाने की क्या आवश्यकता थी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने हिन्दी को यहां की भाषा स्वीकार किया था उस समय हमने इस बात का भी ध्यान रखा था कि हिन्दी इतनी सुलभ हो जो सबको ग्राह्य हो तथा उसको अधिक संस्कृतनिष्ठ न बनाया जाय। लेकिन फिर बार-बार इस उर्दू की ओट में पृथकतावाद की मनोवृत्ति को बल दिया जाता है। जब से यह विरोध चला, कांग्रेस सरकार ने कहा कि यहां की भाषा हिन्दुस्तानी है और महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जिन प्रांतों में उर्दू और हिन्दी का झगड़ा है उन प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को एक भाषा के रूप में मान लिया गया। मैंने इस बात को गहराई से देखने की कोशिश की। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने एक पुस्तक 'इंडिया डिवाइडेड' लिखी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये दो भाषायें नहीं हैं। वे लिखते हैं—

"The structure which is the real framework of language is still common to both forms of the languages known as Hindi and Urdu. The difference mainly is in respect of a portion of the vocabulary only. It is therefore that in northern India there is one language that is under stood and spoken by both Hindus and Musalmans, although educated people in writing it, use more or less words of Sanskrit and Persian or Arabic according to the education and training they have received".

इसमें कहीं भी इस बात को नहीं लाया गया कि हिन्दी दो भाषाओं का प्रश्न उग्र रूप में यहां पर है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो गजट में घोषणा की है उसे आप गौर से देखें तो उसमें यह बिलकुल साफ-साफ लिखा है—

"Urdu and Hindi are very closely allied and may be considered basically the same language".

अब अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के होते हुए यह झगड़ा कहां से शुरू होता है। यह झगड़ा वहां से शुरू होता है जहां से इसमें विदेशी चीज इनसर्ट की जाती है—पर्शियन स्क्रिप्ट। आचार्य कृपालानी जी ने अपने भाषण में कहा था जिसे श्रीमती सुचेता जी भी स्वीकार करती होंगी—

"The main difference is of course that of the script. If the script were the same, the difference between the two styles would be greatly reduced".

आज झगड़ा केवल इस बात का है कि एक ही भाषा बोलने वाले अपनी-अपनी बात को अलग-अलग स्क्रिप्ट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक जब यह प्रश्न पेश किया जाता है तो यही बात सामने आती है और आज जब हम लोगों ने इस प्रस्ताव को सामने रखा है तो बहुत सोच-समझ कर रखा है कि ६ प्रतिशत लोगों की मांग को यह सरकार मानने जा रही है जो कि सरकार के शब्द "संरक्षण देने" से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। एजूकेशन के बाद जो दूसरी मांग है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की है। इससे यहां पर यह साफ है कि जो लोग उर्दू पढ़ेंगे उनको नौकरी में किस प्रकार से संरक्षण दिया जायगा। जब आज उस उर्दू भाषा को पढ़ने के लिये ४० में १० लड़के भी स्कूलों में नहीं मिलते तो आगे चल कर फिर उस भाषा का उपयोग क्या होगा? मेरी समझ में आता है कि आचार्य कृपालानी जी शिकायत करें या माननीय त्रिलोकी सिंह जी शिकायत करें कि मेरी समझ में यह नहीं आता। क्योंकि मैं कायस्थ हूं, तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली जाय और उनके लिये सरकार, जो भी जरूरी बातें हों, वह उर्दू में भेज दिया करे। हम लोग ऊपर से नीचे तक वही भाषा पढ़ते हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक ५ वर्ष का बच्चा वही भाषा पढ़ता है, लेकिन दूसरी स्क्रिप्ट में लिखता है। मैं वही भाषा बोलता हूं, लेकिन उसे दूसरी स्क्रिप्ट में लिखता हूं, तो इसकी क्या उपादेयता है यह मेरी समझ में नहीं आता।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

सेंशस के ऊपर मुझे कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला। उन्होंने बतलाया कि हम ऐसी जगह भी गये जहां लोग उर्दू का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मादरी जबान उर्दू लिख दी जाय। जब उनसे पूछा गया कि आखिर तुम उर्दू क्यों लिखवाते हो तो उन्होंने कहा कि ऊपर से हुक्म आया है। अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि ऊपर से हुक्म किसका आया। श्रीमन्, इस देश के अन्दर एक अलग तबके को बने रहने देने के लिये, वोटिंग पावर को अलग से मेन्टेन करने के लिये, एक सम्प्रदाय के नाम पर इस प्रदेश में इस भाषा को सामने लाया जाता है ताकि माइनारिटी, मेजारिटी के नाम पर वे उस हिस्से से सौदा कर सकें। यहां पर किसी की भी मादरी जबान उर्दू नहीं है। जो ब्रज में रहते हैं उनकी मादरी जबान ब्रजभाषा है, जो पहाड़ में रहते हैं उनकी मादरी जबान पहाड़ी है लेकिन उनसे कहा जाता है कि वे अपनी मादरी जबान उर्दू लिखवायें, जब कि वे एक शब्द भी उर्दू का नहीं जानते हैं। तो साम्प्रदायिकता को आगे न बढ़ने देने के लिये हम लोगों ने यह मांग सदन के सामने रखी है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों की आड़ लेकर, किसी विशेष वर्ग का मत लेकर तो सामने नहीं आना चाहती है। माननीय कृपालानी जी का नाम लिया गया। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि श्री टम्बरेश्वरप्रसाद ने जो यह प्रश्न रखा है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार कृपालानी जी के नाम का इस्तेमाल करके अपना मतलब साधना चाहती है, ताकि विरोधी दल को भी कुछ कहने का मौका न मिले, क्योंकि सभी कह सकते हैं कि अध्यक्ष तो विरोधी दल का ही है, इसलिये वे भी इसका समर्थन करें।

श्रीमन्, कांग्रेस सरकार की यह जो झुकने की नीति है वह कोई नयी नहीं है। वह सदा से ही ऐसी मांगों के सामने झुकती रही है, वरना यह सोचने की बात है कि हर स्टेटमेंट में उसे यह कहने की क्या जरूरत है कि उर्दू को हम हिन्दी की बराबरी नहीं देना चाहते हैं। श्रीमन्, ९७ प्रतिशत वालों की भाषा का ३ प्रतिशत वालों की भाषा से मुकाबला ही क्या हो सकता है? गजट में लिखा हुआ है कि उर्दू को हिन्दी की बराबरी नहीं दी जा रही है, या प्रेसीडेंट कहते हैं कि हम उर्दू को हिन्दी की बराबरी नहीं देना चाहते हैं, आखिर वह कौन-सी भाषा है, आखिर हम क्यों उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं? सच बात तो यह है कि एक ऐसी भाषा जिसका विशेष परिस्थिति में जन्म हुआ हो और इस प्रदेश की भाषा न हो, अगर संविधान में कोई संरक्षण देने की बात है तो जहां की भाषा उर्दू हो वहां उसे संरक्षण देना चाहिये और वहीं उसके लिये संरक्षण मांगा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाषा तो उर्दू है ही नहीं। इसलिये सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि वह अपनी इस नीति पर पुनः विचार करे।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, बहुत मेम्बर इस अहम विषय पर बोलना चाहते हैं इसलिये सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, उसके लिये नियम को ससपेंड करना होगा, नियमानुसार ढाई घंटा बहस हो सकती है। पहले नियम ससपेंड कराने का प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं लिहाजा सदन का समय कम से कम आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, इसमें नियम ससपेंड करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, मैं आप का अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की इजाजत दी। कदाचित् जिन माननीय सदस्यों ने जिस रूप में इस प्रश्न को उठाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे इसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि इस कमेटी का निर्माण एक धोखे की टट्टी है। नाम है भाषा समिति लेकिन दरअसल उसका

वास्ता केवल उर्दू भाषा से है। बड़े मशहूर लोग और बहुत काबिल लोग इस कमेटी के मेम्बर रखे गये हैं, उसके सदर ऐसे हैं कि जिन के बराबर काबिल और होशियार आदमी इस देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी कम पाये जाते हैं, लेकिन महज इस से कि कमेटी के सदस्य कौन लोग हैं या उसकी सदारत कौन से बुजुर्ग फरमा रहे हैं मतलब हल नहीं होता। यह भी जरूरी नहीं है कि उस कमेटी की सिफारिशों को यह सरकार लागू ही करेगी। जहां तक इस कमेटी के सदर का सवाल है, मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने एक रेलवे करप्शन इन्क्वायरी कमेटी बनाई थी, लेकिन अगर इस देश के अखबार नवीस उस कमेटी के सदर से जा कर पूछें कि उनकी सिफारिशों को किस हद तक केन्द्रीय सरकार ने कार्यान्वित किया, वह क्या जवाब देंगे इसके अर्ज करने की मुझे जरूरत नहीं है। एक बड़े आला दिमाग और मशहूर आदमी इस कमेटी की सदारत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनकी सिफारिशों को यह सरकार कार्यान्वित करेगी ही।

कुछ सवाल उर्दू के और नियत के उठाये गये। इस में नीयत का सवाल उठता ही नहीं। उस आज्ञा में जिस के जरिये से यह कमेटी बनाई गई है पैरा १६ में लिखा है कि उस कमेटी को यह अधिकार न होगा कि वह भारत सरकार और यू० पी० सरकार की जो घोषित नीति है उसके खिलाफ कोई भी सिफारिश करे। कमेटी का कार्यक्षेत्र या टर्म्स आफ रिफ़ेन्स को बिलकुल सीमित रखा गया है कि जो सरकार की नीति है उस के विरुद्ध एक भी सिफारिश कमेटी नहीं कर सकती। उसमें उर्दू का सवाल नहीं है जो नीति भाषा के सम्बन्ध में १५ साल से सरकार की रही है वही अब भी जारी रहेगी। १५ साल का तजुर्बा है। गालिबन माननीय मुख्य मंत्री जी वादविवाद में हिस्सा लेंगे। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वह बतायें कि २०-७-५८ को जो आज्ञा यू० पी० सरकार ने १४-७-५८ के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव को पूरे तौर से स्वीकार करते हुए निकाला, उसको कार्यान्वित करने के लिये इस सरकार ने पिछले ३ साल में क्या किया है। कमेटी मुकर्रर करना तो आसान है, उस का हल क्या होगा वह यही नहीं कि भगवान जानता है बल्कि मैं भी जानता हूं कि क्या होगा। जब मुख्य मंत्री जी ने ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत समझी तो उन के जहन में यू० पी० की सरकार ने समय-समय पर जो आज्ञायें जारी की हैं वह होंगी। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जब वह इस वाद-विवाद में हिस्सा लें तो एक या दो मिसालें सदन के सामने रखने की कृपा करें ताकि जो नियत का शुबहा प्रकट किया गया है और उसके अलावा जो वाकया है, जो हमें मजबूर करता है कि नतीजे की तरफ देखें, अपनी उस राय को बदल सकें। मैं खुश होऊंगा अगर वह इस सिलसिले में कोई तजवीज यहां पेश करें कि सचमुच यह कदम उठाया जा रहा है कि वे लोग जिनकी मातृभाषा उर्दू है उनको कुछ सहूलियतें, जो आज हासिल हैं उनसे ज्यादा होंगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ४० साल से लखनऊ शहर में रहते हैं। जुलाई, १९५८ का जो हुक्म है उसमें लखनऊ शहर का जिक्र है। क्या उनको यह मालूम नहीं है कि मकतबों में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी मातृभाषा उर्दू है, अगर उनके वाल्दैन उनको किसी ऐसे स्कूल में जो कि सरकारी हो, कारपोरेशन का हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो उसमें न भेजें तो उनका चालान हो जाता है? अगर नहीं है तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में यह वाक़या है कि ऐसे बच्चों के वाल्दैन का सरकार के अधिकारी चालान कर देते हैं कि ऐसे स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते जहां उर्दू में शिक्षा नहीं दी जाती। किसी का भी यह बुनियादी हक है, संविधान न भी होता, उसका हवाला बेकार दिया जाता है, वह हो या न हो, हर नागरिक का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो। अगर सरकार केवल इसका इन्तजाम कर ले तो सारे झगड़े समाप्त हो जायेंगे।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जोश में आकर लिख दिया कि अदालतों में उर्दू के बयनामें, दस्तावेज, दरख्वास्तें दाखिल होंगे और मंजूर किये जायेंगे और आफिसरों के लिये क्या हुक्म है ? उर्दू जानना जरूरी नहीं है। वकला के लिये, फरीकैन के लिये उर्दू जानना गुनाह है। तो वह उर्दू के दस्तावेज कैसे समझेंगे ?

मैं मुख्य मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के इतिहास की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह नहीं है कि हिन्दी की प्रवर्तक मौजूदा कांग्रेस ही रही हो। सर एन्टोनी मैकडानल्ड, जो सन् १८९८ से १९०३ तक उत्तर प्रदेश के लेफ्टीनेंट गवर्नर रहे, उन्होंने कोशिश की कि उर्दू के बजाय हिन्दी राज्य भाषा हो जाय, लेकिन उनको नाकामयाबी रही। यह उर्दू भाषा किसी एक फिरके की भाषा नहीं है। इतिहास बताता है कि ब्राह्मणों ने एक डेपूटेशन में जाकर दरख्वास्त दी कि हिन्दी न हो, उर्दू ही रहे और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कायस्थ लोग भी डेपूटेशन में गये, स्व० राय श्री राम बहादुर की सदारत में मिले और उन्होंने कहा कि हिन्दी इस प्रदेश की भाषा की जाय। उस समय से, मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश द्विभाषीय हो गया और श्रीमन् ने भी तब दसवें दर्जे की शिक्षा प्राप्त की होगी तो आठवें दर्जे तक सेकंड फार्म का इम्तहान पास करना पड़ा होगा।

अंग्रेजी से आज चिपके हुये हैं। लेकिन एकदम सितम्बर, ४७ में कह दिया जाता है कि खबरदार, एक लफ्ज भी उर्दू में न बोला जाय। तो सवाल नियत और इरादों का नहीं है। मैं उन लोगों से इत्तफाक नहीं करता हूं जो इस बात को डरते हैं कि इस ऐलान का नतीजा इलैक्शन के वोट होंगे। इलेक्शन के वोट इससे घटने बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भारत की यह दशा है कि लोग अपनी मातृभाषा से इनकार करते हैं। यह सोचने की बात है। यह इस कमेटी या कमीशन से नहीं हल हो सकती। पंजाब में जिन लोगों का झगड़ा गुरुमुखी और नागरी का है उनकी सारी कार्यवाही उर्दू में होती है। उत्तर प्रदेश में अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कुछ लोगों ने अपनी मातृभाषा से इनकार किया। सोचिये, समझिये और इसका ऐसा हल निकालिये, जो मुझे यकीन है इस कमीशन के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस कमीशन को सरकार कोई ऐसे आंकड़े नहीं पेश करेगी कि कहां-कहां उससे गफलत हुई है और यह कमीशन सरकार की घोषित नीति में कोई परिवर्तन की सिफारिश नहीं कर सकता है। जरूरत है आज पालिसी को बदलने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस मुबाहिसे के बाद जब अपने दफ्तर में जाकर बैठेंगे तो जो मैंने आज कहा है उस पर गौर करेंगे और समझ-बूझ कर कदम उठायेंगे जिससे किसी शख्स को उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो मातृभाषा है, उसमें प्रारम्भिक शिक्षा के प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, आज भाषा के विषय को लेकर बहुत से माननीय सदस्यों के विचारों को हिन्दी और उर्दू के प्रश्न पर जानने का अवसर मुझे मिला। मुझे दुख है कि कुछ सदस्यों ने जिस रूप को समझ कर इस कमीशन की नियुक्ति के विषय में आलोचनायें कीं वह एक भ्रम की दुनिया में हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर इस कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी यदि मैं उनके विषय में थोड़ी चर्चा सदन में कर दूं तो वे आपत्तियां जो कई सदस्यों ने अभी उठायी हैं, दूर हो जायंगी।

जब सप्लीमेंटरी बजट के ऊपर और उसके बाद बजट के ऊपर विधान परिषद् में बहस हो रही थी उस समय कई आलोचनायें सरकार की उर्दू के विकास के संबंध में, उन सरकार की घोषित नीतियों को सरकार के समक्ष रख कर, उस सदन के माननीय सदस्यों ने की थीं और माननीय सदस्यों ने उस समय १९५८ में जो घोषणायें की गई थीं और उसके पूर्व की जो घोषणायें थीं उनका उल्लेख करते हुए मेरा ध्यान उन कमियों और खामियों की तरफ खींचा था जो कि उर्दू की शिक्षा

और विकास के संबंध में उस सदन के सदस्य अनुभव करते थे। उस समय मैंने यह घोषणा अवश्य की थी, उन तमाम बातों को सुन कर, कि अवश्य इस बात की आवश्यकता है कि एक कमीशन इस बात की इन्क्वायरी करे कि किन कारणों से जो घोषित सरकार के आदेश हैं उन पर कार्य नहीं किया जाता है?

मैंने उस सदन से वापस आ कर अपने विभाग के अधिकारियों से भी बातें की थी, अन्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बातें की और जानकारी करनी चाही कि वह मुझे बतायें कि किन कारणों से सरकार की जो घोषित नीति अब तक रही है वह अमल में नहीं लायी जा सकी? उन्होंने उत्तर दिया कि जहां तक शिक्षा का संबंध था, जहां तक सरकार के आदेशों का संबंध है वह तो आदेश बराबर जाते रहे हैं और उन अधिकारियों को जाते रहे हैं जो अधिक संख्या में गैर-सरकारी हैं, क्योंकि जितना प्राइमरी एजूकेशन का संबंध है इसका संबंध तो वर्षों तक गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथ में रहा है और उन गैर-सरकारी सदस्यों के हाथ में रहा है जो जिला परिषद् के सदस्यों के नाते या अंतरिम जिला परिषद के सदस्यों के नाते सारी प्राइमरी एजूकेशन का भार अपने कंधे पर ओढ़ते हैं और उसका संचालन करते हैं। मुझे बताया गया था कि जो आदेश शिक्षा संबंधी जाते हैं और जिला स्तर पर जाते हैं और जिला बोर्डों को भेजे जाते हैं, वहां चुने हुए या मनोनीत व्यक्ति ही कार्य करते हैं और वही निर्णय लेते हैं कि किन स्थानों पर स्कूल खोलें और कहां पर न खोलें, किस स्कूल में कौन-सी भाषा हो, वगैरह वगैरह।

जब यह बातें मेरे सामने रखी गईं और अधिकारियों ने ध्यान दिलाया तो मैंने अनुभव किया कि ऐसी कोई बात होनी चाहिये जिससे जो कमियां हैं या खामियां हैं उनको अपने बीच से और उनके बीच से हटा सकें। तो इस कमीशन के मुकर्रर करने का असली मकसद तो यही था कि वह इन्क्वायरी करे कि जब श्री त्रिलोकी सिंह जी जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने उर्दू की शिक्षा के संबंध में कार्य क्यों नहीं किया या पालीवाल जी जब जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया? मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। जब नारायणदत्त जी अध्यक्ष थे और उनके सुपुर्द यह कार्य किया गया था कि कहां पर स्कूल खोले जायं और किस जबान में चलें, तो इस संबंध में उन्होंने क्या कार्य किया? मैं इधर के बैठने वाले सदस्यों के संबंध में भी कहता हूं जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य थे उन्होंने उन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया या पालन क्यों नहीं करते हैं, जिनको सरकार ने मंजूर करके समय-समय पर भेजा।

यदि उर्दू का विकास करना है, यदि उन लोगों को जो उर्दू अपनी मादरी जबान कहते हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है तो यह उन्हीं संस्थाओं द्वारा हो सकता है जो संस्थायें जिला स्तर पर गांव-गांव में बिछी हुई हैं जहां बच्चों को उनकी मादरी जबान सिखाई जाती है। तो यह विषय था जिनकी जानकारी ने मुझे इस बात के लिये उद्यत किया कि मैं इस प्रकार के कमीशन की घोषणा करूं और ऐसे व्यक्तियों से उनके अनुभव की बुनियाद पर जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करूं कि किस वजह से आदेशों का पालन नहीं होता है या क्या कमियां और खामियां हैं। उन आदेशों का पालन किया जाय और उसके मुताबिक कार्य किया जाय जिसके मुताबिक सरकार ने अपनी घोषणा उर्दू के विकास के सिलसिले में या अन्य भाषाओं के संबंध में घोषित कर रखी है।

इस बात की आलोचना कर देना या यह कह देना कि चुनाव के सिलसिले में हमने यह घोषणा की है, यह उसी प्रकार की आलोचना है जैसे कि हमने रिटायरमेन्ट एज ५८ से ५५ की तो वह भी चुनाव के सिलसिले में थी। अगर हमारे सब कार्य चुनाव के संबंध में हैं तो मैं इस आरोप को ओढ़ने के लिये उद्यत हूं। यदि हम चुनाव में प्रदेश की जनता को शिक्षित कर सकते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान दिला सकते हैं और प्रदेश की नीति में परिवर्तन ला सकते हैं और प्रदेश के वातावरण में तब्दीली की जा सकती है तो मैं इस आरोप को ओढ़ने के लिये उद्यत हूं और इससे भागता नहीं हूं कि हमने सारे कार्य चुनाव को सामने रख-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कर किये हैं। हर मर्तबा जो नई चीज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के सिलसिले में सरकार रखे तो यह आलोचना की जाय कि सरकार चुनाव के लिये ऐसा कर रही है, यह तो मत प्राप्त करना चाहती है। अगर यह सरकार मत प्राप्त करना चाहती है तो क्या यह सरकार एकोनामी के प्रपोजल्स रखेगी, क्यों चपरासियों को हटाने की चीज करेगी, क्यों कर्मचारियों को हटाने की चेष्टा करेगी और क्यों हर प्लेटफार्म से बराबर इस बात की चिल्लाहट करेगी कि यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो प्रत्येक को अपनी कमर कसनी होगी और कमर कस के अपनी गाढ़ी कमाई में से इन योजनाओं की सफलता के लिये रुपया सरकारी कोष में देना होगा। आखिर को कौन सरकार ऐसी है जो यह नहीं समझती कि जब हम कोई टैक्स लगाने की बात कहेंगे, जब हम किसी से ज्यादा कर्ज इकट्ठा करने की बात कहेंगे तो जनता हमसे नाराज होगी, वह कहेगी कि अच्छी सरकार आयी है, यह तो सिर्फ हमारी गाढ़ी कमाई में से रुपया लेना चाहती है और हमें उन सुभीतों की तरफ नहीं ले जाती जिनकी आशा और इच्छा हम इस सरकार से रखते हैं। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक चीज को एक ही निगाह से देखना और उस पर एक ही निगाह से आलोचना करना यह बात जो परम्परायें और मर्यादायें हम बनाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हैं।

हमने ईमानदारी से अनुभव किया कि हमने उर्दू के प्रति कुछ घोषणा कर रखी है, हमने ईमानदारी से अनुभव किया कि उर्दू एक भाषा है जिसको हमने संविधान में एक स्थान दिया है, जो भारत की १४ जबानों में से एक है। जब हमने यह घोषणा कर रखी है कि हम प्रत्येक भाषा के विकास को देखना चाहते हैं तो यदि आज किसी भाषा के विकसित होने में कोई समुदाय यह अनुभव करता है कि उसके विकास में अड़चनें हैं तो क्या उस सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है ईमानदारी से कि जो घोषणा उसने कर रखी है उसको कार्यान्वित करने के लिये वह उन कमियों की तरफ नजर डाले और उन व्यक्तियों के द्वारा सलाह प्राप्त करे जिससे वे कमियां दूर की जा सकती हों? सरकार आदेश दे सकती है। ये जितनी अन्तरिम जिला परिषदें हैं ये स्वायत्त शासन की कड़ियां हैं, इनको हमने अधिकार दिये हैं। आज जिन्हें हमने अधिकार दिये हैं उनको यदि कोई आदेश देते हैं और अपने किसी अधिकारी से उनको कार्यान्वित करने की बात करते हैं तो क्या हम स्वायत्त शासन की कड़ी को जिन्दा रख सकेंगे? आज तो इस बात की आवश्यकता है कि जिनके द्वारा सब से नीची शिक्षा की कड़ी चलायी जाती है आज हम उनमें नये विचार, नयी भावना, नया विश्वास पैदा करने की चेष्टा करें और वह तभी कर सकेंगे जब वे अनुभवी व्यक्ति हमें बतायें कि इस संबंध में हम यह कार्यवाही करें। आदेश तो हमेशा देते रहे। क्या पिछले १०–१५ वर्षों में सरकार ने यह आदेश दिया कि उर्दू पढ़ाई न जाय, उर्दू में किताबें न लिखी जायं? क्या उसने यह उद्देश्य रख कर कार्य किया कि उर्दू की शिक्षा न दिलायें? आज भी उर्दू में शिक्षा चल रही है, उर्दू की किताबें लिखी जाती हैं, भले ही उनकी संख्या उतनी मात्रा में न हो जितनी अंग्रेजी शासनकाल में थी, लेकिन आज वह चल रही है और सरकार उसे प्रोत्साहन देती रही है। लेकिन आज उन संस्थाओं के बढ़ने में या उनमें शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों को जो दिक्कत हो रही है वह आज गैर-सरकारी व्यक्तियों के द्वारा हो रही है। उन व्यक्तियों के द्वारा हो रही है जो जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं और जिनके ऊपर प्रारम्भिक शिक्षा को विकसित करने की जिम्मेदारी डाली गयी है। यदि आज हम उसकी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो एक अराष्ट्रीय कार्य करते हैं, हम तो आज उस सवाल को उठाते हैं जो माननीय दुबे जी के कहने के अनुसार खत्म सा हो गया है। मैं नहीं जानता कि कहां खत्म हो गया है। हिन्दी और उर्दू का प्रश्न इस तरह से उठाया जाता है कि उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं है (व्यवधान), वह तो मुसलमानों की जबान है। मैं नहीं समझता कि उर्दू के साथ मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है। (व्यवधान) आपका विचार तो हमेशा मुसलमानों को अराष्ट्रीय कहने वाला रहा है, आप उसी विचारधारा को लेकर अब भाषा के सम्बन्ध में भी ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा उन्हीं लोगों की

हो सकती है जो देशद्रोही हैं । मैं उनको देशद्रोही मानता हूं जो इस प्रकार की विचार-धारा को आज अपने देश में जाग्रत करना चाहते हैं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो देश को एक इकाई के रूप में देखना चाहते हैं वह कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं गंभीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जबान का प्रश्न बहुत गम्भीर है । इस पर इस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने की चेष्टा न करें जिससे आज हम अपने बीच में हिन्दू और मुसलमान या और तबके के लोगों के बीच एक खाई पैदा करने में सहायक हों । आज हमारा कर्त्तव्य यह है कि यदि हमने गणतन्त्र की परम्पराओं को अपनाया है, तो प्रत्येक देश के अंग को साथी बनाकर, प्रत्येक को राजी करके इस तरह से चलना है जिससे देश के अन्दर सद्भावना पैदा हो । कोई यह न समझे कि जो आज अधिक संख्या में हैं वही हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, हमारे ऊपर अपने विचारों को थोपना चाहते हैं । इस तरह से न देश का विकास हुआ है न देश उन्नति के रास्ते पर गया है । इसलिये आज जो यह कहना चाहते हैं कि आज हमने इस उर्दू के प्रश्न को इस कमीशन के विचारार्थ रखा है, उससे उनको संदेह होता है तो मैं कहूंगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने खुद कुछ निर्णय ले लिये हैं और वे निर्णय सारी वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के लिये हैं । यह तो सर्वविदित है कि हिन्दी राष्ट्र और इस प्रदेश की भाषा है । कोई भी कमीशन नियुक्त हो, उस कमीशन को क्या यह अधिकार रहेगा कि इस बात पर विचार करे कि हिन्दी को जो स्थान दिया गया है उस से उसको हटा दिया जाय ? हरगिज कोई भी कमीशन इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । संविधान सभा ने, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, सबने मिलकर एक निर्णय लिया और हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया । तो क्या उत्तर प्रदेश का कोई कमीशन यह निर्णय ले सकता है कि हिन्दी राष्ट्र की भाषा नहीं रहेगी ? या जो निर्णय उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने लिया है क्या उसको कोई कमीशन बदल सकता है? कमीशन के जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं हमने उनमें साफ निर्देशन कर दिया है कि इन-इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करें और सुझाव दें कि हमारी जो घोषित नीतियां हैं वह क्यों कार्यान्वित नहीं होती हैं और कौन दिक्कतें पैदा करते हैं । असली चीज तो यह है । और चीज कहना और टीका-टिप्पणी करना, लोगों को बहकाने वाली बातें हैं । वे आज हमारे हिन्दू भाइयों को गुमराह करना चाहते हैं, जो उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझ कर यह दिखाना चाहते हैं कि यह तो मुसलमानी राज्य फिर से वापस लाना चाहते हैं । भाषा को धर्म से न जोड़ना चाहिये । उर्दू को मुस्लिम धर्म से नहीं जोड़ना चाहिये, हिन्दी को हिन्दू धर्म से नहीं जोड़ना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—४ बजकर ५० मिनट पर समाप्त करना है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख है कि मुझे गलत इत्तला दी गयी । यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अधिक और नहीं कहना चाहता । मैंने किन परिस्थितियों में इस कमीशन की घोषणा की और किन परिस्थितियों में उस कमीशन को उन सुझावों के देने के लिये एक मार्ग अपनाया, वह आपके सामने रखा । जहां तक और विषय थे उनके विषय में मेरे साथी हुकुम सिंह जी ने, श्रीमती कृपालानी जी ने और हमारे और साथी गोविन्द सहाय जी ने और नवलकिशोर जी ने उत्तर दे दिया है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता । लेकिन मैं यह नम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह नीति बिल्कुल स्पष्ट है । इसके लिये यह आरोप लगाना कि चुनाव को सामने रख कर यह कमीशन नियुक्त करने की नीति हमने अपनायी है, बिलकुल गलत है। मैं अन्त में माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नीति की घोषणा हमने की है उसकी पूर्ति करने में वह पूरा-पूरा सहयोग इस कमीशन को दें जिससे कि जिस उद्देश्य को लेकर यह कमीशन बैठाया गया है उसकी पूर्ति हो सके ।

श्री अध्यक्ष—(श्री टम्बरेश्वर प्रसाद से) अब आप कहिए क्या व्यवस्था का प्रश्न आपका है ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब हम इस सदन में स्वयं उपस्थित हैं तो फिर गुप्ता जी को हमारे विचार व्यक्त करने की क्या जरूरत है?

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—श्रीमन्, आज तो हमको एक स्पीकर और मिलना चाहिये था। प्रस्ताव हमारा था, हमारी सारी पार्टी बाकी रह गई, इस पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ सका।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, समय समाप्त हो चुका है।

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष—अब यह दो एक विधेयक और आ गये हैं जो कि आपके पीजन होल्स में रख दिये गये हैं। वे उपस्थित किये जायेंगे।

राजस्व उप मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि न कुछ देखने को मिल रहा है कि क्या है क्या नहीं....

श्री पध्यक्ष—इसमें अनुज्ञा के समय तो कोई विरोध साधारणतः नहीं किया जाता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध हुआ तो ?

श्री अध्यक्ष—वह जब विचार के लिये आये तब आप कहियेगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०६–४१८ पर)

उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४१९–४२३ पर)

सदन का आगामी कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ७ तारीख को लिये जायंगे तो किस आर्डर में लिये जायंगे? इनका क्रम क्या रहेगा, वह कृपा करके मुझे बता दें क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे छपे हैं पहले तीन वह लिए जायेंगे और....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—७ तारीख को इंटरमीडिएट एजूकेशन बिल हो जायगा और ८ को लैंड लाज अमेंडिंग बिल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा की ओर संकेत करते हुए) आप कुछ और कह रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि जिस तरह से यह एजेंडा में छपे हुए हैं, उसमें गैम्बलिंग वाला पहले है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले जो हमारा प्रोग्राम था वह यह था कि इंटरमीडिएट वाला पहले हो जाय ७ को और लैंड लाज अमेंडिंग बिल ८ को हो जाय....

श्री अध्यक्ष—तो आप यह तीन नहीं लेंगे जिन्हें सवेरे पेश किया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले गैम्बलिंग वाला और फिर क्रिमिनल लाज वाला आ जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—यह आर्डर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्धारित किया है?

श्री अध्यक्ष—वह आर्डर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्धारित नहीं करती।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक बार जब बिजनेस कमेटी बैठती है तो वह कुछ बिल तय कर देती है। उसके तय करने के अनुसार वह प्रायोरिटी अभी पूरी नहीं हुई है। तो यह कैसे लिये जायंगे?

श्री अध्यक्ष—वह खत्म हो चुके हैं। बिल न आने से समिति की बैठक नहीं हुई।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जिस क्रम से अभी बतलाया गया है कि पहले गैम्बलिंग और फिर क्रिमिनल ला वाला लिया जायगा, उसके लिये समय निर्धारित नहीं है?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये समय परसों बतलाया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—परसों समय निर्धारित करेंगे तो हम इतने समय में क्या बोल पायेंगे और क्या संशोधन देंगे?

श्री अध्यक्ष—आप विचार करके संशोधन भेज दीजियेगा।

अब हम उठते हैं.....

हैजे के आंकड़ों के संबंध में शोधन वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं एक.....

श्री सुरथबहादुरशाह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक बार अध्यक्ष द्वारा जब 'हम उठते हैं' की व्यवस्था हो चुकी तो फिर सदन बैठ नहीं सकता है। सदन की परम्परा में ऐसी कोई नजीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस तरह की पचासों नजीरें हैं। इसी सदन में आप लोग कहते हैं कि मेरी बात सुन लें तो मैं उन बातों को फिर सुन लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक बार ऐसा हुआ था कि आप उठ कर दरवाजे तक चले गये थे, लेकिन जब पन्त जी खड़े हुये तो फिर आप वापस आ गये ।

श्री अध्यक्ष—जब तक दूसरा दिन में जाहिर न कर दूं, तब तक यह सदन समाप्त नहीं हुआ है, जैसे कि शादी में होता है कि जब तक परिक्रमा नहीं होती है तब तक संस्कार पूरा नहीं होता है ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । वह यह है कि आज सुबह माननीय नारायणदत्त जी ने, जो ५० हजार के फीगर मैंने बतलाये थे, उसके सम्बन्ध में आपत्ति की थी । उन्होंने यह बतलाया था कि मेरे उन फीगर्स में असन्तुलन है और वे कम हैं । मुझे यह निवेदन करना है कि जो फीगर्स ५० हजार बतलाये थे वह सही फीगर्स थे । सिर्फ जो वक्तव्य में गलती थी वह यह कि वह एवरेज का फीगर १८७७ से लेकर १९४८ तक का था न कि १० साल पहले का । मैंने उसमें यह कहा था कि १० साल पूर्व का यह फीगर है । १८७७ से १९४८ तक एवरेज ५० हजार का था न कि १० साल पहले का ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं समझता हूं कि ये आंकड़े.....

श्री अध्यक्ष—अब अगले रोज इनको आप टोकियेगा ।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५९ मिनट पर, सोमवार ७ अगस्त, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ अगस्त, १९६१ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

घटना का विवरण

थाना ओरावर, जिला मैनपुरी में २९-५-६१ को लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार आटेपुर पुलिस चौकी के सब-इन्सपेक्टर इंचार्ज को दिनांक २८-५-६१ को शाम ६ १/२ बजे सूचना मिली कि ग्राम गढ़सन तथा नगला गुलाल में ५-६ सशस्त्र बदमाश देखे गये हैं। सब-इन्सपेक्टर तुरन्त पुलिस दल के साथ गढ़सन ग्राम की ओर गये और उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को साथ में लिया। पुलिस दल ९ बजे रात में उस इलाके में गश्त के लिए गया और लगभग ४ बजे सुबह घाटी में पहुंचा। अजमत सिंह अहीर के खेत में पुलिस दल को पूर्व की ओर से कुछ लोगों के आने का आभास मिला। उन लोगों ने पुलिस दल पर टार्च की रोशनी फेंकी और कहा कि चूंकि वे पुलिस पार्टी के हैं उनको मारा जावेगा। इस पर हेड कांस्टेबिल ने पिस्तौल से फायर किया, बदमाशों ने भी पुलिस दल पर फायर किया। सब-इन्सपेक्टर के आदेशानुसार पुलिस पार्टी ने गोली चलाई, लगभग १० मिनट तक दोनों पार्टियों द्वारा गोली चली, इसके बाद बदमाश लोग पूर्व की ओर जाकर लापता हो गये। जब पुलिस दल आगे बढ़ा तो उन्होंने एक मरा हुआ व्यक्ति पाया जो शनाख्त पर बलीपुर का रामस्वरूप मालूम हुआ। मृतक की पहचान ग्राम गढ़सन के नत्थू द्वारा की गई, उन्होंने बताया कि उसका नाम रामस्वरूप है जो बलीपुर के निवासी हैं।

संसद सदस्य सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में	किस प्रयोग के लिये अर्जन की गई थी	वर्तमान प्रयोग	तारीख नोटिफिकेशन धारा ६	कब्जा मिलने की तिथि
१	मानपुर नारायणपुर	३.८३	खेल के मैदान के लिये	खेल के मैदान के प्रयोग में लाई जा रही है।	२८-११-५०	१२-१०-५२ को मिला
२	बागात रुस्तमखानी	२.१९	छात्रावास तथा क्रीड़ा-स्थल के लिये	०.४८ एकड़ पर तैरने का तालाब बना है। होस्टल का नक्शा विश्व-विद्यालय से अभी तक मंजूर होकर नहीं लौटा। बाकी इस समय काश्त-कारी हो रही है।	८-६-५३	१०-९-५३
३	बागात रुस्तमखानी	१.४८	चिकित्सालय	चिकित्सालय बन गया है।	२२-१२-५२	३१-५-५५
४	मानपुर नारायणपुर	०.५६५	खेल का मैदान	खेल के मैदान के प्रयोग में लाया जा रहा है।	३-७-५२	४-७-५२
५	मानपुर नारायणपुर	३.५८	खेल का मैदान	अभी विद्यालय को कब्जा नहीं मिला। एवार्ड का मामला बोर्ड आफ रेवेन्यू के विचाराधीन है।	२८-७-५९	..
६	मानपुर नारायणपुर	०.७०	चिकित्सालय	०.६१ एकड़ भूमि पर विद्यालय को कब्जा दिया गया था किन्तु काश्त-कारों ने इस भूमि पर फिर से नाजायज कब्जा कर लिया है। इसी कारण	१८-४-५९	..

क्रम-संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में	किस प्रयोग के लिये अर्जन की गई थी	वर्तमान प्रयोग	तारीख नोटिफिकेशन धारा ६	कब्जा मिलने की तिथि
				चिकित्सालय अभी नहीं बन सका। किसानों को हटाने के लिये संस्था ने जाब्ता फौजदारी की धारा ४४७/४२७ के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया है।		
७	मानपुर नारायणपुर	३.०३	कृषि फार्म तथा खेल के मैदान के लिये।	भूमि पर अभी काश्तकारों का ही कब्जा है।	१९-५-५८	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

श्री गोवर्धन तिवारी, प्रधान मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, अल्मोड़ा को सम्बोधित आचार्य जुगुल किशोर, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का अर्द्ध-शासकीय पत्र, दिनांक १० फरवरी, १९६१ की प्रतिलिपि

कुमायूं राजपूत, दिनांक २३–१२–६० के अंक के मुख पृष्ठ सहित आपका पत्र दिनांक जनवरी ४, १९६१ प्राप्त हुआ। धन्यवाद ।

२—इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं प्रदान की कि भूतपूर्व मंत्री द्वारा स्कूलों को दिये गये अनुदान रोक दिये जायं। कुमायूं राजपूत, दिनांक २३–१२–६० में जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह बिलकुल ही निराधार है । इस बात में कोई तथ्य नहीं कि बाडेछीना हाई स्कूल को भवन निर्माण के लिये १९,००० रु० तथा जूनियर हाई स्कूल नगरखान को ५,००० रु० संचालन हेतु भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया था। इस सम्बन्ध में आपको जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि बाडेछीना हाई स्कूल को २,००० रु० (दो हजार रुपया) स्वीकार किया जा चुका है और उसकी राजाज्ञा निर्गत की जा चुकी है। इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूल, नगरखान को ८७५ रु० अनुदान दिये जाने की शिक्षा निदेशक ने संस्तुति की थी, जो शासन ने स्वीकार की है और सम्बन्धित राजाज्ञा शीघ्र ही निर्गत हो जावेगी।

उपरोक्त से सही परिस्थिति आपको ज्ञात हो जायेगी और मैं आशा करता हूं कि आप समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार को बिल्कुल ही निराधार समझेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से सीतापुर रूटों के अलावा नीचे लिखे रूटों पर भी वापसी टिकट दिये जाते हैं :—

(१) लखनऊ से महमूदाबाद,

(२) लखनऊ से बिस्वां,

(३) लखनऊ से बाराबंकी ,

(४) लखनऊ से लखीमपुर,

(५) सीतापुर से लखीमपुर,

(६) सीतापुर से बिस्वां,

(७) सीतापुर से कानपुर,

(८) लखनऊ से रायबरेली (हरचन्दपुर होकर),

(९) लखनऊ से रायबरेली (महाराजगंज होकर) (इस रूट पर वापसी टिकट केवल रायबरेली से महाराजगंज तक ही मिलते हैं), और

(१०) आगरा से देहली (केवल डी लक्स बस द्वारा)।

———

मध्यप्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

उत्तर प्रदेश में हैजे के सम्बन्ध में टिप्पणी

प्रस्तावना

दस वर्ष पहले भारत में हैजे से प्रति वर्ष लगभग ३,००,००० व्यक्तियों की मृत्यु होती थी, जिनमें से इनके लगभग १/६ भाग की मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती थी। किन्तु पिछले १० वर्षों के दौरान में, खासकर १९५० से हैजे से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। १९५० से पहले प्रति वर्ष मृत्यु संख्या ५०,००० थी, जबकि १९५०–५८ की औसत मृत्यु संख्या प्रति वर्ष लगभग ७,००० है। इस प्रकार मृत्यु संख्या घट कर १/७ रह गयी है। यह कमी मुख्यतया महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लागू किये जाने के कारण हुई है, किन्तु इन सब उपायों के बावजूद हैजा, अतिसार (Gastro enteritis) का प्रकोप आम तौर पर इस राज्य में गरमी के महीनों में होता है। यह बीमारी आमतौर पर मार्च, अप्रैल में शुरू होती है, अप्रैल, मई में एकाएक बढ़ जाती है और जून में इसका प्रकोप सबसे अधिक हो जाता है और मानसून आने पर यह जुलाई में कम होने लगती है, लेकिन कभी-कभी अगस्त में फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और फिर कम होने लगती है और नवम्बर तक वह काफी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जो काफी बड़ी संख्या में मेले लगते हैं मुख्यतया उन्हीं के कारण हैजा/अतिसार का प्रकोप होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग ४०० मेले लगते हैं और भारत में तीर्थ यात्रा तथा मेलों के सब से अधिक स्थान इसी प्रदेश में हैं जिनमें से कुछ अखिल भारतीय महत्व के हैं। हैजा तथा अतिसार का इन मेलों से निश्चित संबंध है और इसका प्रमाण यह है कि पिछले वर्षों में खासतौर पर जब कभी कुम्भ और अर्द्ध-कुम्भ के मेले लगे तब हैजे/अतिसार का प्रकोप असाधारण रूप से बढ़ गया। बड़े-बड़े मेलों में न सिर्फ इस राज्य के ही निवासी जाते हैं बल्कि सारे भारत से लाखों की तादाद में लोग इन मेलों में आते हैं और प्रायः भारत और नैपाल राज्य में हैजे के स्थानीय क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्री इन मेलों में अपने साथ हैजे की बीमारी लाते हैं और इन मेलों से आखिर में व्यापक रूप से महामारी फैलने लगती है। हैजा/अतिसार का प्रकोप गरमी के महीनों में आमतौर पर इस कारण होता है कि इस राज्य में बड़ी संख्या में मेले शुरू गरमी के दिनों में लगते हैं खासकर राज्य के पूर्वी जिलों में, जहां पर मौसम पश्चिमी जिलों की अपेक्षा एक महीने पहले ही अनुकूल हो जाता है। सिर्फ मार्च/अप्रैल के ही महीने में इस राज्य में प्रति वर्ष सौ से भी ज्यादा मेले लगते हैं और लगभग ३० लाख से ज्यादा लोग इन मेलों में इकट्ठे होते हैं। अगस्त के महीने में हैजे की बीमारी में जो थोड़ी-सी-वृद्धि होने लगती है उसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा मक्खियों के कारण होता है जो कि इस महीने में बहुत अधिक हो जाती हैं। बीमारी के फैलाने में और जो बातें सहायक होती हैं, वे ये हैं—

(१) मई और जून के महीनों में भारी तादाद में शादियों का होना।

(२) अप्रैल में मोटे अनाजों की जो नई फसल कट कर तैयार होती है वह भी मालूम पड़ता है कि अतिसार की शिकायत पैदा करने में सहायक होती है और जब नया अनाज इस्तेमाल किया जाता है उस समय दस्त की शिकायत आम तौर पर पाई जाती है। इसके कारण अक्सर हैजे का रोग पैदा हो जाता है।

(३) रहन-सहन की प्राचीन स्थितियां और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी निम्न स्तर।

(४) रोगाणु रहित पीने के पानी की सप्लाई की कमी।

(५) अस्वस्थ्यकर भोजन करने की आदतें।

(६) मनुष्यों और पशुओं के मल आदि (Waste) का अस्वास्थ्यकर रूप से निस्तारण।

पिछले वर्षों से तुलन

नीचे दिये हुये आंकड़ों की जानकारी उपयोगी होगी--

अवधि	रजिस्टर्ड औसत वार्षिक मृत्यु संख्या
१९३७–४१	३६,६६७
१९४२–४६	४०,३३३
१९४७–५१	२५,९०२
१९५२–५६	५,७८४
१९५७–६०	१०,११८
१९६१ (१५ जुलाई तक)	३,५६६

अवधि	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
जनवरी-जुलाई					
रोग ग्रस्त होने वालों की संख्या ..	१९,३८४	४,०६५	४,०५५	६,६९३	१२,९६७
मृत्यु संख्या ..	७,१९८	६८८	६११	१,७२२	३,५६६
अगस्त-दिसम्बर					
रोग ग्रस्त होने वालों की संख्या ..	२६,४१५	२०,००६	१,०१२	२३,६४८	..
मृत्यु संख्या ..	१०,९४२	८,६४४	१९३	८,८४४	..
योग					
रोग ग्रस्त होने वालों की संख्या ..	४५,७९९	२४,०७१	५,०६७	३०,३४१	१२,९६७
मृत्यु संख्या ..	१८,१४०	९,३३२	८०४	१०,५६६	३,५६६

ऊपर दिये हुये आंकड़ों से यह प्रकट होगा कि पहले की अपेक्षा वर्तमान १० वर्षों की अवधि में हैजे से विनाश काफी कम हुआ ।

जहां तक वर्ष १९६१ का संबंध है, यह मान लेना गलत न होगा कि यदि बरसात के अगले महीनों में एकाएक फिर से इस बीमारी का प्रकोप न हुआ तो १९६० की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति हर तरह से पहले की अपेक्षा काफी अच्छी रहेगी क्योंकि यह बीमारी कम हो रही है और आमतौर पर अगस्त से पहले की अपेक्षा अगस्त से अक्टूबर तक इस बीमारी का प्रकोप कम रहता है । १९६१ की महामारी वाराणसी की पंचकोशी यात्रा के साथ शुरू हुई थी जिसमें तीर्थ यात्री यात्रा के मार्ग से होकर चल रहे थे और इन तीर्थ यात्रियों में से बहुत से बंगाल, बिहार और मद्रास जैसे हैजे के स्थानीय क्षेत्रों से आये थे । इस यात्रा में यह बीमारी बाहर से आई थी और मेले से लौटने वाले यात्री अपने साथ इस बीमारी को जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के पड़ोसी जिलों में ले गये और बाद में यह बीमारी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के जिलों में भी पहुंची । यह बीमारी लखनऊ नगर में भी इसी यात्रा से पहुंची और इसमें छिटपुट तौर पर

हैजे से लोगों का बीमार पड़ना शुरू हो गया और उसकी रोकथाम के लिये उपयुक्त उपाय किये जा रहे थे जबकि उसी समय शहर के महानगर में अशरा मेले से इस बीमारी के फैलने के कारण एकाएक तेजी से इसका प्रकोप बढ़ गया ।

रोकथाम के उपाय

हैजा/अतिसार के प्रकोप और प्रसार को रोकथाम करने के लिये आमतौर पर ये उपाय किये जाते हैं :—

(१) बड़े और महत्वपूर्ण मेलों तथा समारोहों में अनिवार्य रूप से टीका लगाने की योजना लागू की जाती है ।

(२) महामारी के मौसम में जिलों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर टीके लगाये जाते हैं । जिलों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी महामारी निरोधक अन्य उपाय भी करते हैं ।

(३) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय, सफाई तथा महामारी-निरोधक आवश्यक उपाय करती है ।

(४) महामारी फैलने पर निम्नलिखित प्रगाढ़ उपाय किये जाते हैं :—

(क) सामूहिक रूप से हैजे से रोकथाम के लिये टीका लगाना,
(ख) पानी की सप्लाई, पाखाना, कै तथा 'फोमाइड' को कीटाणु रहित करना,
(ग) मकानों और मुहल्लों को 'कीटाणु रहित' करना ।

(५) मक्खी मारने के उपाय, जैसे गैमक्सीन छिड़कना, इत्यादि ।

(६) वैक्सीन, आवश्यक औषधियों, कीड़ों को मारने वाली दवाओं तथा कीटाणु नाशक पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना ।

(७) महामारी का सामना करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों तथा निधियों की व्यवस्था करना ।

(८) अस्थायी संक्रामक रोग चिकित्सालयों का खोला जाना ।

उपर्युक्त उपायों की उपयोगिता कुम्भ और अर्ध-कुम्भ जैसे बड़े महत्वपूर्ण मेलों के अवसर पर सिद्ध हो चुकी है और हैजे के फैलने को रोकने तथा उसके प्रकोप का सामना करने में भी ये उपाय आंशिक रूप में सफल हुये हैं, किन्तु जब तक सब जगह तथा सभी के लिये पीने के साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित न हो और जब तक लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आदतों में आमूल परिवर्तन न हो तथा हैजे का उसके स्थानीय क्षेत्र (Endemic Home) में समूल नाश न हो तब तक हैजे की बीमारी के सम्पूर्ण विनाश की आशा नहीं की जा सकती । इसे सभी मानेंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कुछ वर्ष लग जायेंगे ।

लखनऊ नगर में हैजे का प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिये किये गये उपाय

२७ जून, १९६१ को अचानक हैजा फैलने की पूर्व स्थिति ठीक उसी प्रकार की थी जैसी कि पिछले वर्षों में थी । इसलिये इस वर्ष हैजा फैलने के कोई ऐसे आसार नहीं थे कि उसकी रोक-थाम के लिये बड़े पैमाने पर कोई विशेष उपाय किये जायं । लखनऊ महापालिका के स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने १९६१ के शुरू में समस्त कर्मचारियों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये थे कि वे सामान्यतया छिटपुट रूप से होने वाली हैजे की घटनाओं के संबंध में कार्यवाही करें । कीटाणु-नाशक औषधियों के (जिसमें गमैक्सीन और चूना सम्मिलित है) पर्याप्त स्टाक उपलब्ध किये गये । महापालिका के स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने १३ अप्रैल, १९६१ को

मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के सेक्रेटरी से यह अनुरोध किया कि वे हैजे की रोक-थाम के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों में सहायता और सहयोग दें। उन्हें टीका लगाने के लिये वैक्सीन दिया गया। टीका लगाने के १६ केन्द्र खोले गये। खाने की वस्तुओं की सप्लाई के प्रयोजनों के लिये मैजिस्ट्रेटों के साथ छापा मारने के लिये एक जीप भी दी गई। मई और जून के महीनों में बहुत में से स्थानों छापे भी मारे गये। संक्रामक रोगों के अस्पताल या अन्य साधनों से सूचना प्राप्त होने पर अतिसार के रोगियों पर यथोचित ध्यान दिया गया। ये छुटपुट मामले थे। उनका विचार किया गया और जिन मकानों आदि में इस रोग की घटनायें हुई थीं उनको और पास-पड़ोस की जिन बस्तियों को कीटाणुरहित करने के लिये आवश्यक निरोधात्मक उपाय किये गये।

२५ जून, १९६१ को नगर के विभिन्न स्थानों में, जिनमें महानगर भी शामिल है, अशरा के मेले लगे। पिछले वर्षों में जो सामान्य प्रबन्ध किया जाता था वही प्रबन्ध इस वर्ष भी किया गया। महापालिका ने इन क्षेत्रों को साफ कराया और एक कुएं को छोड़कर अन्य कुओं को ब्लीचिंग पाउडर डाल कर कीटाणु रहित किया। सफाई कर्मचारियों ने उन व्यक्तियों को उचित सलाह दी जो खुले हुये खाद्य पदार्थ बेच रहे थे जिस पर कि मक्खियां और धूल पड़ सकती थी। २७ जून को संक्रामक रोगों के अस्पताल में जो रोगी भरती हुये थे उनमें से अधिकतर रोगी महानगर के अशरा मेले में आये थे, इसलिये चिकित्सा अधिकारियों को जो संक्रामक रोगों के अस्पताल में रोगियों का इलाज कर रहे थे, यह संदेह हुआ कि वहां के छिछले कुओं से यह महामारी फैली। बाद में जो जांच की गई उससे यह पता चला कि एक कुएं को छोड़कर अन्य सभी कुओं को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कीटाणुरहित कर दिया गया था। वह कुआं जिसे कीटाणुरहित नहीं किया गया, नगरपालिका के पानी के बम्बे के बिल्कुल नजदीक था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को यह बताया गया था कि उक्त स्थान पर केवल नल का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कुओं के पानी की जांच की गई थी जिनमें से किसी भी कुएं में हैजे के कोई कीटाणु नहीं पाये गये। इन सभी कुओं का पानी असंतोषजनक पाया गया और यही बात उस स्थान के सभी छिछले कुओं के पानी के संबंध में भी पाई जाती है। जांच से यह भी पता चला है कि जो व्यक्ति महानगर गये थे उनमें से बहुत से लोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने निजी कुओं का पानी पिया था। यह भी पता चला है कि इन निजी कुओं के आसपास स्थायी रूप से रहने वाले बहुत से व्यक्ति काफी समय से इन कुओं का पानी पीते रहे हैं किन्तु वे बीमार नहीं पड़े जबकि अशरा के दिन तथा उससे पहिले और उसके बाद भी इन कुओं का पानी पिया जाता रहा है। वहां पर स्थित नगरपालिका के बम्बे का पानी बहुत अच्छा पाया गया। महानगर में यह मेला निजी भूमि पर लगता है और इन मेलों के संगठन करने वाले व्यक्ति उक्त भूमि के स्वामी हैं और वे फेरी वालों से तहबाजारी वसूल करते हैं। उन्होंने नगर महापालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सामान्यतया की जाने वाली तैयारियों के अलावा किसी प्रकार की विशेष तैयारियां करने के लिये नहीं कहा था। अतएव, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन कुओं के पानी से ही यह बीमारी फैली। इसके विपरीत यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि रोग संक्रमण (infectious) बाहर से आये हुये लोगों द्वारा पहिले ही लाया जा चुका था, खाने के पदार्थों के जरिये उन व्यक्तियों को भी हो गया जिन्होंने ऐसी खाने की वस्तुएं खाईं और बाद में उनसे यह रोग औरों को भी हो गया।

२७ जून को जैसे ही हैजे के इस प्रकोप का पता लगा वैसे ही महामारी की रोकथाम के लिये सभी संभव कार्यवाहियां की गईं। जो कार्यवाहियां की गईं उनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया जाता है :—

(१) महापालिका के ४ चिकित्सा अधिकारियों को संक्रामक रोग के अस्पताल में भेज दिया गया। बलरामपुर, हजरतगंज तथा डफरिन अस्पतालों और मेडिकल कालेज से कम्पाउन्डरों के अलावा डाक्टरों तथा नर्सों की सेवाएं उपलब्ध करा दी गईं।

"ट्रान्सफ्युजन फ्लुइड्स" तैयार करने के लिये ब्लड बैंक की सेवा भी उपलब्ध कराई गई । सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर से सप्लाई तथा सज्जा उपयोग के लिये दी गई । भर्ती होने वाले रोगियों के लिये संक्रामक रोगों के अस्पताल में शय्याओं की संख्या बढ़ा कर लगभग दो सौ कर दी गई । शारीरिक शिक्षा के कालेज में २७ जून, १९६१ को सौ शय्याओं वाला एक दूसरा संक्रामक रोगों का अस्पताल खोल दिया गया जिसमें २८ जून, १९६१ से मरीज भर्ती किये जाने लगे । आवश्यकता पड़ने पर हुसेनाबाद स्कूल में एक तीसरा संक्रामक रोगों का अस्पताल खोलने की व्यवस्था की गयी । डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने सलाइन ट्रांसफ्युजन और दवाइयां देने में दिन रात काम किया ।

(२) २८ जून, १९६१ को बड़े पैमाने पर कीटाणुरहित करने तथा रोग निवारक टीके लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया । इस कार्य के लिये ६ सचल दल (Mobile Teams) भेजे गये और निम्नलिखित केन्द्रों में उनका अच्छी तरह उपयोग किया गया--

(१) चुटकी भण्डार, हुसैनाबाद,
(२) गणेशगंज औषधालय,
(३) डालीगंज औषधालय,
(४) डा० शिव प्रसाद क्लीनिक, वजीरगंज
(५) नरही स्कूल, हजरतगंज,
(६) चौकी, कंधारी बाजार ।

इन दलों के साथ ४८ टीका लगाने वालों ने काम किया जिनके साथ कीटाणुरहित करने के प्रयोजन के लिये २५ स्प्रे पम्प भी थे । प्रत्येक केन्द्र में रोगियों तथा आवश्यकतानुसार रसद ले जाने के लिये एक ट्रक की व्यवस्था की गई थी । रोगियों को उनको घरों से लाने के लिये भी की गई व्यवस्था के अतिरिक्त ५ एम्बूलेन्स का, जिनमें दो ट्रकें भी थीं, अलग से प्रबन्ध कर दिया गया था । उपर्युक्त व्यवस्था के अतिरिक्त प्रथमोपचार एवं टीका लगाने के कार्य के लिये २८ जून, १९६१ को नगर के भिन्न-भिन्न भागों में भी ६ और सचल दल गस्त लगाते रहे ।

उपर्युक्त प्रबन्धों को और अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से २९ जून, १९६१ से नगर को आठ वार्डों में विभाजित करने का निश्चय किया गया । प्रत्येक वार्ड एक चिकित्सा अधिकारी के अधीन रक्खा गया और उसकी सहायता के लिये पर्याप्त कर्मचारी रक्खे गये जिनका काम पास-पड़ोस की सफाई करना, कीटाणु रहित करना, टीका लगाना तथा खाद्य पदार्थों की देखभाल करना था । इन वार्डों के निम्नलिखित केन्द्र थे :--

(१) प्राइमरी स्कूल, हजरतगंज,
(२) प्राइमरी स्कूल, वजीरगंज, थाने के समीप,
(३) प्राइमरी स्कूल, आर्य समाज मंदिर, गणेशगंज के समीप,
(४) प्राइमरी स्कूल, निशातगंज,
(५) सआदतगंज में स्थित प्राइमरी स्कूल की नई इमारत,
(६) अब्दुल अजीज रोड पर वाहिद बिल्डिंग,
(७) हामिद हुसेन बिल्डिंग, विक्टोरिया स्ट्रीट,
(८) हरदोई मार्ग, दौलतगंज में स्थित सूरजबली धर्मशाला ।

बाहर से ४०० मेहतर काम करने के लिये बुलाये गये । केवल १०० मेहतर ही काम में लगाये जा सके । ३० जून, १९६१ को पास-पड़ोस की सफाई करने के लिये १४ ट्रक काम में लगाये गये । कीटाणु रहित करने के लिये इन विकेन्द्रीकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा ४० स्ट्रिप पम्पों और २७ कम्प्रेसर पम्पों का उपयोग किया गया । कुओं को प्रतिदिन कीटाणु-रहित किया गया । शाक-सब्जी, फल और पान बेचने वाले दूकानदारों ने पोटैशियम परमैंगनेट

का खूब इस्तेमाल किया । प्रत्येक वार्ड के केन्द्र में आवश्यक सामग्री का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की रोजाना पूर्ति की गई ।

बुरी तरह से रोग-ग्रस्त अन्य क्षेत्र

पृष्ठ ४–५ में वह विवरण-पत्र दिया हुआ है जिसमें समग्र रूप से प्रदेश तथा कुछ ऐसे जिलों के संबंध में जहां हैजे का अधिक प्रकोप हुआ, संगत सूचना दी गई है ।

राज्य सरकार ने लखनऊ तथा राज्य के कुछ अन्य जिलों में हाल की महामारी के कारणों की जांच करने तथा इस संबंध में अपनाये जाने वाले निवारक उपायों के संबंध में अपनी सिफारिश करने के लिये अभी हाल ही में एक समिति नियुक्त की है । इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(१) डाक्टर ज्वाहर लाल रोहतगी, उप-मंत्री, सभापति
(२) श्री वी० आर० मोहन, उप-नगर प्रमुख, लखनऊ नगर महापालिका . . सदस्य
(३) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा ,,
(४) श्री बालक राम वैश्य, सदस्य, विधान परिषद् ,,
(५) कुमारी कमल कुमारी गोईंदी, सदस्या, विधान सभा ,,
(६) श्री लाल बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा ,,
(७) श्री रामवचन यादव, सदस्य, विधान सभा .. ,,
(८) डाक्टर अब्दुल हामिद, रिटायर्ड प्रोफेसर आफ पैथोलोजी, किंग जार्ज मेडिकल कालेज ,,
(९) श्री हरिश्चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ,,
(१०) डा० सी० पांडे, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा .. सदस्य (सचिव)

उपर्युक्त समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :—

१—लखनऊ तथा राज्य के ऐसे कतिपय अन्य जिलों में जो इस वर्ष हैजे तथा अतिसार की महामारी से बहुत बुरी तरह ग्रस्त हुये थे, इन रोगों के कारणों की जांच करना तथा उनका पता लगाना ।

२—ऐसी महामारियों की रोकथाम के लिये समुचित उपायों और साधनों का सुझाव देना, और

३—सरकार तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय परिसीमाओं का ध्यान रखते हुये ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राज्य सरकार नगरमहापालिका और अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा किये जाने चाहिये ।

१९५७–१९६१ के आंकड़े

मास			१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
जनवरी	रो० ग्र० स०	..	२९	३८	४३	३५	२९
	मृ० स०	..	२	९	७	३	..
फरवरी	रो० ग्र० स०	..	२०	३६	६५	५७	२८
	मृ० सं०	..	२	..	४	२	३
मार्च	रो० ग्र० सं०	..	७४	३०२	३५३	४६३	२२३
	मृ० सं०	..	६	३५	३६	५७	१८
अप्रैल	रो० ग्र० सं०	..	३३०	६७३	१,३९२	९१६	१,४१८
	मृ० सं०	..	४८	१०५	१९६	१५३	१७५
मई	रो० ग्र० सं०	..	१,१७९	७६८	८४६	८५९	२,७३०
	मृ० सं०	..	३१८	१७०	१०७	१७३	८४८

मास			१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
जून	रो० ग्र० सं०	..	८,९८५	९९९	६३३	१,७५४	५,४८४
	मृ० सं०	..	३,४३९	३२९	९९	४७५	१,६२४
जुलाई	रो० ग्र० सं०	..	८,७६७	१,२४९	७२३	२,६०९	३,०५५
	मृ० सं०	..	३,३८३	४०१	१६२	८५९	८९८
अगस्त	रो० ग्र० सं०	..	१४,९४८	५,१३०	४८३	१४,११३	..
	मृ० सं०	..	६,१०५	१,७७३	१००	५,०७४	..
सितम्बर	रो० ग्र० सं०	..	७,२०६	६,६००	२६०	७,०८१	..
	मृ० सं०	..	२,८५७	२,७३३	७२	२,७८०	..
अक्तूबर	रो० ग्र० सं०	..	२,९३६	६,४९३	१२२	१,९१९	..
	मृ० सं०	..	१,३७७	३,००८	१०	७६९	..
नवम्बर	रो० ग्र० सं०	..	१,०८५	१,४४२	७४	४२८	..
	मृ० सं०	..	४८१	६४३	५	१९५	..
दिसम्बर	रो० ग्र० सं०	..	२४०	३४१	७३	१०७	..
	मृ० सं०	..	१२२	१२६	६	२६	..
योग ..	रो० ग्र० सं०	..	४५,७९९	२४,०७१	५,०६७	३०,३४१	१२,९६७
	मृ० सं०	..	१८,१४०	९,३३२	८०४	१०,५६६	३,५६६

जनवरी, १९६१ से १५ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजे से पीड़ित कुछ जिलों में रोगग्रस्त व मृत व्यक्तियों की तालिका—

जिला और शहर				रोग-ग्रस्त	मृत्यु
इलाहाबाद जिला	..	..	..	८९१	३३२
आजमगढ़ जिला	..	..	..	१,१६४	४८८
बलिया जिला	..	..	..	१६०	४७
बाराबंकी जिला	..	..	..	२६६	८०
वाराणसी शहर	..	..	..	६१४	८५
वाराणसी जिला	..	..	..	२४७	१११
देवरिया जिला	..	..	..	३८४	७८
फैजाबाद जिला	..	..	..	२०८	६४
गाजीपुर जिला	..	..	..	९१८	३७५
हरदोई जिला	..	..	..	१०	४
जौनपुर शहर	..	..	..	९६	१८
जौनपुर जिला	..	..	..	२,५११	९०१
लखनऊ शहर	..	..	..	१,७११	११५
लखनऊ जिला	..	..	..	२७६	४५
मिर्जापुर शहर	..	..	..	९७	७
मिर्जापुर जिला	..	..	..	७०९	२७०
प्रतापगढ़ जिला	..	..	..	७२३	२७२
रायबरेली जिला	..	..	..	१२३	२७
सुल्तानपुर जिला	..	..	..	५२४	१७०
		योग	..	११,६३२	३,४८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतिसार तथा हैजा

माह	१९५७		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०
कानपुर नगर										
जनवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फरवरी	२	२	—	—	—	—	२	—	—	—
मार्च	५	—	—	—	—	—	२८	४	—	—
अप्रैल	१५	—	१३	—	१०	१	४१	९	१६	१
मई	३४	७	२६	२	४८	९	३०	४	५४	६
जून	१५२	२५	६०	२	३९	५	१६	—	४७	५
जुलाई	२५३	३७	३०	५	२०	१	४७	७	१०३*	७*
अगस्त	३५२	२७	२०९	८	२४	—	३५३	३२	—	
सितम्बर	९४	८	४६	५	२३	४	३३९	५४	—	
अक्तूबर	४	—	—	—	९	१	३०	५	—	
नवम्बर	—	—	—	—	५	—	२	१	—	
दिसम्बर	—	—	—	—	२	—	—	—	—	
कानपुर जिला										
जनवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फरवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मार्च	—	—	—	—	१४	६	—	—	—	—
अप्रैल	३	१	—	—	१३	७	—	—	—	—
मई	२९	८	६	४	—	—	—	—	५९	१७
जून	५२२	२७४	—	—	—	—	—	—	६	४

*(१५ जुलाई, तक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह	१९५७		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०
जुलाई	२७७	१३६	—	—	१	—	९	१	२०*	८*
अगस्त	३४१	१८६	९८	५१	—	—	१९१	४२	—	—
सितम्बर	१९३	८९	१४५	८२	—	—	५३	२१	—	—
अक्तूबर	२४	११	७८	४३	—	—	७	२	—	—
नवम्बर	—	—	१२०	६५	—	—	—	—	—	—
दिसम्बर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*(१५ जुलाई, तक)

जिला वाराणसी

अतिसार तथा हैजा

जनवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फरवरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मार्च	—	—	७	३	१	—	—	—	—	—
अप्रैल	१	१	२२	३	२२	३	११	३	१८	३
मई	—	—	३८	९	४	—	३७	१२	२३	६
जून	—	—	१२१	३५	१४	—	९३	२७	१०९	५५
जुलाई	१३२	५१	६८	१९	४९	२०	१४	९	*९७	*४७
अगस्त	२४२	१०२	१८२	५२	६	१	३५	१३		
सितम्बर	२०३	६१	८२	२६	—	—	४०	१८		
अक्टूबर	६७	२२	१६	३	—	—	४	१		
नवम्बर	७	३	—	—	—	—	—	—		
दिसम्बर	—	—	—	—	—	—	—	—		

*(१५ जुलाई, १९६१ तक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाराणसी नगर

जनवरी ..	..	..	२	१	—	—	२	—	३	—	—	—
फरवरी ..	..	..	—	—	—	—	५	—	४	१	२	—
मार्च ..	..	..	४	१	२	—	५	—	११	२	९	—
अप्रैल ..	..	..	३	—	—	—	१५	—	४०	२	३२	—
मई ..	..	..	—	—	१५	१	३६	४	५२	११	३३	५
जून ..	..	..	—	—	—	—	६६	४	९०	७	२५३	३१
जुलाई ..	..	..	४४	११	१४	—	१०४	१५	४५	३	*२८५	*४९
अगस्त ..	..	..	६	१	५४	८	१४	३	४९	६		
सितम्बर ..	..	..	८	—	१५	—	७	१	५३	८		
अक्तूबर ..	..	..	—	—	११	—	५	—	९	१		
नवम्बर ..	..	..	—	—	४	—	३	—	१	—		
दिसम्बर	..	..	—	—	४	—	४	—	१	—		

*(१५ जुलाई १९६१ तक)

लखनऊ नगर

जनवरी ..	..	..	११	१	२७	३	११	—	१८	१	२५	—
फरवरी ..	..	..	२२	—	३०	२	३०	—	३१	—	१९	२
मार्च ..	..	..	८८	१	१२३	६	१३४	१	१७२	९	१०३	३
अप्रैल ..	..	..	१२३	१२	१८८	१०	३४८	१०	१७६	१६	२८३	६
मई ..	..	..	२५८	२१	२४०	१२	२६९	१५	३०८	३०	४८	६
जून ..	..	..	३८२	८७	२१८	२०	१६१	८	१८१	१३	२९४	२४
जुलाई ..	..	..	२३७	१९	१७६	७	११८	५	११७	७	*८३९	*७४
अगस्त ..	..	..	२८९	७०	११६	१०	८०	६	१५५	५		
सितम्बर ..	..	..	९४	१५	७६	५	५५	२	७०	६		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माह	१९५७		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० स०
अक्तूबर	५५	३	४३	४	३८	—	१५	—		
नवम्बर	१०२	८	६७	—	४०	५	२८	२		
दिसम्बर	२७	—	६०	—	५०	६	२९	२		

*१५ जुलाई, १९६१ तक

लखनऊ जिला

जनवरी	..	..	..	..	९	..	७	..	३	
फरवरी	—	—	५	—	१०	१	१९	१	५	..
मार्च	—	—	२७	३	४१		५५	२	१५	३
अप्रैल	१	१	६३	९	१८३	१९	४२	६	५०	४
मई	—	—	२३६	७८	७१	५	३८	—	४५	३
जून	१२६	३८	६०	१५	४७	४	११	१	१७	२
जुलाई	१७५	५५	३७	७	२८	२	२४	२	*१४१	*३३
अगस्त	४०३	१३२	५४	६	२०	२	८६	३		
सितम्बर	१९४	७५	११७	३३	८	२	६	१		
अक्तूबर	४७	३१	२६२	८२	१७	१	४			
नवम्बर	१२	९	७८	२१	१७	—	५			
दिसम्बर	७	१	८५	१७	११	—	७			

*जुलाई, १९६१ तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलिया नगर

अतिसार तथा हैजा

मास	१९५७		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०	रो० सं०	मृ० सं०
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
जनवरी ..										
फरवरी ..										
मार्च ..										
अप्रैल ..			४		५					
मई ..			७	२	८	१			६	
जून ..			९	१	४		८		१२	१
जुलाई ..	९७	२७	१३१	२३	८		४		*१८	
अगस्त ..	५	२	१९८	१५	६		१०	४		
सितम्बर ..	९	२	२५	१			६			
अक्तूबर ..	१४	१	६							
नवम्बर ..	९	१	३							
दिसम्बर ..			१							

*१५ जुलाई, १९६१ तक ।

बलिया जिला

जनवरी ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
फरवरी ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मार्च ..	—	—	—	—	२	—	—	—	—	—
अप्रैल ..	—	—	४८	६	२१	१			४	
मई ..	—	—	४६	७	१२	३	१५	६		
जून ..	३७	१८	४२	१०	२८	५	४७	१३	८४	२७
जुलाई ..	१३०	५८	१०६	४४	२१	५	१००	२४	*७२	*२०
अगस्त ..	२८५	१२५	१२६१	४२०	११	४	१७०	५७		
सितम्बर ..	१६५	६५	५११	१३६			२९	१५		
अक्तूबर ..	३१	११	९४	३४			११	७		
नवम्बर ..			३							
दिसम्बर ..			८	६						

*१५ जुलाई, १९६१ तक ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हैजा निरोधक टीके जो हैजे के प्रकोप से सब से अधिक प्रभावित जिलों में १९६० के तुलना में १९६१ में लगाये गये

जिला व शहर का नाम	हैजा निरोधक टीकों की संख्या १९६१ (१५ जुलाई तक)	१९६०
इलाहाबाद जिला	९३,८४६	९९,२१८
आजमगढ़ जिला	१,५०,०२६	१,४४,४१७
बलिया शहर	२,९८८	५,१३०
बलिया जिला	४९,६४१	४९,००१
बाराबंकी जिला	३२,११०	२४,९४९
वाराणसी शहर	३३,७६८	३५,५५
वाराणसी जिला	२,८१,५९५	१,९०,०२५
देवरिया जिला	८२,८६१	७४,११२
फैजाबाद जिला	३७,२३९	२,४५,८०४
गाजीपुर जिला	१,२३,८०८	५९,६००
हरदोई जिला	१३,२६१	१०,१६३
जौनपुर शहर	१७,६९२	५,१६३
जौनपुर जिला	३,१८,५४८	४५,७११
लखनऊ शहर	१,८८,१५५	१,३७,६९२
लखनऊ जिला	४१,०१०	४६,१९०
मिर्जापुर शहर	४,१५६	९,४९६
मिर्जापुर जिला	१,०२,७४८	३७,४८५
प्रतापगढ़ जिला	१,१७,९१८	४९,५९८
रायबरेली जिला	१६,३९५	६६,८२४
सुल्तानपुर जिला	६६,४६६	४०,७४४
कानपुर शहर	२४,५३४	..
कानपुर जिला	१६,५६३	..

हैजा निरोधक टीके जो इस वर्ष सम्पूर्ण राज्य में १५ जुलाई, १९६१ तक लगाये गये—२७,३३,६३१ ।

वर्ष १९६० में—७१,२४,३२८ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

१ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि से उत्तर प्रदेश के जिलों में कुल सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुयें

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—एन्टी कालरा वैक्सीन	५१, ४३, ४३० सी० सी ।
२—पोटैशियम परमैंगनेट	२७९ हन्डरवेट ।
३—ब्लीचिंग पाउडर	७०० ड्रम, प्रत्येक ड्रम १२६ पौंड का ।
४—क्योलाइन	३२ १/२ हन्डरवेट ।
५—ग्लूकोज नार्मल सलाइन की बोतलें	३,५७०
६—५ तथा १० सी० सी० की सिरिंजें	१,१७१
७—हाइपोडरमिक सूइयां	६४१ दर्जन
८—सीलिन या फिनाइल	९९० गैलन
९—एसेन्शल आयल मिक्सचर	२,८६६ पौंड
१०—सल्फाग्यूनेडीन या हैजे की विशेष गोलियां ..	१९,७१,७२३
११—कीटाणुनाशक औषधि	५३८ हन्डरवेट

१-४-१९६१ से ३१-७-१९६१ तक हैजा महामारी के संबंध में लखनऊ शहर को की गई सप्लाई

१—बिस्मथ कार्ब	·३ पौं०
२—एसन्शियल आयल मिक्सचर	११९ पौं०
३—काओलाइन	४५ पौं०
४—पोटैशियम परमैंगनेट	४ हडरवेट ४ पौं०
५—स्पिरिट मेथीलेटेड	२० पौं०
६—स्पिरिट रेक्टीफाइड	४१ पौं०
७—सलाइन टेबलेट्स	१,००० टेबलेट्स
८—सल्फागुनेडीन	७६,००० टेबलेट्स
९—टि० आयोडीन	३० पौं०
१०—एम्यू० कोरामीन	५००
११—एम्यू० ग्लूकोस	५००
१२—डिस्टिल वाटर	१५ बोतल
१३—नई दरियां	५०
१४—तकिया	५०
१५—तकिये के गिलाफ	५०
१६—मूंज की चारपाइयां	५०
१७—एम्यू० परकार्टन	२५ एम्पु०
१८—एम्पु० कार्नीजन	२५ एम्पु०
१९—एम्पु० नार आड्रेनलाइन	२४
२०—टेबलेट लारगैक्टिल	३०
२१—बैंडेज क्लाथ	४२ गज

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
२२—रुई	६५ पौं०
२३—एधेसिव प्लास्टर	४ रील
२४—साबुन	४८
२५—तौलिया	२४
२६—सिरिंज कन्टेनर	२
२७—एंटी कालरा वैक्सीन	३,८४,००० सी० सी०
२८—सिरिंज रेकार्ड्स	१५६
२९—नीडिल हाइपोडरमिक	६५ दर्जन
३०—डी० डी० टी० पम्प	५०
३१—एम्पु० वेरीटल	६१२ एम्पु०
३२—एम्पु० ऐडरनीलाइन	५००
३३—ट्रांसफ्यूजन सेट	१२६
३४—सिलीन	१४९ गैलन
३५—फोरसेप्ट डिस्सेक्टिंग	९८
३६—स्पि० लैम्प	३६
३७—इनाकुलेशन आउटफिट	१४
३८—ग्लूकोज नार्मल सलाइन	७१० बोतल
३९—गेमेक्सीन	५ टन
४०—क्लोरेस्ट्रेप	२,६०० कैपसूल
४१—एम्प परमीसी	५०
४२—बेड पैन	३०
४३—बेसिन	४०
४४—नार्मल सलाइन	२८० बोतल
४५—टेब० एवामिन	६०० टेब०
४६—टि० बेजोइंको	१ पौं०
४७—टब० एट्रोपीन	२००
४८—बेड सीट	१५०
४९—पेंसिलीन क्रिस्टलाइन	१० लाख, २४ वाइल
५०—एम्यु० कैफीन सोड० बेनीजोइन	३६
५१—कोरामीन लि०	४ वाइल
५२—टैब० एंट्रोवायाफार्म	५,०००
५३—ईस्ट	५,०००
५४—टी० ए० बी०	१,००० सी० सी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुल्तानपुर जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमेगनेट	
२—ब्लीचिंग पाउडर	१५ ड्रम, प्रत्येक १२६ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	
४—ऐन्टीकालरा बैक्सीन	१,००,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनेडीन	३०,००० गोलियां
६—ग्लूकोज सलाइन की बोतलें	२४ बोतलें
७—क्योलाइन	१०० पौंड
८—ऐसेन्शियल आयल मिक्सचर	५७ पौंड
९—सिरिन्ज	२४
१०—हाइपोडरमिक सुइंया	४ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	..

प्रतापगढ़ जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैगनेट	२ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	१७ ड्रम, प्रत्येक १२६ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	२० गैलन
४—ऐन्टीकालरा वेक्सीन	१,८०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूमेडीन	८१,००० गोलियां
६—ग्लुकोज सलाइन की बोतलें	१८७ बोतलें
७—क्योलाइन	२२४ पौंड
८—एसेन्शियल आयल मिक्सचर	१०४ पौंड
९—सिरिन्ज	२४
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	२२ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	१२ हंडरवेट

सत्यमेव जयते विधान सभा

मिर्जापुर जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	८ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	२० ड्रम प्रत्येक १२६ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	४५ गैलन
४—ऐन्टीकालरा वैक्सीन	३,२०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूमेडीन	९५,००० गोलियां
६—ग्लुकोज सलाइन की बोतलें	३५०
७—क्योलाइन	५० पौंड
८—एसेन्शिल आयल मिक्सचर	१४५ पौंड
९—सिरिन्ज	६०
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	२९ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	..

लखनऊ जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	१२ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	१६ ड्रम प्रत्येक १२६ पौंड
३—सीलीन या फिनाइल	२५ गैलन
४—ऐन्टीकालरा वैक्सीन	६०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनेडीन	५०,००० गोलियां
६—ग्लुकोज सलाइन की बोतलें	६५ बोतलें
७—क्योलाइन	१२० पौंड
८—एसेन्शियल आयल मिक्सचर	७० पौंड
९—सिरिन्ज	५
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	१० दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	२० हंडरवेट

इलाहाबाद जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	१६ हण्डरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	३० ड्रम प्रत्येक १२५ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	४५ गैलन
४—ऐन्टीकालरा वैक्सीन	१,४०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनेडीन	६०,००० गोलियां
६—ग्लूकोज सलाइन की बोतलें	१०० बोतलें
७—क्योलाइन	२१२ पौंड

८—ऐसेन्शियल आयल मिक्सचर	..	..	११५ पौंड
९—सिरिन्ज ..	..	..	४२
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	..	..	३७ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	..	..	२५ हंडरवेट

जौनपुर जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम			सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	..	..	३४ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर ..	..	..	३५ ड्रम प्रत्येक १२६ पौंड
३—सीलीन या फिनाइल	..	..	५ ड्रम प्रत्येक ड्रम १२६ पौंड का
४—ऐन्टीकालरावैक्सीन	..	..	३,३५,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनैडीन	..	..	१,६०,००० गोलियों
६—ग्लूकोज सलाइन	..	..	२६० बोतलें
७—क्योलाइन	..	..	३०० पौंड
८—एसेन्शियल आयल मिक्सचर	..	..	१९३ पौंड
९—सिरिन्ज	..	..	५४
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	..	..	२६ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	..	..	१३ हंडरवेट

गाजीपुर जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम			सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	..	..	२२ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर ..	..	..	२० ड्रम प्रत्येक ड्रम १२६ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	..	..	कुछ नहीं
४—ऐन्टीकालरावैक्सीन	..	..	१,८०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनैडीन	..	..	१,००,००० गोलियां
६—ग्लुकोज सलाइन की बोतलें	..	..	१०० बोतलें
७—क्योलीन ..	..	..	५० पौंड
८—एसेन्शियल आयल मिक्सचर	..	..	१०५ पौंड
९—सिरिंज ..	..	..	४८
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	..	..	२८ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	..	..	कुछ नहीं

विधान सभा

वाराणसी जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटेशियम परमैंगनेट	१९ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	६०, ड्रम प्रत्येक ड्रम १२६ पौंड
३—सीलीन या फिनाइल	का ९० गलन
४—ऐन्टीकालरा वैक्सीन	३,००,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनेडीन	१,५५,००० गोलियां
६—ग्लूकोज सलाइन की बोतलें	९५ बोतलें
७—क्यो लाइन	१०० पौंड
८—ऐसेन्शियल आयल मिक्सचर	१९२ पौंड
९—सिरिन्ज	८४
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	१६ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	१२ हंडरवेट

बलिया जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटैशियम परमैंगनेट	१० हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	१५ ड्रम प्रत्येक ड्रम १२६ पौंड
३—सीरीन या फिनाइल	का कुछ नहीं
४—ऐन्टीकालरा वैक्सीन	१,७०,००० सी० सी०
५—सल्फाग्यूनेडीन	४०,००० गोलियां
६—ग्लूकोज सलाइन की बोतलें	२० बोतलें
७—क्योलाइन	११२ पौंड
८—एसन्शियल आयल मिक्सचर	८० पौंड
९—सिरिन्ज	२४
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	१६ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	१० हंडरवेट

आजमगढ़ जिले को १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में हैजा और अतिसार की रोकथाम के लिये सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुएं

वस्तुओं का नाम	सप्लाई की गई मात्रा
१—पोटैशियम परमैंगनेट	११ हंडरवेट
२—ब्लीचिंग पाउडर	१५ ड्रम, प्रत्येक १२६ पौंड का
३—सीलीन या फिनाइल	२५ गैलन
४—ऐन्टीकालर वेक्सीन	२,५०,००० सी० सी
५—सल्फाग्यूनेडीन	१,०५,००० गोलियां
६—ग्लूकोज सलाइन की बोतलें	५० बोतलें
७—क्योलाइन	१९० पौंड
८—ऐसेन्शियल आयल मिक्सचर	१२० पौंड
९—सिरिन्ज	४७
१०—हाइपोडरमिक सुइयां	१४ दर्जन
११—कीटाणु नाशक औषधि	१४ हंडरवेट

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, संशोधित करने का,

विधेयक

इस राज्य के कई भागों में जुए का दुष्कर्म और अधिक बढ़ता और फैलता जा रहा है;

और पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ के वर्तमान उपबन्ध इस दुष्कर्म को रोकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हुये हैं और उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित करना आवश्यक हो गया है कि इसके उपबन्ध अधिक व्यापक और कठोर हो जायं जिससे कि वे प्रभावशाली प्रतिरोधक सिद्ध हो सके,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उ० प्र० संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

२—पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट १८६७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित हुआ है और जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १ में "Instruments of Gaming" की परिभाषा के अन्त में आया हुआ "कोलन" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय— ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १ का संशोधन।

"and in particular, satta papers that is to say, any document wherein may be recorded any words and/or figures evidencing bets and used or intended to be used for or in connection with gaming".

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में अन्तिम पैरा निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ३ का संशोधन।

"shall be liable—
in the case of a first offence to fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees or to rigorous imprisonment for a term not exceeding three months; and in the case of any subsequent offence to fine not exceeding seven hundred and fifty rupees nor less than two hundred and fifty rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding twelve months nor less than three months,"

४—(१) मूल अधिनियम की धारा ४ के पार्श्व शीर्षक में शब्द "found in" तथा शब्द "gaming house" के बीच में शब्द "or in the immediate vicinity of" बढ़ा दिये जायं। ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ४ का संशोधन।

(२) मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले पैरा में—

(१) शब्द "is found there present" तथा "for the purpose of" के बीच में शब्द "or in the immediate vicinity thereof" बढ़ा दिये जायं ।

(२) शब्द "shall be liable to a fine not exceeding three hundred rupees or to imprisonment to either description as defined in the Indian Penal Code for any term not exceeding one month" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"shall be liable—

in the case of a first offence to a fine not exceeding three hundred rupees nor less than one hundred rupees or to rigorous imprisonment for any term not exceeding one month, and in the case of any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees nor less than two hundred rupees and to rigorous imprisonment for a term not exceeding six months nor less than three months;"

(३) मूल अधिनियम की धारा ४ के दूसरे पैरा में शब्द "common gaming house" तथा शब्द "during any gaming" के बीच में शब्द "and any person found in the immediate vicinity thereof with any instruments of gaming" बढ़ा दिये जायं ।

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ५ का संशोधन ।

५—(१) मूल अधिनियम की धारा ५ के पैरा १ में शब्द "the District Superintendent of Police" तथा शब्द "upon credible information" के बीच में शब्द "or any Police Officer of gazetted rank especially empowered in this behalf by the State Government", बढ़ा दिये जायं ।

(२) मूल अधिनियम की धारा ५ के पैरा ३ में अन्त में आया हुआ "सेमीकोलन" निकाल दिया जाय और शब्द "and all persons found in the immediate vicinity thereof with any instruments of gaming", बढ़ा दिये जायं ।

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ६ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द तथा कामा "who are found therein", और शब्द "it shall be evidence" के बीच में शब्द तथा कामा "or found in the immediate vicinity thereof", बढ़ा दिये जायं ।

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ७ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ में, शब्द "person found in" तथा शब्द "any common gaming house" के बीच में शब्द तथा कामा, "or in the immediate vicinity of," बढ़ा दिये जायं ।

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा ८ का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) शब्द "and" तथा शब्द "also order" के बीच में आये हुये शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय, और

(२) शब्द "to be forfeited" के पश्चात् "सेमीकोलन" के स्थान पर "फुलस्टाप" रख दिया जाय और उसके पश्चात् आये हुये शब्द "or, in his discretion, may order any part thereof to be returned to the persons appearing to have been severally thereunto entitled". निकाल दिये जायं ।

९—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १३ का संशोधन।

(१) पैरा १ और २ के बीच में एक नये पैरा के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"any person found in any public street, place or thoroughfare within the limits aforesaid with any instruments of gaming, or"

(२) दूसरे पैरा में शब्द "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals" के स्थान पर शब्द "or any person there present making preparation for or aiding or abetting such gaming or public fighting of birds or animals" रख दिये जायं, और

(३) अन्तिम पैरा में शब्द "shall be liable" के पश्चात् का "सेमीकोलन" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "डैश" रख दिया जाय, तथा उक्त शब्द "shall be liable" के पश्चात् के खंड (ए) और (बी) निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"in the case of a first offence to a fine not exceeding two hundred and fifty rupees nor less than fifty rupees, or to rigorous imprisonment for a term not exceeding one month, and

in the case of any subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees nor less than one hundred rupees and rigorous imprisonment for a term not exceeding six months nor less than three months".

१०—मूल अधिनियम की धारा १४ में वर्तमान पैरा १ और २ के बीच में नये पैरा के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १४ का संशोधन।

"Offences under section 3 of this Act shall be non-bailable, anything contained to the contrary in any other law notwithstanding".

११—मूल अधिनियम की धारा १५ निकाल दी जाय।

ऐक्ट संख्या ३, १८६७ की धारा १५ का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

राज्य के कई भागों में जुए का दुष्कर्म अधिक बढ़ता और फैलता जा रहा है । पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ के वर्तमान उपबन्ध इस दुष्कर्म को रोकने के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं हुये हैं । उक्त ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दंड की जो व्यवस्था की गई है वह भी जुए के दुष्कर्म की रोकथाम के संबंध में अपर्याप्त सिद्ध हुई है । यह ऐक्ट इस समय जिस रूप में है उससे पुलिस के लिये अपराधियों के विरुद्ध शीघ्रता से और प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना कठिन हो जाता है । इसलिये यह प्रस्ताव है कि इसके उपबन्धों को और अधिक व्यापक और कठोर बनाया जाय जिससे कि वे एक माने हुये सामाजिक दुष्कर्म को रोकने के लिये प्रभावशाली प्रतिरोधक सिद्ध हो सके ।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

1. In this Act— Interpretation clause "Gaming".

"Gaming" includes wagering or betting, except wagering or betting upon a horse-race, when such wagering or betting takes place—

(*a*) on the day on which such race is to be run, and

(*b*) in an enclosure which the stewards controlling such race have, with the sanction of the State Government, set apart for the purpose.

but does not include a lottery :

"Instruments of gaming" includes any article used as a means or appurtenance of, or for the purpose of carrying on or facilitating, gaming : "Instruments of Gaming."

Common gaming-house means— "Common Gaming House".

(1) In the case of a gaming on the digits of the sale price of any commodity, for example opium or cotton or on the digits of papers or bales manipulated from within jars or other receptacles, or on the occurrence or non-occurrence of any natural event, of example, rainfall or the quantity of rainfall, any house, room, tent walled enclosure, space, vehicle, vessel or any place whatsoever in which instruments of gaming are kept or used for such gaming ;

(2) In the case of any other form of gaming, any house, room, tent walled enclosure, space, vehicle vessel, or any place whatsoever in which any instruments of gaming are kept or used for the profit or gain of the person owing, occupying, using or keeping such house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel or place whether by way of charge for the use of such house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, place or instrument, or otherwise howsoever.

2 * * * *

3. Whoever, being the owner or occupier, or having the use, of any house, room, tent, walled enclosure, and space, vehicle, vessel or place, situate within the limits to which this Act applies, opens, keeps or uses the same as a common gaming-house : and Penalty for owning or keeping or having charge of a Gaming-House.

Whoever, being the owner or occupier of any such house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place, as aforesaid, knowingly or wilfully permits the same to be opened, occupied, used or kept by any other person as a common gaming house : and

Whoever has the care or management of or, in any manner assists in conducting, the business of any house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place, as aforesaid, opened, occupied, used or kept for the purpose aforesaid : and

Whoever advances or furnishes money, for the purpose of gaming with persons frequenting such house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place ;

shall be liable to a fine not exceeding five hundred rupees or to imprisonment of either description as defined in the Indian Penal Code, for any term not exceeding three months.

Penalty for being found in Gaming House.

4. Whoever is found in any such house, room, tent, walled enclosure, place, vehicle, vessel or place playing or gaming with cards, dice, counters, money or other instruments of gaming, or is found there present for the purpose of gaming, whether playing for any money, wager stake or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding three hundred rupees, or to imprisonment of either description, as defined in the Indian Penal Code, for any term not exceeding one month ;

and any person found in any common gaming house during any gaming or playing therein shall be presumed, until the contrary be proved, to have been there for the purpose of gaming.

Power to enter and authorize police to enter and search.

5. If the Magistrate of a district, or other officer invested with the full powers of a Magistrate, or the District Superintendent of Police, upon credible information, and after such enquiry as he may think necessary, has reason to believe that any house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place, is used as common gaming-house :

he may either himself enter, or by his warrant, authorize any officer of Police, not below such rank as the State Government shall appoint in this behalf, to enter, with such assistance as may be found necessary, by night or by day, and by force if necessary any such house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place;

and may either himself take into custody, or authorize such officer to take into custody, all persons whom he or such officer find therein, whether or not then actually gaming;

and may seize or authorize such officer to seize all instruments of a gaming, and all moneys and securities for money, and articles of value, reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purpose of gaming, which are found therein;

and may search or authorize such officer to search all parts of the house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place, which he or such officer shall have so entered when he or such officer has reason to believe that any instruments of gaming are concealed therein, and also the persons of those whom he or such officer so takes into custody;

and may seize or authorize such officer to seize and take possession of all intruments of gaming found upon such search.

Finding cards, etc. in suspected houses to be evidenced that such houses are common gaming houses.

6. When any cards, dice, gaming-tables, cloths, boards or other instruments of gaming are found in any house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place entered or searched under the provisions of the last preceding section, or about the person of any of those who are found therein, it shall be evidence, until the contrary is made to appear, that such house, room, tent, walled enclosure, space, vehicle, vessel or place is used as a common gaming house, and that the persons found therein were there present for the purpose of gaming, although no play was actually seen by the Magistrate or Police Officer, or any of his assistants.

7. If any person found in any common gaming house entered by any Magistrate or officer of Police under the provisions of this Act, upon being arrested by any such officer or upon being brought before any Magistrate, on being required by such officer or Magistrate to give his name and address, shall refuse or neglect to give the same, or shall give any false name or address, he may, upon conviction before the same or any other Magistrate, be adjudged to pay any penalty not exceeding five hundred rupees, together with such costs as to such Magistrate shall appear reasonable, and on the non-payment of such penalty and costs, or in the first instance, if to such Magistrate it shall seem fit, may be imprisoned for any period not exceeding one month.

Penalty on persons arrested for giving false names and addresses.

8. On conviction of any person for keeping or using any such common gaming house, or being present therein for the purpose of gaming, the convicting Magistrate may order all the instruments of gaming found therein to be destroyed, and may also order all or any of the securities for money and other articles seized, not being instruments of gaming, to be sold and converted into money, and the proceeds thereof with all moneys seized therein to be forfeited; or, in his discretion may order any part thereof to be returned to the persons appearing to have been severally thereunto entitled.

On conviction for keeping a gaming house instrument of gaming to be destroyed.

9 to 12 * * * *

13. A police officer may apprehend without warrant—

Any person found gaming in any public street, place or thoroughfare situated within limits aforesaid, or

Any person setting any birds or animals to fight in any public street, place or thoroughfare situated within the limits, aforesaid or any person there present aiding and abetting such public fighting of birds and animals.

Gaming and setting birds and animals to fight in public streets.

Such persons when apprehended shall be brought without delay before a Magistrate, and shall be liable;

(*a*) For the first offence to a fine not exceeding two hundred and fifty rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding one month; and

(*b*) For the second and every sebsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding six months.

Explanation—For the purpose of this section "public place" includes any open space situate adjacent to and abetting a public street and not separated therefrom by a boundary wall.

And such Police officer may seize all instruments of gaming found in such public place or on the person of those whom he shall so arrest, and the Magistrate may, on conviction of the offender, order such instruments to be forthwith destroyed.

Destruction of instruments of gaming found in public streets.

4. Offences punishable under this Act shall be triable by any Magistrate having jurisdiction in the place where the offence committed.

Offences by whom triable.

But such Magistrate shall be restrained within the limits of his jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, as to the amount of fine or imprisonment he may inflict.

Penalty for subsequent offence.

15. Whoever, having been convicted of an offence punishable under section 3 or 4 of this Act, shall again be guilty of any offence punishable under either of the said sections, shall for every such subsequent offence be liable—

(*a*) If it is an offence under section 3 to a fine not exceeding one thousand rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding twelve months; and

(*b*) If it is an offence under section 4 to a fine not exceeding five hundred rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding six months.

अवध प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१८ पर ।)

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० का (उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) संशोधन करने के लिये

ऐक्ट संख्या ९, १९१०

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या ९, १९१० की धारा ३ का संशोधन ।

२—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*e*) the grant of a licence under this part for any purpose shall not in any way hinder or restrict—

(i) the grant of a licence to another person within the same area of supply for a like purpose; or

(ii) the supply of energy by the State Government or the State Electricity Board within the same area where the State Government deems such supply necessary in public interest;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् नई उपधारा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"(3) Where the supply of energy in any area by the State Electricity Board is deemed necessary under sub-clause (ii) of clause (*e*) of sub-section (2), the Board may, subject to any terms and conditions that may be laid down by the State Government, supply energy in that area notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Electricity Supply Act, 1948".

Act no. 54 of 1948.

उद्देश्य और कारण

इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ (२) (ई) में एक ही सप्लाई क्षेत्र (area of supply) के भीतर एक से अधिक लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकार के लिये सुरक्षित रखा गया है। दूसरे शब्दों में, लाइसेंस दिये जाने से लाइसेंसदार का, अपने लाइसेंस क्षेत्र में, पूर्ण एकाधिकार (absolute monopoly) नहीं हो जाता। लाइसेंसदार के सप्लाई क्षेत्र के भीतर अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने का राज्य सरकार का सहज (inherent) अधिकार, स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो, किसी लाइसेंसदार के कार्यों को स्वयं करने लगे और लाइसेंसदार के क्षेत्र में बिजली का वितरण आरम्भ कर दे।

किन्तु यदि कोई संवैधानिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करने, और वैधिक (legal) स्थिति को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देने, के निमित्त उक्त ऐक्ट की पूर्वोक्त धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को जो यह अन्तर्निहित (implied) अधिकार प्राप्त है, वह बिना विशेष विधान (legislation) के, राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त भी न होगा। इन कारणों से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ (२) (ई) को, प्रस्तावित संशोधन विधेयक के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की उस धारा की प्रतिलिपि जिसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

Section 3(2) (*e*) the grant of a licence under this Part for any purpose shall not in any way hinder or restrict the grant of a licence to another person within the same area of supply for a like purpose;

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

क्रिमिनल लाज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६१

ऐक्ट संख्या ४५, १८६० ऐक्ट संख्या ५, १८९८

इंडियन पेनल कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधन करने का

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम क्रिमिनिल लाज (उ० प्र० संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

ऐक्ट संख्या ४५, १८६० की धारा ४४१ का संशोधन।

२—इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा ४४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Criminal tres-Pass.

"441. Whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or, having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate ; insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence,

or, having entered into or upon such property, whether before or after the coming into force of the Criminal Laws (U. P. Amendment), Act, 1961, with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property fails to withdraw from such property, or its possession or use when called upon to do so by that another preson by notice in writing, duly served upon him, by the date specified in the notice,

is said to commit, 'Criminal trespass'."

ऐक्ट संख्या ५, १८९८ की धारा २५१-ए का संशोधन।

३—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २५१—ए की उपधारा (६) में—

(क) अन्त में आये हुये "पूर्ण विराम" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाय, और

(ख) सेमीकोलन के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"and shall summon the witnesses, documents or things, specified in any application, made on behalf of the prosecution before the said date, for summoning the same, unless, for reasons to be recorded, he deems it unnecessary to summon all or any of them."

उद्देश्य और कारण

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा २५१–ए में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह विदित हो कि न्यायालय, अभियोग पक्ष (prosecution) के कहने पर, सुनवाई के दिनांक पर साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बाध्य करने के निमित्त सम्मन जारी करने के लिये बाध्य है। इस व्यवस्था के न होने से आजकल अभियोग पक्ष को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ में यथा परिभाषित "क्रिमिनल ट्रेसपास" (अपराधिक अनधि प्रवेश) के अन्तर्गत किसी ऐसी सम्पत्ति में, या पर, जो दूसरे के कब्जे में हो, कोई अपराध करने या उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो अभित्रस्त (intimidating) अपमानित (insulting) या क्लेशित (annoying) करने के अभिप्राय से प्रवेश करना है। ऐसी सम्पत्ति में, या पर, जो दूसरे के कब्जे में हो, उस पर अनधिकृत कब्जा (unauthorized possession) बनाये रखने या उसका अनधिकृत उपयोग करने के अभिप्राय से प्रवेश करना स्पष्ट रूप से वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता।

तदनुसार उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये इन धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मूल अधिनियमों की उन विभिन्न धाराओं की प्रतिलिपि जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

Indian Penal Code (Act XLV of 1860)

Section 441.

Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property,

or, having lawfully entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence, is said to commit "criminal trespass".

Code of Criminal Procedure (Act V of 1898)

Section 251-A.

Procedure to be adopted in cases instituted on police report.

(1) When, in any case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a Magistrate at the commencement of the trial, such Magistrate shall satisfy himself that the documents referred to in section 173 have been furnished to the accused, and if he finds that the accused has not been furnished with such documents or any of them, he shall cause them to be so furnished.

(2) If, upon consideration of all the documents referred to in section 173 and making such examination, if any, of the accused, as the Magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge him.

(3) If, upon such documents be considered, such examination, if any, being made and the prosecution and the accused being given an opportunity of being heard, the Magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such Magistrate is competent to try, and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused.

(4) The charge shall then be read and explained to the accused and he shall be asked whether he is guilty or claims to be tried.

(5) If the accused pleads guilty the Magistrate shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon.

(6) If the accused refuses to plead, or does not plead, or claims to be tried, the Magistrate shall fix a date for the examination of witnesses.

(7) On the date so fixed, the Magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution

Provided that the Magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross-examination.

(8) The accused shall then be called upon to enter upon his defence and produce his evidence ; and if the accused puts in any written statement, the Magistrate shall file it with the record.

(9) If the accused, after he has entered upon his defence, applied to the Magistrate to issue any process for compelling the attendence of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the Magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, such ground shall be recorded by him in writing:

Provided that, when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness after the charge is framed, the attendance of such witness shall not be compelled under this section, unless the Magistrate is satisfied that it is necessary for the purposes of justice.

(10) The Magistrate may, before summoning any witness on such application under sub-section (9) required that his reasonable expenses incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in Court.

(12) Where in any case under this section, the Magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 349 or section 562 he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law.

(13) In a case where a previous conviction is charged under the provisions of section 221, sub-section (7) and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the Magistrate, may, after he has convicted the said accused under sub-section (5) or sub-section (12), take evidence in respect of the alleged previous conviction, and shall record a finding thereon.

उत्तर प्रदेश राज्य

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१। उ० प्र० अधिनियम संख्या ६, १९६०।

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० और उत्तर प्रदेश सरकार के देय धनराशियों की वसूली (अर्जित, आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६० को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

अतएव भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का, उ० प्र० अधिनियम संख्या १ का संशोधन। भूमि प्रबन्धक समिति और कलेक्टर के अधिकार।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में—

(१) धारा १२२—क के पश्चात् नई धारा १२२—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही इस प्रकार बढ़ाया गया समझा जाय :

"१२२—ख (१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा क्षति (damage) पहुंचाई जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय (misappropriated), या यदि उसमें इस प्रकार निहित किसी भूमि,या ऐसी किसी रिक्त भूमि या किसी भूमि पर, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कब्जा करने का उसे हक है, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न किसी प्रकार से अध्यासित हो जाय तो, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिणी, जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या उसके दुर्विनियोजन (misappropriation) के लिये प्रतिकर की वसूली करने और दोषपूर्ण अध्यासन के कारण हुई क्षति की पूर्ति और भूमि का कब्जा वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा ।

(२) यदि भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी, उपधारा (१) के उपबन्धों, के अनुसार दोषपूर्ण अध्यासन (wrongful accupation)

के दिनांक से छः मास, और क्षति या दुर्विनियोजन के दिनांक से एक मास, की अवधि के भीतर कार्यवाही न करे तो कलेक्टर उस मामले को छोड़कर जिसमें आगम (title) का वास्तविक प्रश्न (bonafide question) अन्तर्ग्रस्त हो, भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी या स्थानिक अधिकारिकी, जैसी भी दशा हो, के प्रार्थना-पत्र पर, या उसकी जानकारी में किसी अन्य प्रकार से आये हुये तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति की, जिसने भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन कर रखा है, बेदखली के लिये और भूमि के दोषपूर्ण अध्यासन के लिये, तथा सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या उसके दुर्विनियोजन के लिये, प्रतिकर की वसूली के निमित्त कार्यवाही कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

(४) उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर का निर्णय, सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय के समक्ष क्षुब्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम तथा निश्चायक होगा, भले ही किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो।

(५) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली १९५२ के ११५-ग से ११५-ज तक के नियम, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनाये गये और सदैव से ही उसके अधीन बनाये हुये समझे जायेंगे, मानों यह धारा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थी।

(२) धारा १५३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—: धारा १५३ का संशोधन।

"१५३ (२) सीरदार, ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जाय, कब्जा दिये बिना अपनी जोत में अपने स्वत्व को, तकावी के रूप में राज्य सरकार से, या सहकारी समिति से, लिये गये ऋण के लिये प्रतिभू (securuity) के रूप में, बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में अपने स्वत्व को सिवाय उसके उस भाग के जो उक्त प्रकार से बन्धक रखा गया हो, कृषि उद्यानकरण तथा पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृति (recognized) शिक्षा संस्था को दान द्वारा संक्रामित कर सकता है।"

(३) धारा १६८—क की उपधारा (१) में शब्द "वह पूरा गाटा, जिसका वह टुकड़ा एक भाग है एतद्द्वारा संक्रांमित किया जाय" के स्थान पर शब्द "वह" पूरा गाटा, या उसका उतना भाग, जिसमें उस व्यक्ति को भूमिधारी अधिकार हो, जो टुकड़े से सम्बन्द्ध हो, एतद्द्वारा संक्रामित किया जाय, रख दिये जायं। धारा १६८-क का संशोधन।

(४) धारा १८३ के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर एक "कोलन" रख दिया जाय और तत्पश्चात् उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :— धारा १८३ का संशोधन।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खाता या उसका कोई भाग समर्पित न किया जायगा यदि वह धारा १५३ की उपधारा (२) के अधीन बन्धक रख दिया गया हो और बन्धक पूर्णत मोचन (redeemed) न हुआ हो।"

धारा १८६ का संशोधन।

(५) धारा १८६ की उपधारा (४) के अन्त में आये हुये "पूर्ण विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और तत्पश्चात् उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन किसी खाते (holding) या उसके भाग के लिये कोई प्रख्यापन न किया जायगा, यदि वह धारा १५३ की उपधारा (२) के अधीन सीरदार द्वारा बन्धक रख दिया गया हो और बन्धक का पूर्णतः मोचन न हुआ हो, और ऐसी दशा में तहसीलदार, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऋण की वसूली के लिये कलेक्टर को लिखेगा।

धारा २४०-ज का संशोधन।

(६) धारा २४०-ज की उपधारा (२) के खंड (ख) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज के पास" के स्थान पर "संक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय को" रख दिये जायं।

धारा २४०-जज का संशोधन।

(७) धारा २४०-ज में शब्द "सम्मिलित हो" और शब्द "तो" के बीच में शब्द, कोष्ठक, कामा तथा अंक "और यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४९ के खंड (२) के अधीन कार्यवाहियां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, जैसा कि उसका रूप उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ द्वारा उसके संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार की जा रही हो," रख दिये जायं।

धारा २९४ का संशोधन।

(८) धारा २९४ की उपधारा (२) में खंड (ङ) के पश्चात नये खंड (ङङ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(ङङ) धारा २७९ के अधीन आदेशिकाओं (processes) के सम्बन्ध में अदा किये जाने वाले शुल्क या व्यय",

धारा ३३१ का संशोधन।

(९) धारा ३३१ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "अन्य व्यवहार (proceeding) की" तथा "सिविल" के बीच में शब्द या ऐसे वाद कारण (cause of action) पर आधारित वाद, प्रार्थना पत्र या अन्य व्यवहार की जिसके सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद या प्रार्थना-पत्र द्वारा कोई अनुतोष (relief) प्राप्त किया जा सकता था "रख दिये जायं और (ख) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् उक्त धारा के स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—यदि वाद कारण ऐसा हो जिसके सम्बन्ध में माल न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, तो यह बात साखान (immaterial) नहीं कि दीवानी न्यायालय (civil-court) से मांगा गया अनुतोष उस अनुतोष के ठीक समान (identical) न हो जिसे माल न्यायालय (revenue court) ने दिया होता" और

अनुसूची २ का संशोधन।

(१०) अनुसूची २ की क्रम-संख्या ३४ के स्तम्भ २ के अंक तथा अक्षर "२२९-ख और २२९-ग" के पहले अंक तथा कामा "२२९" रख दिये जायं।

३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१) का संशोधन।

(१) धारा ४३ में शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत" के पहले शब्द तथा कामा "धारा १६ की उपधारा (३) के अधीन आपत्ति सुनने के अधिकार को छोड़कर," रख दिये जायें, और

धारा ४३ का संशोधन।

(२) अनुसूची के भाग १ में मद (ख) की उप–मद (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

अनुसूची का संशोधन

"(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो उस धनराशि में से, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, मद (ङ) (३) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार असामी को देय धनराशि को घटाकर बची हुई धनराशि।"

(४) उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६० में:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९६० का संशोधन।

(१) धारा २ के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

धारा २ का संशोधन।

"(क) शब्द 'असिस्टेंट कलक्टर' 'कलेक्टर तथा वरिष्ठ स्वामी (superior proprietor) के अर्थ वही होंगे जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः शब्द 'असिस्टेंट कलेक्टर' तथा 'सुपीरियर प्रोप्राइटर' के लिये दिये गये हैं;" और

(२) धारा ४ के खंड (क) में शब्द "राज्य सरकार" तथा शब्द "को पहले" के बीच में शब्द तथा कामा "या वरिष्ठ स्वामी (superior proprietor) जैसी भी दशा हो," रख दिये जायं।

धारा ४ का संशोधन।

उद्देश्य और कारण

पिछले तीन वर्षों में १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १) की कुछ धाराओं के परिचालन के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयां सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१) और उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्ट) अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनमिय संख्या ६, १९६०) में भी कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां देखने को मिली हैं। उच्च-न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के ११५-ग से ११५-ज तक के नियम, जिन में गांव समाज की भूमि से अनधिकार प्रवेशकों (tresspassers) की बेदखली करने के लिये द्रुतसम्पादित उपाय (Summary remedy) की व्यवस्था है, अवैध हैं। अतएव, उक्त द्रुतसम्पादित उपाय के लिये विधि के आवश्यक प्रामाण्य (sanction) की व्यवस्था कर तथा उपर्युक्त कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मन्त्री।

संसद प्रतिष्ठान

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ के ऐसे उपबंधों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र (memorandum) जिनमें विधायन अधिकारों (legislative powers) के प्रतिनिधान (Delegation) की प्रस्थापनाएं (proposals) अन्तर्ग्रस्त हैं

विधेयक के विभिन्न खंडों के उपखंडों जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें दी गई हैं, तथा उनके क्षेत्र (scope) का नीचे उल्लेख किया जाता है :—

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन अधिकार
१	२	(१)	इसमें राज्य सरकर को अधिकार दिया गया है कि वह उपाक्रमण (encroachment) को हटाने के तथा प्रतिकर वसूल करने के लिये कलेटर द्वारा अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया नियत करे।
२	२	(२)	इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह उन परिस्थितियों को नियत करे जिसमें सीरदार कब्जा दिये बिना अपनी जोत, अपने स्वत्व को, तकावी ऋण या सहकारिता समिति ऋण के लिये, प्रतिभू (security) के रूप में बन्धक रख सकता है।
३	२	(५)	इस में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह उसी रीति को नियत करे जिसके अनुसार तहसीलदार ऋण की वसूली के लिये कलेक्टर को लिखेगा।
४	२	(८)	इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के अधीन आदेशिकाओं (processes) के सम्बन्ध में बकायेदार (defaulter) से शुल्क या व्यय की वसूली के लिये आवश्यक नियम बनाये।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मन्त्री।

आरोपण

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम १९६० तथा उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा, अधिनियम, १९६० की धाराओं की प्रतिलिपि जिनमें इस विधेयक द्वारा संशोधन प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०

सीरदार अथवा असामी के स्वत्व का संक्रमण न हो सकेगा।

१५३—(१) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो, सीरदार और असामी के स्वत्व का, संक्रमण न हो सकेगा।

(२) कृषि, उपकरण अथवा पशुपालन की शिक्षा, से सम्बद्ध प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृति शिक्षा संस्था को, सीरदार दान द्वारा अपनी भूमि का संक्रमण कर सकता है।

टुकड़ों का संक्रमण

१६८—(क) (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी संहत क्षेत्र (consolidated area) में स्थित किसी टुकड़े को बिक्री, दान (gift) अथवा विनिमय द्वारा संक्रामित नहीं करेगा, उन दशाओं को छोड़ कर जब ऐसा संक्रामण किसी ऐसे खातेदार के पक्ष में हो जिसका कोई गाटा (plot) उक्त टुकड़े से संलग्न (contigious) अथवा यदि संक्रामण ऐसे खातेदार के पक्ष में न हो तो वह पूरा गाटा, जिसका वह टुकड़ा एक भाग है, एतद्वारा संक्रामित किया जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया किसी भूमि का संक्रामण निरर्थक (void)) होगा।

(३) यदि किसी भूमिधर ने उपधारा (१) को निदेशों के विरुद्ध कोई संक्रमण (transfer) किया हो, तो उस पर धारा १६७ और १६८ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) लागू होंगे।

सीरदार द्वारा खाते का समर्पण (Surrender)

१८३—चाहे खाता लगान पर उठा हो या नहीं उसका कब्जा छोड़ कर तहसीलदार को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर भूमि प्रबन्धक समिति को अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देकर सीरदार अपने खाते या उसके किसी भाग का समर्पण कर सकता है।

परित्याग (abandonment)

१८६—(१) यदि कोई सीरदार (जो अवयस्क, पागल या जड़ न हो) या कोई असामी अपना खाता लगातार दो कृषि वर्ष तक कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन (animal hunbandry) जिसके अतर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming)–है, से संबंध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये काम में न लाया हो, तो ऐसे सीरदार या असामी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का नोटिस दिया जाय कि वह इस बात का कारण दिखलावे कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न माना जाय।

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र में ऐसे ब्यौरे होंगे, जो नियत किये जायं।

(३) यदि तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया है, तो वह सीरदार या असामी पर, नियत किये जाने वाले आकार में एक नोटिस

तामील करवा के या नियत रीति से प्रकाशित कराके उस निश्चित किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने के लिये और इस बात का कारण प्रकट करने के लिये आदेश देगा कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न समझा जाय ।

(४) यदि नोटिस के उत्तर में सीरदार या असामी उपस्थित न हो या उपस्थित हो, पर उसका प्रतिवाद न करे ,तो तहसीलदार खाते को परित्यक्त(abandoned) प्रख्यापित कर देगा और तदुपरान्त, उक्त दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा १७२ में की गई है, खाते के विषय में यह समझा जायगा कि वह खाली भूमि है।

(५) यदि सीरदार या असामी नोटिस का प्रतिवाद करने के लिये उपस्थित हो तो तहसीलदार कार्यवाही त्याग देगा ।

आपत्तियों का निस्तारण ।

२४०—ज–(१) उपधारा (२) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, प्रतिकर अधिकारी धारा २४० –छ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में यदि आवश्यक हो, फरीकों की सुनवाई करके नियत रीति से आपत्तियों का निस्तारण करेगा ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति :

(क) यह कि वह भूमि धारा २४०-क की उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस संबंध में विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके उसे धारा २३४–क के साथ पठित धारा २२९–ख के अधीन उस भूमि के संबंध में वाद के निर्णय का अधिक्षेत्र रखने वाले न्यायालय के पास निस्तारण के लिये अभिदिष्ट करेगा और तत्पश्चात् ऐसे वादों की सुनवाई और निस्तारण के संबंध में सभी निदेश ऐसे अभिदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह वाद (suit) है;

(ख) ऐसी हो जिसमें आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो (involved a question of title) और ऐसे प्रश्न को किसी समर्थ न्यायालय ने पहले से निर्णीत न किया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उन मामलों को छोड़ कर जिन पर धारा २४७–ज प्रवृत्त होती हो, उस प्रश्न को निर्णय के हेतु डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस बात से कि कोई व्यक्ति अधिवासी है या नहीं यह नहीं समझा जायगा कि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये आगम का प्रश्न उठता है ।

(३) डिस्ट्रिक्ट जज उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न का नियत रीति से निर्णय करेगा और इस संबंध में उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के आगम का प्रश्न मध्यस्थ को अभिदिष्ट होगा ।

२४०—ज ज—यदि धारा २४०-ज की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट आगम का प्रश्न किसी ऐसी भूमि के संबंध में हो जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५४ की धारा ५ के अर्थ में चकबन्दी क्रियाओं के अधीनस्थ क्षेत्र में सम्मिलित हो तो प्रतिकर अधिकारी इस प्रश्न को अवधारणार्थ अधिक्षेत्र रखने वाले सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो तत्पश्चात् उसे उक्त अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ (arbitrator) के पास अवधारणार्थ अभिदिष्ट करेगा तथा इस अधिनियम एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्ध इस प्रकार किये गये अभिदेश पर उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वह उसी अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाहियों में उठाया गया तथा अभिदिष्ट कोई प्रश्न हो ।

नियम बनाने का अधिकार ।

२९४—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा दिये गये अतिरिक्त धन (Excess money) की धारा २४४ के अधीन प्रतिपूर्ति (reimbursement) की प्रक्रिया ;

(क क) धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन मालगुजारी के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त;

(ख) धारा २६५ के अधीन आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने की रीति,

(ग) धारा २७४ के अधीन मालगुजारी बढ़ाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) मालगुजारी की वसूली के लिये धारा २७५ के अधीन रीति और व्यवस्था (arrangement);

(ङ) धारा २७६ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा मालगुजारी की वसूली की प्रक्रिया ;

(च) धारा २७९ के अधीन अचल संपत्ति की कुर्की, संक्रामण और विक्रय की प्रक्रिया ;

(छ) धारा २८३ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधिकारों के प्रयोग की रीति ;

(ज) इस अध्याय के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के संबंध में अधिकारियों का सामान्य पथ प्रदर्शन ;

(झ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं ।

इस अधिनियम के अधीन वादों आदि की अवेक्षा ।

३३१–(१) ऐसी दशा को छोड़ कर , जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गई हो, अनुसूची २ के स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय को छोड़ कोई दूसरा न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या अन्य व्यवहार (proceeding) की सिविल प्रोसीजर कोड, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, अवेक्षा न करेगा (shall not take cognizence): किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी खाते अथवा इसके भाग के संबंध में धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन कर दिया गया हो, तो अध्याय ८ के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा कार्यवाहियों से सम्बद्ध अनुसूची २ के निदेश ऐसे खाते अथवा उसके भाग पर लागू नहीं होंगे ।

(२) ऐसी दशा को छोड़कर, जिसके विषय में आगे व्यवस्था की गई है, पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित व्यवहारों में से किसी में दी गई किसी आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी ।

(३) स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय द्वारा, स्तम्भ ३ में उल्लिखित कार्यवाहियों में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के आर्डर ४१, रूल १ तथा

धारा ४७ या १०४ के अधीन दी गई आज्ञा के या किसी अंतिम आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध अपील उक्त अनुसची के स्तम्भ ५ में उल्लिखित न्यायालय अथवा आधिकारिकी के पास हो सकेगी; और

(४) उपधारा (३) के अधीन की गई, अपील में दी गई अंतिम आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध दूसरी अपील, अनुसूची के स्तम्भ ६ में उल्लिखित यदि कोई आधिकारिकी हो तो उसके पास कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची २

क्रम-संख्या	धारा	व्यवहारों का ब्योरा	मूल अधिक्षेत्र का न्यायालय	न्यायालय: प्रथम अपील	न्यायालय: द्वितीय अपील
३४	२२९-ख .. २२९-ग	अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद	असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी	कमिश्नर	बोर्ड

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०

अधिकारों का प्रतिनिधान

४३—इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the I Class incharge of the sub-division) द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है।

अनुसूची
(धारा १७)
भाग १

[क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है।]

(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के संबंध में जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित उसके असामी के पास हो।

(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो, तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद (ङ) (३) के अधीन असामी को देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा।

(ङ) "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी।

(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो, तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा प्रतिकर इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के पैंतीस गुने से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार के देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, १९६०

२—विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" तथा "कलेक्टर" के अर्थ वहीं होंगे जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में दिये गये हैं : यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(ख) किसी क्षेत्र के निहित आस्थानों या अवसित पट्टों के संबंध में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदावलियों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ में अथवा उत्तर प्रदेश में आस्थानों के या उनमें अधिकारों के, जैसी भी दशा हो, अर्जन से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में उन्हें दिये गये हों ; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४

(ग) पदावलि "सरकार को देय धनराशि" के अन्तर्गत वे सभी धनराशियां हैं जो किसी आस्थान के अर्जन या पट्टे के अवसान के फलस्वरुप उस समय प्रचलित तत्संबंधी किसी अधिनियमिति के अधीन राज्य सरकार को देय हुई हों या देय हो जायं किन्तु जो भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार के, जैसी भी दशा हो, बिना आगम (title) के कब्जे में रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा वसूल न की जा सकी हों ; उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५९

(घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है ; तथा

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

४—किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार से वसूलने योग्य सरकार को देय शुद्ध धनराशि का अवधारण करते समय धारा ३ के उपबन्धों के अनुसार गणना की गई सरकार को देय धनराशि में से निम्नलिखित की कटौती कर दी जायगी। सरकार को देय शुद्ध धनराशि

(क) आस्थान या पट्टे के, जैसी भी दशा हो, संबंध में मालगुजारी या लगान की समस्त धनराशियां या कोई अन्य देय धनराशियां, जिनका भुगतान भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार राज्य सरकार को पहले ही कर चुका हो;

(ख) "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" या तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अर्जित किसी आस्थान की दशा में, प्रबन्ध व्यय तथा लगान के वसूल न किये जा सकने वाले बकाये के लिये, सरकार को देय सकल धनराशि की १० प्रतिशत धनराशि, और रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ या उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ के अधीन अवसित पट्टों की दशा में कच्ची निकासी १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १, उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४, उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५९

तथा पट्टे द्वारा देय लगान के अन्तर के १६ २/३ प्रतिशत के बराबर धनराशि ;

युक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

(ग) आस्थान या पट्टे के संबंध में, "१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर ऐक्ट," की धारा २ के खण्ड (२) में यथा परिभाषित कृषि आय कर के रूप में या उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २ के खण्ड (१३) में यथा पारिभाषित जोत-कर के रूप में भूतपूर्व मध्यवर्ती या पट्टेदार द्वारा, जैसी भी दशा हो, भुगतान की गयी धनराशि ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१

इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१

विधेयक

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-ई का संशोधन

२—यू० पी० इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १६-ई की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "the Director exempt" तथा शब्द "any person from" के बीच में कामा तथा शब्द "subject to such conditions as it may impose in this behalf," रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-एफ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १६-एफ में—

(१) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (ए) में शब्द तथा अंक "section 16-E" के पश्चात् आये हुए "कामा" के स्थान पर एक "सेमी कोलन तथा शब्द "and" रख दिये जायं ।

(२) खण्ड (बी) में शब्द "in case of Principal or Headmaster by the Regional Deputy Director, Education, and in the case of a teacher by the Inspector" के स्थान पर शब्द "by the Managing Committee of the institution concerned. " रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(2) The names, qualifications and other particulars of the candidates who may have applied, and of those selected for appointment as a teacher/Headmaster/Principal shall be forwarded by the Manager of the institution concerned to the District Inspector of Schools in the case of *boys*' schools, and to the Regional Inspectress of *girls*' schools in the case of *girls*' schools";

(३) उपधारा (३) तथा (४) निकाल दी जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-जी का संशोधन

४—(१) मूल अधिनियम की धारा १६-जी के पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"Conditions of service of members of staff of the recognized institutions."

(२) उपधारा (३) में—

(१) खण्ड (ए) में शब्द "may be discharged or" के स्थान पर कामा तथा शब्द "in permanent employment, may be" रख दिये जायं, और

(२) खण्ड (डी) के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"Provided that if any of the bodies referred to in sub-clause (ii) and (iii) does not nominate its representative to the Committee, it may, by notice in writing, be called upon by the President of the Committee to nominate its representative to the Committee, within a period of thirty days from the date of receipt of the notice, and, on its failure to do so, the Director shall appoint a suitable person as member of the Committee, who shall, till such time as the nomination of a representative by the body concerned is duly intimated to the President of the Committee, be deemed to be the representative of that body to the Committee :

Provided further that if any member nominated by any of the bodies referred to in sub-clauses (ii) and (iii) fails without sufficient cause to attend two or more consecutive meetings of the Committee, the Director may, after affording opportunity of being heard to the body concerned, cancel the nomination of the member, and thereafter, by notice in writing, call upon that body to make fresh nomination, within a period of fifteen days from the receipt of the notice. On failure of the body to make the nomination within the required period, the Director shall appoint any suitable person as member of the Committee, who shall, till such time as the nomination of a new representative by the body concerned is duly intimated to the President of the Committee, be deemed to be representative of that body to the Committee".

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-एच का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १६-एच की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(2) The provisions of section 16-A, 16-B, 16-C, sub-sections (3), (*b*) and (4) to (9) of section 16-D, 16-E, 16-F and 16-G shall not apply to recognized institutions maintained by a local body and the recognized Anglo-Indian Schools in the State."

संक्रमण कालीन उपबन्ध

६—(१) मूल अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मूल अधिनियम या इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्भूत विषयों पर विनियम बनाये या मूल अधिनियमों के अधीन बनाये गये वर्तमान विनियमों को संशोधित करे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये समस्त विनियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र

हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों (annulments) के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य तथा कारण का विवरण

व्यक्तिगत रूप से संचालित माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने तथा उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों को और अधिक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ पारित किया गया था । किन्तु अधिनियम के प्रवर्तन के बाद के कुछ वर्षों के अनुभव से प्रतीत होता है कि गत संशोधित अधिनियम में कुछ न्यूनताएं रह गई हैं, जिनके कारण कठिनाइयां पड़ रही हैं । अतः शासन के शिक्षा विभाग ने इस विषय में पूर्ण विचार के बाद अनुभूत कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ के संशोधन का निश्चय किया है और यह विधेयक उक्त उद्देश्य तथा कारण से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

जुगल किशोर,
शिक्षा मंत्री ।

उत्तरप्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ में ऐसे प्रतिनिहित प्राविधानों के संबंध में स्मृति पत्र जिनमें वैधानिक अधिकारों के प्रतिनिधान (डेलीगेशन) का उल्लेख है

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ का खण्ड (६) शासन को अस्थायी रूप से अधिकार देता है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर मूल अधिनियम या इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्भूत विषयों पर विनियम बनाये या मूल अधिनियम के अधीन बनाये गये वर्तमान विनियमों को संशोधित करें ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियम यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे । साधारणतया इण्टरमीडिएट ऐक्ट, १९२१ की धारा १५ के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा विनियम बनाये और प्रकाशित किये जाते हैं । विनियम बनाये जाने के पश्चात् राज्य सरकार को ऐक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं और स्वीकृति के पश्चात ही वे लागू होते हैं ।

जुगल किशोर,
शिक्षा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की उन धाराओं की प्रतियां जिनका उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९२१ द्वारा संशोधन किया जाता है ।

धारा १६-ई (१) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड

Clause (*a*) of Sub-section (1) of Section 16-F.

Provided that the Board may after considering the report of the Director exempt any person from the requirements of minimum qualifications having regard to experience, education and other attainments.

(*a*) Possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 16-E :

धारा १६ (एफ) की उपधारा (१) का खण्ड (ए)

Clause (b) of sub-section (1) of section 16-F.

(*b*) has been recommended by selection committee constituted under sub-section (2) or (3), as the case may be, of the said section and approved, in the case of Principal or Headmaster by the Regional Deputy Director, Education, and in the case of a teacher by the Inspector.

धारा १६-एफ की उपधारा (१) का खण्ड (बी) ।

Sub-section (2) of section 16-F.

धारा १६-एफ की उपधारा (२)

(2) The name of the selected candidate shall be forwarded for approval, in the case of a teacher, by the Principal or Headmaster to the Inspector, and in the case of Principal or Headmaster by the Chairman of the selection committee to the Regional Deputy Director, Education. A statement showing the names, qualifications and other particulars, as may be prescribed, of all candidates who may have applied for selection shall also be sent along with the name of the selected candidate. The Inspector or Regional Deputy Director, Education, as the case may be, shall give his decision within two weeks of receipt of the relevant papers, failing which approval shall be deemed to have been accorded.

धारा १६-एफ की उपधारा (३) तथा (४)

Deleted.

धारा १६-जी का पार्श्व शीर्षक

Conditions of service of teachers—

धारा १६-जी की उपधारा (३) का खण्ड (ए)

(*a*) No Principal, Head master or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminuation in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Inspector. The decision of the Inspector shall be communicated within the period to be prescribed by regulations.

धारा १६-जी की उपधारा (३) का खण्ड (डी)

(*d*) The Regional Appellate Committee in each region shall consist of—

(1) the Regional Deputy Director, Education who will be the President of the Committee :

(2) a member of the State Managers' Association nominated by that Association : and

(3) a member of the U. P. Madhyamik Shikshak Sangh.

धारा १६-एच की उपधारा (२

(2) In the case of recognized institutions maintained by local body, the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alternations, modifications or additions as it may make.

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५२ एल० ए०—१९६१—८४५।